खण्ड-351, अंक-3
मंगलवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1903
(31 मार्च, 1981 ई0)

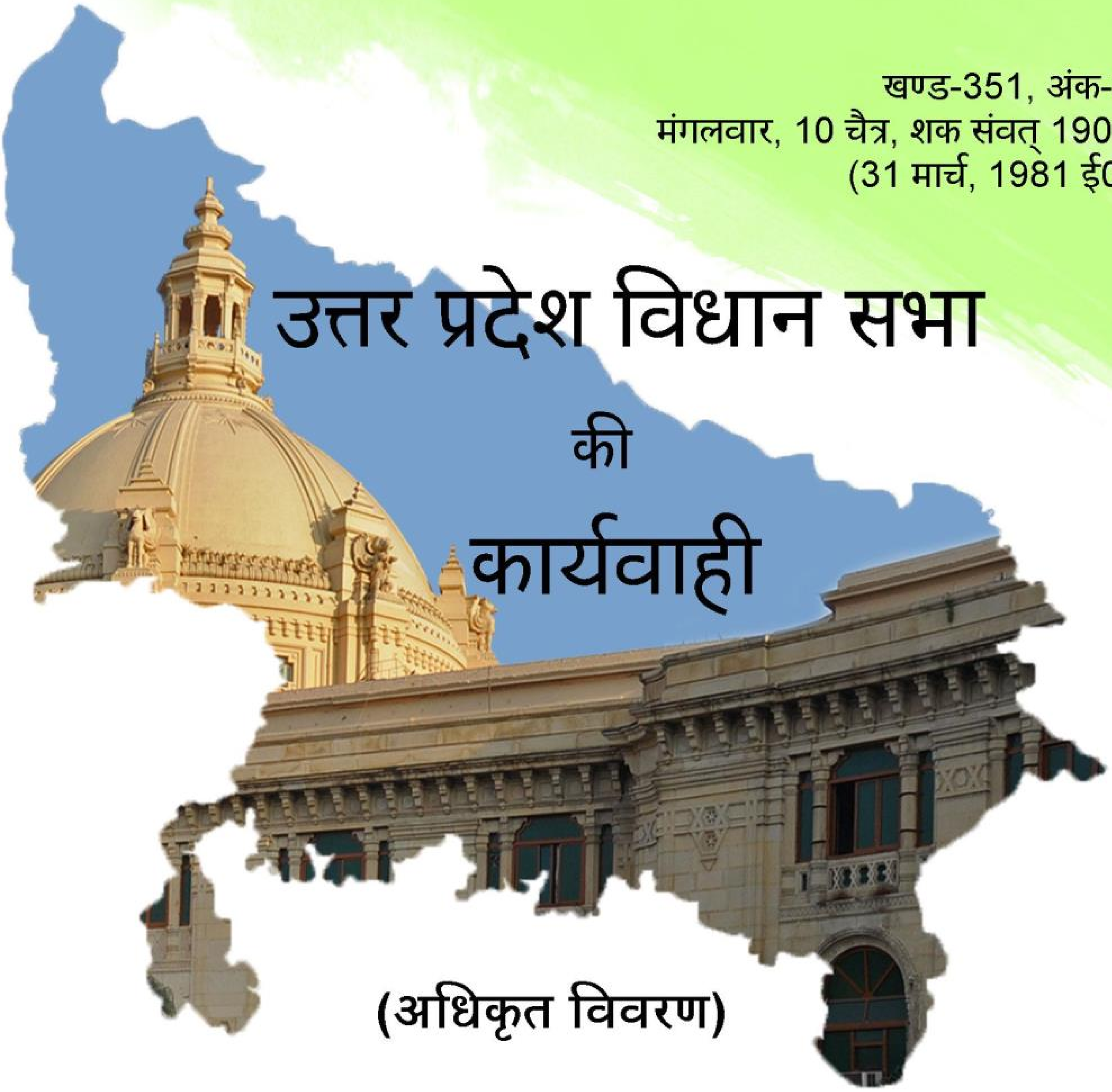

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 351 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	179–182
प्रश्नोत्तर	183–235
विधान भवन के सामने गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा जिला कारागार में आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	235
शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ प्राप्त अनुदान के वितरण में तहसीलदार बीकापुर (फैजाबाद) द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	235–236
श्री गणेश प्रसाद साहू आशुलिपिक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	236
गोरखपुर जनपद में डीजल वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	236
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	236–237
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1980–81) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	237
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन सम्बन्धी नामों की वापसी की तिथि बढ़ाने की सूचना	237
श्रीमती गौरी देवी द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना को कल लिए जाने की सूचना	237–238
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	238–239
1981–82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 82—गृह विभाग (कारागार)—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	239–259
अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वत्ति एवं बिक्री-कर) अनदान संख्या 51—नियोजन विभाग तथा अनुदान संख्या 97—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	259–279
अनुदान संख्या 35—स्पोर्ट्स विभाग (स्वीकृत)	279
अनुदान संख्या 8—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	279
अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) (स्वीकृत)	280
अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	280
अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग (स्वीकृत)	280
अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन (स्वीकृत)	280–281
अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधि वर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	281
दनुान संख्या 32—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ..	281

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 73—वित्त विभाग (स्वीकृत)	281–282
अनुदान संख्या 91—संस्थागत वित्त विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	282
अनुदान संख्या 127—वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	282
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 (पारित)	282–291
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	291–292
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	292
मिर्जापुर जिले के रिहन्द बांध में हुई नाव दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	292–295
सुलतानपुर जिले के आनापुर गांव के निकट बिजली के टूटे तार से एक तीर्थ यात्री बस के टकरा जाने के फलस्वरूप 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कतिपय व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन	296
नत्थियां	297–305

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-328

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
		केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	खरपत, श्री	वाराणसी
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	खुर्शीद अहमद, श्री	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
ऊदल, श्री	वाराणसी	गया सिंह, श्री	उन्नाव
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	कानपुर	गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ	गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	गुलाम नबी, श्री	आगरा
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
कल्यान सिंह, श्री	बरेली	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर	गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया	गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर

गौरी शंकर एडवोकेट	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती'	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल कुमार, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भान प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मारकन्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद आरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ, श्री — मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह कंवर, श्री — फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री — वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रती राम, श्री — बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री — रायबरेली
राज किशोर राय, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम अौतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर — जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री — मुरादाबाद
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नरायन, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री — कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — [illegible]
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — [illegible]
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी

लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायण तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वार्ष्णेय, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेन्द्र दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद	मुरादाबाद
सिद्दीक, श्री	
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट:—श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 31 मार्च, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्राइमरी शिक्षकों को भविष्य निधि की पास बुकें

*1—श्री भीखालाल (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के ऐसे आदेश हैं कि प्राइमरी शिक्षकों को भविष्य निधि की पास बुकें दी जायेंगी ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[दिनांक 31 मार्च, 1981 के निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम लग्गूपुर निवासी हरिजन (श्री फूलचन्द्र) पर सवर्णों द्वारा अत्याचार

*1—श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना थाने में स्थित ग्राम लग्गूपुर के किसी हरिजन परिवार पर सवर्णों द्वारा 1–10–80 से 8–10–80 के बीच घातक आक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री फूलचन्द्र हरिजन, निवासी ग्राम लग्गूपुर को दिनांक 3–10–80 को उसी ग्राम के कुछ सवर्णों द्वारा भैंस को भगाने के प्रश्न को लेकर मारा पीटा गया । श्री फूलचन्द्र की सूचना पर थाने पर धारा 325/323/352 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत उसी दिन अपराध पंजीकृत किया गया और विवेचनोपरान्त दो व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 325/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

पुलिस विभाग में विशेष सेवा भत्ता पर महंगाई भत्ता दिये जाने संबंधी प्रश्न

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या 3क/344–75, दिनांक 26–10–77 (फ्लैग 'सी') के अनुसार विशेष सेवा भत्ता को वेतन न मानते हुए उसे वेतन में सन् 1977 से लगाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो अन्य विभागों में विशेष सेवा भत्ता को वेतन मानते हुए उस पर महंगाई भत्ता देने का नियम है ? क्या सरकार इस असंगति को दूर करेगी ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

जी हां । शासन के अन्य विभागों द्वारा भी वित्तीय नियम संग्रह खंड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 (21) (III) के अन्तर्गत जिन परिलब्धियों को वेतन की संज्ञा दी गई है, जैसे नान-प्रैक्टिसिंग वेतन तथा पोस्ट ग्रेजुएट वेतन, उनका आगणन महंगाई भत्ते के प्रयोजनार्थ नहीं किया जाता । पुलिस विभाग में विशेष सेवा भत्ता भी उक्त मूल नियम के अन्तर्गत ही वेतन माना गया है । अतः उस पर महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं है । इस प्रकार कोई असंगति नहीं है और उसे दूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, शासनादेश संख्या न/अ/422/10 एस0/100/6/75, दिनांक 8-3-77 के प्रस्तर 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि ये आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई भत्ता कुछ विशेष सेवा भत्ता पर देय है, जो वित्तीय नियमावली खण्ड (2) भाग (2) के मूल अधिनियम (9) (1)/1 के अन्तर्गत किया गया है। शासनादेश के तहत तो स्वीकृति मिली है, लेकिन जिस महंगाई भत्ता को काटने और बंद करने का प्रश्न है यह सिर्फ पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या 3/क/344/75, दिनांक 26-10-77 के अनुसार विशेष सेवा भत्ता पर मंहगाई भत्ता दिया जाता था। पहले उसके बारे में शासनादेश कोई नहीं हुआ शासनादेश एक हुआ था, उसके तहत देय था। पुलिस मुख्यालय के आदेश के तहत इसको बन्द कर दिया गया, तो प्रश्न यहां यह उठ गया कि शासनादेश जो है, वह लागू होगा या पुलिस मुख्यालय का आदेश लागू होगा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो शासनादेश ही लागू होगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मार्च 77 में जब यह मुख्यालय में आदेश जारी हुआ था, उस समय माननीय नारायणदत्त तिवारी ने स्पष्ट लिखा था वित्त सचिव को, कि इन लोगों की मेहनत और परिश्रम को देखते हुए इनका पैसा न काटा जाय। जो मंहगाई भत्ता काटा जा रहा था, उस पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने स्पष्ट कहा था। म माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस शासनादेश का जिक्र मैंने किया है, उस शासनादेश का अवलोकन करते हुए उनको अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, उस शासनादेश के अन्तर्गत जो भी बातें है, उसका पूरा पालन हो रहा है। यदि इसमें कोई विसंगति पैदा हो रही है तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्पष्ट बात तो हुई नहीं। क्या जिस शासनादेश का जिक्र मैंने किया है, क्या माननीय मन्त्री जी उसका अवलोकन करके उस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, उस शासनादेश में जो भी निर्देश होंगे, उसका पालन किया जायगा।

डिग्री कालेज तथा इण्टरमीडिएट कालेज की प्रयोगशाला के डिमांस्ट्रेटर का कार्य तथा उनकी श्रेणी

*3—श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त तथा श्री जटाशंकर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि डिग्री कालेज तथा इन्टरमीडिएट कालेज की प्रयोगशाला के डिमांस्ट्रेटर शिक्षक श्रेणी में आते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इनका कार्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां। यू0 जी0 सी0 द्वारा डिमांस्ट्रेटर को शिक्षकों की श्रेणी में सबसे कनिष्ठ स्थान पर क्रम-बद्ध किया गया है।

डिमांस्ट्रेटर प्रवक्ता की भांति विषय के पाठ्यक्रम पर व्याख्यान (लेक्चर) नहीं देते बल्कि केवल प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने तथा छात्रों को प्रायोगिक कार्य में सहायता करने का कार्य करते हैं।

जल संस्थान कर्वी, बांदा के कर्मचारी (श्री चन्द्रभान सिंह) की हत्या के प्रयास के विरोध में विभाग के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक प्रदर्शन

*4—श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-8-80 को जल संस्थान, कर्वी, जिला बांदा के कर्मचारी (श्री चन्द्रभान सिंह) के मकान 41/494/ पुरानी कर्वी में कुछ व्यक्ति प्रवेश कर उनकी हत्या एवं मकान में अवैधानिक कब्जा करने का प्रयास किया जिसके प्रतिरोध में विभाग के सभी कर्मचारियों ने 15-8-80 को सामूहिक प्रदर्शन किया? यदि हां तो वे व्यक्ति कौन थे और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत आशय की कोई रिपोर्ट न तो थाना कर्वी पर पंजीकृत कराई है और न ही जांच से घटना की पुष्टि हुई है।

दिनांक 15-8-80 को जल संस्थान विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।

मामला विवादग्रस्त मकान का है जिसके संबंध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत मकान कुर्क भी किया जा चुका है।

दारुलशफा स्थित बंगलों में अनधिकृत कब्जे तथा बंगलों के आवंटन की नीति

*5—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दारुलशफा स्थित बंगलों में 20 जून, 1980 को कौन-कौन लोग आवंटन के आधार पर रह रहे हैं और कौन-कौन लोग बिना आवंटन के बंगलों पर कब्जा जमाए हुए हैं और क्या सरकार इन बंगलों के आवंटन में किसी निश्चित नीति का अनुसरण करने की बात सोच रही है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

दारुलशफा स्थित बंगलों में दिनांक 20-7-80 को संलग्न सूची "क" के अनुसार 11 अध्यासी आवंटन के आधार पर तथा सूची "ख" के अनुसार एक अध्यासी भूतपूर्व मुख्य मंत्री की हैसियत से दी गयी अनुमति के आधार पर व सूची "ग" के अनुसार 5 अध्यासी बिना आवंटन के आधार पर रह रहे थे। इन बंगलों का आवंटन शासन द्वारा बंगलों की उपलब्धता तथा आवश्यकता को ध्यान में रख कर गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 297-298 पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि श्रीमती मोहसिना किदवई और पं० कमलापति त्रिपाठी जी को किस गुण के आधार पर आवंटन किया गया है? यदि यह आवंटन कांग्रेस "दल" के आधार पर किया गया है, तो क्या दूसरों को भी आवंटित करने का कष्ट करेंगे?

श्री जगदीश प्रसाद—

मान्यवर, श्रीमती मोहसिना किदवई को, जब वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थीं, तब उनको आवंटन किया गया था और माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी जी भूतपूर्व मुख्य मन्त्री रह चुके हैं, इसलिए यह इनके अध्यासन में है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि श्रीमती मोहसिना किदवई अब अध्यक्ष नहीं रह गयी हैं, उनके नाम आवंटन निरस्त करेंगे?

श्री जगदीश प्रसाद—

मान्यवर, दल के आधार पर जिस दल में कम से कम 100 विधायकगण होते हैं, तो 100 विधायकों पर एक बंगले का आवंटन किया जाता है, तो उसी आधार पर अभी यह उनके अधिकार में पड़ा हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इन बंगलों के आवंटन के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है, जैसाकि उत्तर आया है। "ग" में एक सूचना दी हुई है, जिसमें आप कहते हैं कि 5 अध्यासी बिना आवंटन के आधार पर रह रहे थे, तो उनको उन बंगलों से हटाने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है ? कोई कसौटी हुए बिना भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों को घर देंगे, यह एक अलग बात है लेकिन कोई मुख्य मन्त्री किसी घर विशेष पर कब्जा किए हुए है, जोकि कानून के विपरीत है, तो क्या यह भी आपकी नीति है कि जिस बंगले पर जो कब्जा है, उसी को नियमानुसार उ आवंटित कर देंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, जिसमें यह लोग काबिज हैं, उसका पहले से ही आवंटन है, बिना आवंटन के कोई रहता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या यह दोनों बंगलों से सम्बन्धित जो सवाल हैं, इन दोनों के बीच में जब जनता पार्टी का शासन था तो दोनों को ही डिसलाज करने के आदेश दिए गये थे और प्रक्रिया भी अपनाई गयी थी, जिसका पालीटिकल सर्किल में काफी विरोध हुआ था ? क्या माननीय मन्त्री जी ने अब दुबारा जाब्ते कायदे में एलाटमेंट का आर्डर दिया है या पहले ही के समान अनअथ-राइज्ड तरीके से काबिज हैं ? यदि दुबारा आर्डर दिया है, तो किस किराए पर दिया है, जो आर्डिनरी किराया है उस पर ही दिया है या उससे कुछ बढ़ा दिया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, बंगला नं0 6 श्रीमती मोहसिना किदवई जी को दिया गया है, जिसका मानक किराया 481.50 रुपए है, जलकर 38.80 रुपए प्रति माह है। इसका 24-10-79 को आवंटन हुआ था और तभी से यह उनके कब्जे में है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं जानना चाहताहूं कि बीच में जो डिसलाज करने की प्रक्रिया अपनाई गयी थी उसके बाद क्या कोई पुनर्आवंटन उनको वह किया गया या पुराने आवंटन को रेगुलराइज कर दिया गया है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

वही कान्टीन्यू कर रहा है, जो एलाटमेंट पुराना हुआ था।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आश्चर्यजनक बात है कि मन्त्री जी ने अभी कहा था कि 100 विधायक किसी दल के होंगे तो उनको एक बंगला इक्सट्रा दे दिया जायेगा। दूसरी बात कही है कि श्रीमती मोहसिना किदवई अध्यक्ष थीं इसलिए एलाटमेंट बंगले का हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हर पार्टी के अध्यक्ष को, जितनी राजनैतिक पार्टी हैं, उनको बंगला एलाट करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद--

इस तरह की संख्या उनकी होती है और मांग करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, वह प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थीं, तो बंगला एलाटमेंट किया गया था लेकिन अब नहीं हैं, इसलिए किन परिस्थितियों में आवंटन बरकरार है ?

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, जैसा निवेदन किया कि गुण अवगुण के आधार पर एलाटमेंट चल रहा है...

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मैं जानना चाहता हूं कि अभी इन्होंने बताया कि विधायकों की संख्या के आधार पर एलाटमेंट किया जाता है, नेताओं को, तो राम नरेश यादव और मुलायम सिंह यादव भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और मन्त्री किस आधार पर बंगले में बरकरार हैं ? यदि उनके विधायकों की संख्या इतनी नहीं है तो क्या उनको बंगलों से निकालने की कार्यवाही शासन करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद---

श्रीमन्, यह दारुलशफा के अन्तर्गत बंगले हैं और उसी से सम्बन्धित प्रश्न है। जो पूछा है उसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मन्त्री जी क्या इस बात पर विचार करेंगे कि जब दारुलशफा विधान सभा के नजदीक है, जो राजनीतिक दल इस सदन को रिप्रेजेंट करते हैं उनके संसदीय दल को बंगले एलाट करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद---

मान्यवर, जैसा निवेदन किया कि संख्या के आधार पर प्राविधान है और यदि ऐसी संख्या है और मांग की जाती है तो उस पर विचार करके और गुण अवगुण पर विचार कर के एलाटमेंट किया जाता है।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, अब श्रीमती मोहसिना किदवई अध्यक्ष नहीं हैं और मन्त्री जी ने मानक बताया कि 100 विधायक हों, तो वह अब अध्यक्ष नहीं हैं और श्री विशम्भर नाथ पाण्डेय अध्यक्ष हैं, तो श्रीमती मोहसिना किदवई को किस हैसियत से अब एलाटमेंट है ?

श्री जगदीश प्रसाद---

जैसाकि निवेदन किया कि 24-10-79 को पहले ही आवंटन हो चुका है और अभी वह रह रही हैं और चूंकि कांग्रेस पार्टी की संख्या इस तरह से है, इसलिए उसी आधार पर उसमें उनको रहने दिया जा रहा है।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, 24-10-79 को एलाटमेंट हुआ है, वह अध्यक्ष की हैसियत से हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय रियासत हुसैन जी माननीय मन्त्री जी ने क्या कहा मैंने नहीं सुना मैं इधर सवाल का उत्तर देख रहा था आपने सुना होगा। मैं तो स्वत: उत्तर देख रहा था उसमें लिखा है कि संलग्न सूची (क) के क्रम संख्या 3 पर बंगला नम्बर 6 दारुलशफा के अध्यासी का नाम---श्रीमती मोहसिना किदवई और उसमें विवरण में लिखा है---भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) दल को आवंटित है। तो यह श्रीमती मोहसिना किदवई को आवंटित नहीं है बल्कि दल को आवंटित है।

श्री यदुनाथ---

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आवंटन का तरीका क्या है दारुलशफा में बहुत से अवांछित तत्व रह रहे हैं और शतरंज खेलते रहते हैं तो कब तक इस दारुल-शफा को सिरदर्द शफा बनाते रहेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, क्या कोई बंगला संस्था के नाम से आवंटित होता है या किसी व्यक्ति के नाम से आवंटित होता है ? मेरी सुनिश्चित जानकारी है मान्यवर, कि आवंटन किसी संस्था को नहीं होता है। वह किसी व्यक्ति के नाम से और उत्तर में उन्होंने कहा गुण अवगुण के आधार पर के आधार पर दिया जाता है इसका मतलब होता है। मन्त्री जी का उत्तर मिसलीडिंग है, मान्यवर, आप संरक्षण दें।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आवंटन का आधार क्या है और कौन से लोग उस आधार पर खरे उतरते हैं जो नहीं उतरते हैं उनको डिस्लाज करने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद—

मैंने उत्तर दे दिया है कि बंगले की उपलब्धता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुण अवगुण के आधार पर दिया जाता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आवंटन व्यक्ति को होता है या संस्था को ?

श्री हुकम सिंह—

कांग्रेस आई के पास कितने दफ्तर रहेंगे ?

श्री अकबर अहमद—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वहां जनसंघ का दफ्तर था या नहीं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

हर पहलू को देखकर किया जाता है दल का भी ध्यान रखा जाता है ।

श्री रियासत हुसैन—

दोनों मन्त्री जी कह रहे हैं दल का भी नाम ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

दल का नाम इसमें लिखा है। इसमें, उत्तर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल को आवंटित है यह लिखा है, यह तरीका सही है या गलत है उचित है या अनुचित है। मगर उत्तर जो है वह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल को आवंटित है ।

श्री रियासत हुसैन—

एलाटमेंट आर्डर को पढ़कर सुना दें उससे पता चल जायगा ।

श्री जगदीश प्रसाद—

एलाटमेंट आर्डर इस समय नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसको स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। आप लोग, कृपया बैठ जायं ।

पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुये श्री नागेन्द्र सकलानी तथा श्री भोला राम भरदारी की स्मृति में जनपद टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का प्रस्ताव

*6—श्री विद्या सागर नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार टिहरी गढ़वाल रियासत की सरकार की पुलिस से मुकाबला करते हुए तारीख 11 जनवरी, 1948 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में गोलियां खाकर शहीद होने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के वीर शहीदों नागेन्द्र सकलानी तथा भोलाराम भरदारी की पावन स्मृति में चौरासी दिन तक आमरण अनशन करके शहीद होने वाले श्री देव सुमन की स्मृति में प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाए जाने वाले सार्वजनिक अवकाश की भांति तत्कालीन रियासत के वर्तमान जनपदों टिहरी गढ़वाल तथा उत्तर काशी के अन्दर सार्वजनिक अवकाश प्रतिवर्ष 11 जनवरी के लिए घोषित करने के विषय पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर का जो दूसरा भाग है, उसके सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला बार एसोसिएशन, जिला राजनैतिक दल और जिले की अन्य संस्थाएं शासन को कई वर्षों से--जब से टेहरी रियासत संयुक्त प्रान्त में सम्मिलित की गयी--लगातार यह मांग प्रस्तुत कर रही हैं, तो माननीय मन्त्री जी किस का प्रस्ताव चाहते हैं ताकि इन वीर शहीदों की याद में 11 जनवरी को छुट्टी का दिन घोषित कर सकें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, दो तरह के अवकाश घोषित किए जाते हैं--एक तो स्थानीय अवकाश होते हैं और एक राज्य स्तर के अवकाश होते हैं। श्री नागेन्द्र सकलानी के बारे में लोकल अवकाश घोषित करा सकते हैं। वैसे तो हम 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और उसमें सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि हमारे देश में इतने ज्यादा महानुभावों ने बलिदान किया और उनकी इतनी बड़ी संख्या है कि सबके बारे में कर पाना मुश्किल होगा । इसलिए एक दिन कर लेते हैं। जहां तक स्थानीय सवाल है, उसमें स्थानीय महत्व की बात है और उसमें अवकाश घोषित करने के लिए जिलाधिकारी सक्षम हैं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, इन वीर शहीदों के बलिदान के उपरान्त ही टेहरी रियासत का तख्ता उल्टा और वहां जनता हुकूमत कायम हुई और उसके बाद तत्काल संयुक्त प्रान्त में वह विलीन हुआ। तो ऐसा नहीं कि उनके बलिदान के लिए 30 जनवरी को कर दें। श्री भोला राम भरदारी और नागेन्द्र सकलानी ऐसे वीर हैं जिनके कारण यह रियासत आजाद हुई थी। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि टेहरी और उत्तरकाशी जिलों में इन वीर शहीदों के बलिदान के उपलक्ष में 11 जनवरी को आइन्दा के लिए अवकाश करने के लिए आदेश देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं तो निवेदन कर चुका हूं, इसमें शासन स्तर पर कार्यवाही वांछित नहीं है। इसके लिए जिलाधिकारी सक्षम हैं। अतः माननीय विधायक इसके लिए जिलाधिकारी से कहें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, यह कम्युनिस्ट शहीद थे । श्रद्धेय देव सुमन जी की स्मृति में प्रतिवर्ष 25 जुलाई को बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। चूंकि कम्युनिस्ट को देखकर जिलाधिकारी डर जाते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी सम्बन्धित जिलाधिकारी को निर्देश भेजेंगे कि वे उस दिन छुट्टी दे सकें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जहां तक मान्यवर, शहीदों का सवाल है, उसमें कम्युनिस्ट और नान-कम्युनिस्ट का सवाल नही है । शहीद शहीद होते हैं। वह जिलाधिकारी से इसके लिए कहें । मैं उनकी पूरी सहायता व्यक्तिगत रूप से करूंगा और वह हो जायगा ।

*7--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

(3-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 126 द्वारा उत्तरित)

मेरठ जेल के विचाराधीन बन्दी, श्री रामवीर सिंह, को पुलिस द्वारा मार दिये जाने के कथित प्रयास के सम्बन्ध में जांच

*8—श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामवीर सिंह पुत्र अफलातून सिंह, निवासी ग्राम कठेहरा, थाना दादरी, जिला गाजिबाद, विचाराधीन बन्दी जेल मेरठ ने दिनांक 25-10-80 को जिलाधीश, गाजियाबाद को एक प्रार्थना-पत्र दिया है जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी अग्रसारित की है और उसमें यह आरोप लगाया है कि दिनांक 23-10-80 को अदालत गाजियाबाद में पेशी से वापस लाते समय पुलिस के लोग उसे थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद ले गए और रात में उसे गोली से मार देने का प्रयास किया लेकिन वह किसी तरह बच निकला और अगले दिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अदालत में वकील द्वारा हाजिर होकर जेल गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। प्रार्थना-पत्र में लगाए गये आरोपों की जांच कराई गयी । जांच से प्रार्थना पत्र में लगाए गये आरोप सही नहीं पाए गये ।

जांच से यह पाया गया कि विचाराधीन बन्दी रामवीर सिंह को दिनांक 23-10-80 को मेरठ जेल से न्यायालय गाजियाबाद लाया गया था । न्यायालय में पेश करने के बाद सम्बन्धित दो पुलिस कांस्टेबिल उसे इस दिन शाम को वापस मेरठ जेल नहीं ले गए और विलम्ब होना दिखाकर उसे थाना सिहानी गेट के हवालात में रात के लिए बन्द करा दिया । दिनांक 24-10-80 की प्रातः उक्त दोनों कांस्टेबिल जब उसे मेरठ जेल ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उक्त बन्दी एक कांस्टेबिल की साजिश से हिरासत से भाग गया । परन्तु बाद में किसी कारणवश उसने उसी दिन न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में दूसरे कांस्टेबिल की रिपोर्ट पर अभियोग कायम कर विवेचना की जा रही है। दोषी कांस्टेबिल को निलम्बित करके जेल भेज दिया गया है।

जनपद मथुरा के गांव पलसों गोवर्धन में एक स्त्री (श्रीमती हरदेवी) द्वारा आत्मदाह

*9—श्री ऊदल तथा श्री बदन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पलसों गोवर्धन, जिला मथुरा में एक स्त्री हरदेवी 19 अगस्त, 1980 को आत्मदाह करके मर गयी और इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोई खास व्यवस्था नहीं की और अब उक्त स्थान को तीर्थ स्थल बनाने की प्रक्रिया में बढ़ावा दे रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-8-80 को श्रीमती हरदेवी, पत्नी स्वर्गीय श्री राधेश्याम अहिवासी ब्राह्मण, निवासी पलसों, थाना गोवर्धन अपने पति की चिता पर स्वयं भस्म होने के लिए बैठ गयी। पुलिस ने हस्तक्षेप कर श्रीमती हरदेवी को चिता से उतारा। उनके विरुद्ध अपराध संख्या 158 धारा 309 भा0दं0वि0 कायम किया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। श्रीमती हरदेवी को चिता से अलग करने के पश्चात् उसी दिन सायंकाल उनके मृत पति के शरीर को चिता में जला दिया गया। श्रीमती हरदेवी की दिनांक 18-8-80 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, पंचम, मथुरा की अदालत में जमानत स्वीकार हुई और वह अपने परिवार जनों के साथ वापस पलसों लौट गयीं। दिनांक 19-8-80 को श्रीमती हरदेवी गांव वासियों की भीड़ की उपस्थिति में अपने पति की बुझी हुई चिता की राख पर बैठ गयीं जिसकी सूचना मिलने पर थाना गोवर्धन की पुलिस मय थानाध्यक्ष के वहां पहुंच गयी। रात्रि के करीब 8 बजे पुलिस एवं ग्रामवासियों की भीड़ के समक्ष श्रीमती हरदेवी के शरीर से स्वतः अग्नि प्रज्ज्वलित हुई और उसके सारे शरीर में फैल गयी और वह अग्नि को समर्पित हो गयीं ।

शासन द्वारा इस घटना की जांच, अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

जिला प्रशासन वहां तीर्थ स्थल बनाने का कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मन्त्री जी के इस उत्तर के सन्दर्भ में आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि श्रीमती हरदेई जब सती हुयीं, तब उनके पास पुलिस के दो सिपाही मौजूद थे, तो क्या उन दो सिपाहियों ने उनको ऐसा करने से रोका नहीं ? यदि नहीं रोका, तो उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

आप इस बात को माने या न मानें कि उनके बदन से स्वतः आग निकली, तो ऐसी स्थिति में सिपाही उनको क्या रोकता ?

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यही तो सरासर गलत है, कहीं आज तक ऐसा भी हुआ है कि आग स्वतः बदन से निकले। यह आंख में धूल झोंकने वाली बात है ।

श्री अध्यक्ष--

इसी बात की जानकारी के लिए तो जांच कराई जा रही है अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा। आप बैठें, कृपया जिसका प्रश्न है, उसे भी पूछने दें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, घटना स्थल पर जबकि दो सिपाही मौजूद थे, तो उन्होंने उसको बचाने के कोई प्रयास नहीं किए और दूसरी बात यह कही जा रही है कि उसके बदन से स्वतः आग निकली, तो मान्यवर, यह बात समझ में आने वाली नहीं है, जब उसको चिता से निकाल कर पुलिस थाने ले गयी, तब वहां आग स्वतः नहीं निकली, जब छोड़ दी गयी और घर आ गयी, तब आग स्वतः नहीं निकली । और जब बुझी हुई राख पर बैठी, तब आग स्वतः नहीं निकली । लेकिन रात्रि के 8 बजे स्वतः आग निकल आई । यह समझ में किसी भी तरह से आने वाली बात नहीं है, ऐसा भी कहीं हो सकता है, इस वैज्ञानिक दौर में ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं, क्या हम उनसे यह जवाब दिला दें कि उनके शरीर से आग क्यों निकली ? और जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, उन्हें कृपया पूछने का अवसर दें ।

(व्यवधान)

श्रीमती महारानी दोहरे--

जब एक बहन हमारी सती हो गयी, तो आपको क्या परेशानी है, आप लोग भी सती हो जाइए ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया सुन लें, आप भी बैठें और सभी माननीय सदस्य बैठ जायें। इस प्रश्न पर दो माननीय सदस्यों ने उत्सुकता दिखाई थी, वह अभी मौजूद नहीं हैं। फिर माननीय सदस्य, श्री राना जी ने उत्सुकता दिखाई, उनको अवसर दिया गया और अब उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है, श्री बदन सिंह जी ने, इन्हें भी कृपया पूछने का अवसर दें ।

जिन्होंने प्रश्न किया है, उन्हें नहीं पूछने दे रहे हैं और अब आप उत्सुकता दिखा रहे हैं, जिनका प्रश्न है उन्हें पूछने दीजिए ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि पुलिस स्वयं भीड़ के सम्मुख खड़ी रही और हरदेवी के बदन से स्वतः अग्नि प्रज्ज्वलित हो गयी। इस बीच निकट स्थित पवित्र भूमि से कोई व्यक्ति साधू वेश में श्रीमती हरदेवी के निकट में आकर एकान्त में उससे मिल गया था, तो पुलिस ने उसे क्यों नहीं रोका ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

साधुवेश में कोई व्यक्ति गया था इसकी जानकारी शासन को नहीं है, अपराध अनुसन्धान विभाग से जांच कराई जा रही है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सामने आ जायेगी।

श्री बदन सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोवर्धन पुलिस ने किसी साधु को गिरफ्तार किया है और उसने क्या बात बताई है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में गोवर्धन की पुलिस ने किसी साधु को गिरफ्तार किया है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री जयदीप सिंह--

अगर शासन इस बात में विश्वास रखता है कि उसके बदन से अग्नि प्रज्ज्वलित हुई तो फिर पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, शासन को इसमें विश्वास नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि बिना चिता के रहे ही वहां पर बैठकर अग्नि प्रज्ज्वलित हो रही है, इसके लिए सोचना पड़ता है।

श्री हुकम सिंह--

अग्नि तो उधर प्रज्ज्वलित हो रही है। मैं तो केवल यह पूछना चाहता हूं कि जिस साधु के बारे में श्री बदन सिंह जी ने जिक्र किया, तो क्या माननीय मन्त्री जी को इस की जानकारी है कि वहां की पुलिस ने किसी साधु को गिरफ्तार किया ? यदि किया, तो उसने क्या बयान दिया ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, यह तो बहस पूरी है कि वह सती हुई, अब सती होने के बाद में माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वहां के लोगों की भावना के अनुरूप, जैसाकि आपने उत्तर में दिया है, कोई दर्शनीय स्थल बनाने की सरकार की ओर से कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर इस उत्तर में निहित है कि प्रशासन वहां तीर्थ-स्थल बनाने के लिए कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है।

श्री मित्र सेन--

मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि अग्नि स्वयं प्रज्जवलित हो गयी तो उस अग्नि को प्रज्जवलित होते किसने देखा, किसका बयान है कि अग्नि प्रज्जवलित हुई, किसने देखा इसको ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

वहां उपस्थित लोग जो थे, उन लोगों ने बताया है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बीच में क्या व्यवस्था का प्रश्न होता है, आप तो पुराने सदस्य हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बताया है कि उस सती के शरीर से स्वतः अग्नि प्रज्वलित हो गयी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज के विज्ञान के युग में यदि शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो गयी तो, स्वीकार तो करना ही है क्योंकि सदन में बताया है, लेकिन शरीर के किस अंग से अग्नि प्रज्वलित हो गयी ? इसका मान्यवर, उत्तर दिलवा दें।

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

जो प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं, दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, टाल गए हैं मन्त्री जी। एक महिला ने मान्यवर, आत्मदाह किया और कहना चाहिए मान्यवर, कि एक तरह से आत्म हत्या की, आपने सुना है कि किसी के शरीर से आग प्रज्जवलित हो गयी ? सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। तो माननीय मन्त्री जी यह बतायें कि आग प्रज्जवलित होते किसने देखा ? 10-20 के नाम तो बता दें। मान्यवर, प्रश्न स्थगित करने योग्य है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न की गम्भीरता को और महत्व को देखते हुए इसे स्थगित कर दें।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, परसों, गोवर्धन, जिला मथुरा में एक स्त्री हरदेवी 19 अगस्त, 1980 को आत्मदाह करके मर गयी और उसकी सम्मानित सदन में चर्चा हो रही है। एक तो विरोध पक्ष की आदत होती है कि महिलाओं की कोई भी बात हो कहीं न कहीं से लेकर चर्चा का विषय बना लेते हैं। मैं मान्यवर, केवल एक चीज पूछना चाहती हूं, एक स्त्री सती हो गयी, सती होने के बाद मैं एक बात जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी के पास उनके परिवार का किसी प्रकार का कोई क्लेश, संघर्ष की कोई रिपोर्ट है जिसके आधार पर वह सती हो गयीं क्योंकि सती प्रथा मान्यवर, हम भारत में रहते हैं और एक सम्मानित स्त्री सती हो गयी तो उसके सती होने के बाद सदन में वह चर्चा का विषय हो तो स्त्री होने के नाते जरूर दुख होता है. . . . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

यह आत्मदाह का अधिकार मांगती हैं, इनको दिलवा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अगर कोई पारिवारिक संघर्ष की रिपोर्ट पुलिस में दज हो तो बता दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन और सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि किसी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि सती प्रथा कानून में अपराध की शक्ल में रखा गया है। इसलिए इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है और सी0आई0डी0 जांच के आदेश शासन ने इसलिए दिए हैं ताकि हर चीज उसमें स्पष्ट हो जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर दिया है कि अपने आप आग प्रज्जवलित हो गयी, तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, क्या यह उत्तर जो वैज्ञानिक तथ्यों से परे है, दिया जाना मुनासिब है, इस प्रकार का उत्तर दिया जाना अपेक्षित है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मोहन सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि सती प्रथा कानूनन प्रतिबन्धित है और काफी संघर्ष के बाद यह कानून बना था, तो क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि वहां पर एक मन्दिर बनाया जाय, इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और जिला प्रशासन के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें हैं? क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि उस कमेटी की अध्यक्षता वहां के परगनाधिकारी कर रहे हैं और स्थानीय जनता से चन्दा वसूल कर के अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मन्त्री जी यह जानते हुए और देखते हुए कि इसमें मोटिव, इन्टेंशन और कान्सपिरेसी तीनों चीजें शामिल हैं और जैसाकि कहा गया कि जब दुबारा वह सती होने गयी तो उसके साथ एक बड़ा हुजूम, पुलिस, पब्लिक सारे लोग गय और उनके मरने के बाद जैसा कि माननीय मोहन सिंह ने कहा, उस प्रश्न को जोड़ दीजिए तो क्या इन सबको लेकर आप बड़े पमाने पर किसी इंक्वायरी के आदेश देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, सी0आई0डी0 की जांच हो रही है लेकिन अगर और भी कोई गम्भीर बात होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री बदन सिंह---

मान्यवर, मैंने मन्त्री जी से यह निवेदन किया कि क्या मन्त्री जी और शासन और प्रशासन दोनों अन्धविश्वास में विश्वास कर रहे हैं और इसी की वजह से एक स्त्री ने आत्मदाह कर लिया और अब वहां के कलेक्टर ने एक कमेटी बना दी जो चन्दा एकत्रित करे और उस स्थान पर मन्दिर बनाये। इस पर मेरे द्वारा और माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर मन्त्री जी नहीं दे सके तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप पूर्ण जानकारी लेने के लिए इस प्रश्न को स्थगित करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए थे, उसके सब उत्तर लिखित भी और सब निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया गया। माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न में एक बात कही कि कोई साधू वहां पर आये और उनके वहां पहुंचने के पहले वह मिले, इसकी जानकारी नहीं है। शासन और प्रशासन बिल्कुल अन्धविश्वासी नहीं है और न ही विश्वास करता है, यदि अन्धविश्वास में विश्वास करता तो सी0आई0डी0 की जांच के आदेश न करता ।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसाकि उन्होंने स्वीकार किया कि पहली बार वह जमानत पर छूटीं तो क्या यह जानकारी है कि जब वह दुबारा जलने गयीं तो क्या वह जमानतदार साथ गये? यदि हां, तो उन जमानतदारों के खिलाफ अबतक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उनके जेल भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, उन जमानतदारों ने किस लिए जमानत न्यायालय से ली है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना माननीय न्यायालय का काम है, वह जो भी आदेश देंगे, हम उसका पालन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न में दो बातें पूछी गयी थीं। एक बात यह पूछी गयी थी कि कोई साधु उस से पहले मिला था। दूसरी बात यह है कि क्या जिलाधीश ने कोई कमेटी बनाई, चन्दा वसूल करके मन्दिर बनाने के लिए। जहां तक इस प्रश्न में यह बात कि स्वतः आग निकली

यह वास्तव में आश्चर्यजनक बात है। इस आश्चर्यजनक बात के साथ-साथ जब उसकी जांच हो रही थी कोई साधु पकड़ा गया, न ही पकड़ा गया, यह बात भी एक मुख्य बात हो जाती है, इसकी जानकारी होती और यह बात भी मुख्य बात हो जाती है कि जिलाधीश ऐसी कमेटी बना रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी भी होती। चूंकि आपने बताया कि जानकारी नहीं है, इसलिए इसको स्थगित कर देता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर की टाउन एरिया थाना भवन के भूतपूर्व चेयरमैन (श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता) के विरुद्ध दर्ज गबन का मुकदमा

*10—श्री हुकम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन में टाउन एरिया थाना भवन के सेक्रेटरी महाबीर सिंह द्वारा दिनांक 27-12-77 को टाउन एरिया के भतपूर्व चेयरमैन के विरुद्ध धन के दुरुपयोग एवं गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस सम्बन्ध में दिनांक 22-9-80 के पत्रांक डी0के0ज0/1980 के द्वारा शासन को भी ज्ञापन दिया गया था? यदि हां, तो उक्त मामले की विवेचना किस एजेन्सी द्वारा कराई गयी है एवं विवेचना में अभी तक क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महाबीर सिंह की तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 27-12-77 के आधार पर दिनांक 29-12-77 को श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, भूतपूर्व चेयरमैन टाउन एरिया के विरुद्ध थाना भवन पर धारा 409 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस सम्बन्ध में डा0 सोमदत्त गुप्ता का ज्ञापन दिनांक 22-9-80 भी प्राप्त हुआ है। विवेचना सम्बन्धी अभिलेख टाउन एरिया थाना भवन एवं मुख्य कार्यालय, मेरठ से उपलब्ध न हो सकने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना, जो स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है, पूर्ण नहीं हो सकी है तथा अभी प्रचलित है।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्यवाहक मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि मान्यवर, इस प्रकार के मामलों में प्रभावशाली व्यक्ति भारी धन का दुरुपयोग कर किस तरह बचे रहते हैं, 27-12-77 को यह मुकदमा कायम कराया गया था और देवेन्द्र कुमार के खिलाफ आरोप था कि उसने हजारों रुपए का गबन किया। विवेचना पूर्ण न करने का कारण यह बतलाया गया कि अभिलेख उपलब्ध न हो सके। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 29-12-77 से अब तक जबकि तीन साल के ऊपर का मामला हो गया, यह अभिलेख प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अमल में लाई गयी? यदि नहीं, लाई गयी, तो क्यों? अभिलेख थाना भवन में उपलब्ध थे। थाना भवन से उपलब्ध न कर सकने का क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

थाना भवन में अभिलेख नहीं हैं। वह स्वायत्तशासी निकाय है और स्वायत्तशासी निकायों का अपना एकाउन्ट होता है। उस एकाउन्ट को उनसे मांग कर, जब्त कर के उपलब्ध कराया जा सकता है। 1977 से इसकी कार्यवाही की गयी है। उनसे लिखा पढ़ी हुई। मेरठ से नहीं मिले थे। अभी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है लेकिन इस पर प्रभावकारी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि देवेन्द्र कुमार गुप्ता के खिलाफ वहां की स्थानीय पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी लेकिन कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के कहने से चार्जशीट को वापस भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है। मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या आप स्पष्ट निर्देश स्थानीय पुलिस को देंगे कि जल्दी से जल्दी अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अपने को सम्बद्ध करता हूं और जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल करने के लिए कहा जायगा ।

जिला बस्ती में बांसी-तेतरी मार्ग पर बाढ़ से बही सड़क के निर्माण में धन के दुरुपयोग की जांच

*11--श्रीमती कमला साहनी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में बांसी--तेतरी मार्ग पर ककरही पुल के पास दो वर्ष पूर्व बाढ़ से जो सड़क बह गयी थी उसके निर्माण में लाखों रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मुझे सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

15 दिन के अन्दर फिर प्रश्न आयेगा ।

जिला देवरिया के ग्राम भगड़ा के नोकर नोनिया की थाना तुर्क पट्टी, विशुनपुरा एवं पटहेरवा के थानाध्यक्षों द्वारा कथित हत्या

*12--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना तुर्क पट्टी ग्राम भगड़ा के चोकर नोनिया को दिनांक 29-7-80 को थाना तुर्क पट्टी, विशुनपुरा एवं पटहेरवा के थानाध्यक्षों ने लाठियों से मारा और उसकी जान ले ली जिसकी रपट दिनांक 30-7-80 को 396 आई0पी0सी0 के अधीन तीनों थानाध्यक्षों के खिलाफ लिखाई गयी ? यदि हां, तो घटना क्या है ? तथा थानाध्यक्ष पटहेरवा के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मृतक चोकर नोनिया के पुत्र के प्रार्थना पत्र पर थाना तुर्कपट्टी में 30-7-80 को धारा 396 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें प्रश्नगत थानाध्यक्ष के द्वारा मृतक को लाठियों से मार डालने एवं लूटपाट करने के आरोप लगाए गये हैं। घटना के सही तथ्य अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही विवेचना के उपरान्त ही पता चल सकेगा। अब तक की विवेचना से थानाध्यक्ष पटहेरवा का घटना में सम्मिलित होना नहीं पाया गया है, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चोकर नोनिया के पुत्र ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसे बता दें कि क्या उन्होंने रिपोर्ट लिखायी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, 19-7-80 को 3 बजे सबेरे की यह घटना बताई गयी है और 30-7-80 को 11.45 बजे यह रिपोर्ट लिखाई है इसमें मुख्य-मुख्य बात यह है कि ओ0पी0 शाही, एस0ओ0, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, और टी0ए0 राय एस0ओ0 पटहेरवा सिपाहियों के साथ तथा 40-50 आदमियों के साथ आए जिनके नाम अज्ञात हैं रिपोर्ट लिखा है उनका कहना है कि यह लोग मेरे मकान में आये और एक दरोगा ने उनके पिता को मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके पिता जिनकी उम्र 60 वर्ष है को लाठियों से चोट पहुंचाने लगे, वहीं पर उनकी बहन जो ससुराल से आई थी उनको भी चोट लगी और दूसरे आदमी जो गांव के आए थे उनको भी चोट लगी। उसके बाद पुलिस वाले उनके पिता को ले गये जिनकी बाद में मृत्यु हो गयी ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एफ0आई0आर0 में तीनों दरोगाओं के नाम इस घटना के सम्बन्ध में लिखाए हैं। यह घटना सुनवर्ता का जो सब-इंसपेक्टर मारा गया था उस केस की तलाश में टी0एन0 राय दरोगा अपने साथियों के साथ गये थे। इसमें स्पष्ट है कि टी0एन0 राय स्वयं अपने पुलिस वालों के साथ गये और उन्होंने मारा पीटा जिसमें उनका भी हाथ है। तो क्या इस पूरे मामले की जाँच करायेंगे कि टी0एन0 राय उसमें थे कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, जो जी0डी0 में इन्ट्री कराई है उसमें उनका होना नहीं पाया गया है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है। वहां जाने का कारण जो दिया है पुलिस ने उसमें भीखम नोनिया जिसने सब इंसपेक्टर छोटे लाल की हत्या कर दी थी पुलिस उसकी तलाश में गयी थी और वहां पता चला कि उन्होंने छिपाया है पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने पकड़ भी लिया था, लेकिन उन लोगों ने मारपीट करवा कर उसे छुड़ा लिया।

श्री नन्द किशोर सिंह—

यही कहना है कि टी0एन0 राय वहां थे।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि इसकी जांच की जा रही है।

*13—श्री सत्य पाल सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जिला अल्मोड़ा के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों को नियुक्ति दिये जाने का आश्वासन

*14—श्री जसवन्त सिंह विष्ट (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद के बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों ने काम पर लिए जाने के लिए 5 सितम्बर, 80 को आमरण अनशन, 18 सितम्बर, 80 को द्वितीय आमरण अनशन किया है ? क्या यह सही है कि शासन ने उन्हें 17 नवम्बर, तक सभी प्रशिक्षित बी0टी0सी0 बेरोजगारों को नियुक्ति दिए जाने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अपना आश्वासन पूर्ण कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

जनपद अल्मोड़ा में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार दिए जाने हेतु 6 सितम्बर, 1980 को आमरण अनशन तथा पुनः 19 सितम्बर, 1980 को आन्दोलन प्रारम्भ किया। शासन द्वारा 17 नवम्बर, 1980 तक इन बेरोजगार बी0 टी0सी0 प्रशिक्षितों को रोजगार दिलाए जाने का आश्वासन तो नहीं दिया गया था, किन्तु जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने अपने रेडियोग्राम दिनांक 8-9—80 में सूचित किया था कि स्थानीय संसद सदस्य श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत के अनुरोध पर, 5 सितम्बर, 1980 से चलाया गया आमरण अनशन दिनांक 8—9—80 को समाप्त कर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं बिखरी जनसंख्या को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा इन बेरोजगार बी0 टी0सी0 प्रशिक्षितों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु छात्र अध्यापक अनुपात के वर्तमान मानक को शिथिल करते हुए 8 पर्वतीय जिलों के 1500 फीट से अधिक ऊंचाई

वाले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में एक और अतिरिक्त अध्यापक की तैनाती के आदेश दिनांक 4–2–81 को जारी किए जा चुके हैं। इन आदेशों के फलस्वरूप जनपद अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में 191 एक अध्यापकीय प्राइमरी स्कूलों में 191 अध्यापकों की नियुक्ति की सम्भावना है और ये पद नये खोले जाने वाले प्राइमरी स्कूलों हेतु सृजित पदों के अतिरिक्त होंगे।

बस्ती जिले में रुधौली मार्ग के निर्माण में किसानों की भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजा

*15—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

सप्तम विधान सभा के जनवरी, 1980 के सत्र के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के 7 वर्ष बाद भी भू-अर्जन/भू-अधिग्रहण कार्यवाही अभी तक पूर्ण न करके किसानों को मुआवजा न दिए जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कब तक किसानों को मुआवजा का भुगतान कर दिया जायगा?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*16—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

[24–2–81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धन का भुगतान

*17—श्री रघुबीर सिंह यादव तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी के कर्मचारियों का अनिवार्य जमा योजना सी0डी0एस0 की करीब 30 लाख रुपया जमा धनराशि 1972 से अप्रैल, 1977 तक की अभी तक नहीं मिली है कि जब अन्य विभागों को भुगतान किया जा चुका है और सरकार की तरफ से भी इनके एक ही **बार** में सम्पूर्ण भुगतान के आदेश 1978 में हो चुके हैं? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को कब तक भुगतान किया जा सकेगा?

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सन् 78 में आदेश भी हो चुके हैं। मेरा प्रश्न बड़ा सरल था और इसमें सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका उत्तर आप दिला दें।

श्री सच्चिदानन्द—

इसमें सूचना नहीं मिल पाई थी। इसलिए उसके आने पर ही आपको बता सकता हूं।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा —

1978 में आदेश हो चुके थे, अब तक क्यों नहीं हुआ, इसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष—

इन्हीं का तो पता लगाया जायगा कि विलम्ब क्यों हुआ 15 दिन के बाद फिर यह प्रश्न आयेगा।

श्री सच्चिदानन्द—

इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी को आदेश दिए गये थे। वहां से सूचना नहीं मिल पा रही है। जिसने देरी की, हमने उस सम्बन्ध में कार्यवाही भी की है।

*18—श्री गोवरधन—

(मन्त्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त)

प्राइमरी विद्यालय योजना के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों में नगर क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय

*19—श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राइमरी विद्यालय योजना के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों में नगर क्षेत्र में कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं। विगत 10 वर्षों में प्राइमरी विद्यालय खोलने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगर क्षेत्र में 286 प्राइमरी विद्यालय खोले गये हैं। अतः नगर क्षेत्रों में प्राइमरी विद्यालय न खोलने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जौनपुर में गोमती सेतु के पहुंच मार्ग के लिये मोहल्ला हुसैनाबाद की भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*20—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में गोमती सेतु पहुंच मार्ग तक निर्माण हेतु मोहल्ला हुसैनाबाद में पड़ने वाली सभी आराजी को अर्जन करके भूस्वामियों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दे दिया जायगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जिला जौनपुर में गोमती सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए ग्राम हुसैनाबाद की 10—97 एकड़ स्थायी रूप से अर्जित भूमि के 47024 रुपए (राउन्ड) देय प्रतिकर की धन-राशि में से 32,199 रुपए (राउन्ड) का वितरण भूस्वामियों को किया जा चुका है और शेष 14,825 रुपए (राउन्ड) को आर0डी0 के मद में जमा कर दिया गया है। इसी ग्राम की छूटी हुई अन्य 0.33 एकड़ स्थायी भूमि अर्जन की अधिसूचनायें भी शासन द्वारा दिनांक 26 व 27 मार्च, 1981 को जारी कर दी गयी हैं। इस भूमि के अर्जन की अग्रिम कार्य-वाही भी शीघ्र पूरी करके प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस भूमि का कब अर्जन किया गया था ? दूसरे जो यह बताया गया है कि 14,825 रुपए जो आर0डी0 के मद में जमा कर दिया गया है, क्या यह धनराशि उन व्यक्तियों की मरजी से जमा कराई गई है जिनकी जमीन ली गयी थी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन, यह व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाये। उनके न आने की वजह से उस धनराशि को आर0डी0 में जमा कर दिया गया है।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी आर0डी0 में जमा धनराशि को उनको वापिस करने की कृपा करेंगे ? दूसरे, जो मैंने सवाल किया था कि भूमि का कब अर्जन किया गया, यह बता दें ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जो आर0डी0 में जमा धन है, अगर वह प्रार्थी जिन के नाम से वह धनराशि है, यदि वे चाहेंगे, सूचना देंगे तो उनको वह धनराशि अदा करने के आदेश दे दिए जायेंगे। मान्यवर, गोमती सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु सन् 74 में स्वीकृति दे दी गयी थी। कब भूमि अधि-ग्रहीत हुई, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु संयुक्त परामर्श संगठन का गठन

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपा बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु किसी स्थाई सयुक्त परामर्शदात्री समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी रुपरेखा तथा अधिकारिता क्या होगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों को पारस्परिक वार्तालाप तथा विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाये जाने के उद्देश्य से संयुक्त परामर्श संगठन स्थापित किये जाने के आदेश दिनांक 11 मार्च, 1981 को निर्गत कर दिये गये हैं । इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर एक शीर्षस्थ "राज्य-संयुक्त-संगठन" है जो सभी विभागों के कर्मचारियों की सामूहिक सामान्य-सेवा-समस्याओं पर विचार करेगा । प्रत्येक विभाग स्तर पर एक "वैभागिक-संयुक्त-संगठन" की भी रचना है, जो विभाग विशेष के कर्मचारियों की सामूहिक सेवा-समस्याओं पर विचार करेगा, तथा "सचिवालय—संयुक्त—संगठन" द्वारा सचिवालय के कर्मचारियों की सामुहिक सेवा समस्याओं पर विचार किया जाएगा । इन संयुक्त परामर्श संगठनों में राजकीय पक्ष एवं कर्मचारी पक्ष होंगे । ये संगठन कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सामूहिक मामलों को आपसी वार्तालाप तथा विचार विमर्श के माध्यम से सुलझायेंगे ।

संयुक्त-परामर्श-संगठनों की उपरोक्त रूप रेखा तथा अधिकारिता कर्मचारियों की सामूहिक-सेवा-सम्बन्धी-समस्याओं के सुझालाये जाने हेतु एक सशक्त तथा सौहार्द्रपूर्ण माध्यम के रूप में है ।

श्री हुकम सिंह—

इस संगठन को गठित करने का उद्देश्य क्या है ? उसमें आपके कितने सदस्य हैं और कितने-कितने सदस्य कर्मचारी पक्ष के हैं ? तथा वे किन-किन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

उद्देश्य जो मैंने इसमें बता दिया है । इसमें जो मान्यता-प्राप्त संघ हैं, उनके लोग होंगे और इसके अलावा जो अन्य परिसंघ या संघ मान्यता-प्राप्त हो जायेंगे उनके होंगे तथा बाकी विभागीय होंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि कुल कितने स्थान इसमें आप रख रहे हैं और उसमें प्रत्येक पक्षों से कितने-कितने होंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

अब तक जो वार्तालाप से रूप बना है, उसके अनुसार राज्य संयुक्त संगठन में राजकीय पक्ष के सदस्यों की संख्या 10 होगी तथा कर्मचारी पक्ष में मान्यता प्राप्त परिसंघों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का नामांकन, उनके साथ सम्बद्ध संघों की संख्या के आधार पर निश्चित होगा। मुख्य सचिव इस राज्य संयुक्त संगठन के अध्यक्ष होंगे । यह संगठन सभी विभागीय कर्मचारियों के सामूहिक सामान्य सेवा समस्याओं के निराकरण हेतु होगा। विभागीय संयुक्त संगठन में राजकीय पक्ष के सदस्यों की संख्या 5 से 10 होगी तथा कर्मचारी पक्ष में उस विभाग में विद्यमान मान्यता प्राप्त संघों द्वारा सदस्यों का नामांकन किया जाएगा और विभागीय सचिव इसके अध्यक्ष होंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैंने पूछा है कि कुल कितनी सदस्य संख्या इनमें होगी और मान्यता प्राप्त संघों में से कितने-कितने होंगे ? इस समय जो मान्यता प्राप्त संघ ह उनके सदस्यों की संख्या आप बता दें, आगे जो मान्यता प्राप्त करेंगे, उनकी बात अलग है, इस समय की स्थिति आप बता दें ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मैंने तो नाम भी बता दिये हैं, मान्यता प्राप्त संघों और गैर मान्यता प्राप्त संघों के बारे में भी मैंने यह बता दिया है कि राजकीय पक्ष से तो संख्या 10 नियत है और कर्मचारी पक्ष की संख्या उनके साथ सम्बद्ध संघों की संख्या के आधार पर तय होगी। यह निश्चित संख्या तो मैं तब ही दे सकता हूं जब नाम आ जावें।

श्री मित्रसेन---

मैं जानना चाहता हूं कि यह परामर्शदात्री समितियों का गठन कब तक हो जाएगा, क्यों कि इसमें बिलम्ब करना उचित नहीं है ?

श्री ब्रह्मदत्त---

शासन की ओर से तो 11 फरवरी को आदेश चले गये हैं और मैंने अपने विभागीय संगठनों-सचिवों से भी कहा है कि वे अपने अपने विभाग का गठन करें। तो हमें महासंघों की ओर से नाम मिल जायं, तो हो जाएगा ।

अतारांकित प्रश्न

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ को दिये गये अनुदान का उपभोग प्रमाण पत्र

1---श्री हरगोविन्द वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1968 से 69 में 30 हजार रुपये का अनुदान नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ का उपभोग प्रमाण पत्र भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां, नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज लखनऊ को रु0 30 हजार का अनुदान स्वीकृत हुआ था, जिसका उपभोग प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया क्योंकि विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा अनुदान का समुचित रुप से उपभोग नहीं किया गया।

बोर्ड आफ हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 1980 के अनुक्रमांक 862494 का परीक्षाफल

2---श्री तपेश्वर राम---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश 1980 अनुक्रमांक 862494 का परीक्षाफल घोषित न करने के संबंध में जुलाई, 1980 से शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई और कब तक उक्त परीक्षाफल घोषित कर दिया जाने की संभावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचाना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय जिलों में आई0 टी0 आई0 में अनुदेशकों के रिक्त पद तथा उन पर भर्ती हेतु स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

3---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में आई0 टी0 आई0, में दिनांक 31-1-1981 को किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त थे, उनको न भरे जाने का क्या कारण है तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिये उपलब्ध स्थानीय प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

पर्वतीय जिलों में आई0 टी0 आई0 में दिनांक 31-1-81 को निम्नलिखित विषयों में अनुदेशकों के पद रिक्त थे—

(1)	ड्राफ्टसमैन सिविल	..	2
(2)	रेडियो मैकेनिक	..	1
(3)	इलेक्ट्रानिक्स	..	3
(4)	आशुलिपिक (अंग्रेजी)	..	1
(5)	कटिंग टेंलरिंग (पू0)	..	1
(6)	निटिंग	..	2
(7)	आशुलिपिक (हिन्दी)	..	2
(8)	इम्ब्राइडरी	..	2
(9)	गणित	..	2
(10)	कला	..	1
(11)	वायरलेस आपरेटर	..	1
(12)	विद्युत	..	1
(13)	फार्म मेकैनिक	..	1

निर्धारित अर्हताएं रखने वाले उपयुक्त एवं योग्य अभ्यर्थियों के न मिलने के कारण ये पद रिक्त थे। पदों की भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

4—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

पर्वतीय जिलों में राजकीय पोलीटेक्निक में अध्यापकों के रिक्त पद तथा उन पर स्थानीय अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्ति

5—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में दिनांक 31-1-81 को राजकीय पोलीटेकनिक में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े हुये हैं, उनके न भरे जाने के क्या कारण है क्या इन स्थानों को शीघ्र भरने के लिये इन्हीं जिलों में उपलब्ध प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता देकर शीघ्र नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

पर्वतीय जिलों में चल रहे राजकीय पालीटेकनिकों में दिनांक 31-1-81 को अध्यापकों के 28 राजपत्रित तथा 12 अराजपत्रित पद रिक्त थे। ये पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं। नियमित नियुक्ति होने तक जिन पदों पर अभ्यर्थी तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया अथवा विभिन्न पाठ्यक्रमों के पद विज्ञापित करने पर अर्ह एवं सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए।

राजपत्रित पदों के लिये स्थानीय अर्ह अभ्यर्थियों को अंशकालीन व्याख्याता के रुप में नियुक्त करने की अनुमति प्रधानाचार्यों को दे दी गई है और अराजपत्रित पदों पर पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों को तीन माह तक तदर्थ नियुक्ति करने के लिये प्रधानाचार्यों को अधिकृत कर दिया गया है।

राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर के लिये भवन

6—श्री विजय सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी राजकीय महाविद्यालय कब खोला गया है और अब तक वह किस भवन में चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि भवन के अभाव में उक्त महाविद्यालय का विस्तार और विकास अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां,

तो क्या शिक्षा मन्त्री जी उक्त विद्यालय के लिए शीघ्र भवन बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी (मिर्जापुर) वर्ष 1973 में खोला गया है और यह स्थानीय राजकीय इण्टर कालेज के नव निर्मित भवन के एक भाग में चल रहा है ।

गत पांच वर्षों में गिरती हुई छात्र संख्या की दृष्टि से इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की मांग अत्यन्त न्यून है और विगत 5 वर्षों में छात्र संख्या 75 भी नहीं रही है । अतएव कालेज का विस्तार व विकास अवरुद्ध नहीं कहा जा सकता है । वैसे भवन निर्माण हेतु भमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी बनाये गये लोगों की जिला मजिस्ट्रेट को सूचना

7--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह पुलिस अधीक्षक से बन्दी बनाये गये लोगों की सूचना प्राप्त करें जिससे पुलिस पर नियंत्रण बना रहे। क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 9 जून, 1980 से 2-2-81 तक बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट को बन्दी बनाए गए लोगों की क्या सूचनाएं भेजी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी-मऊ रोड पर नौर घाटपुल पर एक माननीय सदस्य से पथकर की अनियमित वसूली

8--श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-11-80 को एक शिकायती पत्र नौर घाट पुल, झांसी, मऊ रोड के विषय में प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी हां । जांच करायी गई । ठेकेदार को माननीय सदस्य से पथकर नहीं लेना चाहिए था । ठेकेदार को पथकर की धनराशि वापस करने तथा उसके विरुद्ध इस अनियमितता के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये गये है तथा भविष्य के लिए उसको सचेत कर दिया गया है

ग्रामीण अंचलों में स्थित जूनियर हाई स्कूल को अनुदान संबंधी शासन की नीति

9--श्री छत्तर सिंह--

क्या सरकार नीति तय करने जा रही है कि ग्रामीण अंचलों में स्थित जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान देने में वरीयता दी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार आदेश पारित करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

10-11--डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद देवरिया में रुद्रपुर-नरायनपुर मार्ग पर पिपरा और देहरौली पर पुल का निर्माण

12--श्री भास्कर पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में रुद्रपुर-नरायनपुर मार्ग पर पिपरा और देहरौली पर पुल बनाने हेतु टेन्डर दिसम्बर 1980 में हो जाने के बाद भी कार्य नहीं शुरु हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

प्रश्नगत मार्ग पर पिपरा और देहरौली स्थानों पर पुल बनाने हेतु टेन्डर दिसम्बर 1980 में हो जाने के बाद देहरौली स्थान पर पुल निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पिपरा स्थान पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है क्योंकि निविदा निरस्त कर दी गई है।

जिला देवरिया में रुद्रपुर-देवरिया-बरहन मार्ग का निर्माण कार्य

श्री भास्कर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रुद्रपुर-देवरिया-बरहन मार्ग, जिला देवरिया का कार्य तारकोल न मिलने के कारण रुका है। यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक तारकोल का कार्य पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं।

14—श्री भास्कर पांडेय—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

15—श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम सागर—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित)

जनपद बदायूं में वर्ष 1980–81 में नये थानों की स्वीकृति

16—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में वर्ष 1980–81 में कितने नये थाने स्वीकृत हुए ? क्या यह थाने स्थापित किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उनकी व्यवस्था की जायेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद बदायूं में वर्ष 1980–81 में तीन नये थाने स्वीकृत हुये। इन थानों के कार्य क्षेत्र की विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित हो जाने पर ये थाने विधिवत कार्य करने लगेंगे।

जिला देवरिया की पुलिस चौकी भाटपार रानी में दर्ज मुकदमों में कृत्त कार्यवाही

17—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत पुलिस चौकी भाटपार रानी में दिनांक 1–1–77 से 30–1–81 तक कितने मुकदमे किन-किन दफाओं में दर्ज हुए तथा कितने में चार्जशीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयीं ? फाइनल रिपोर्ट लगाने का क्या कारण है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 299 पर)

नवयुग कन्या विद्यालय, डिग्री कालेज, लखनऊ की संचालक कमेटी से हटाये गये श्री भगवत दयाल बैजल का लखनऊ पालीटेकनिक की प्रबन्ध समिति के कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन

18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवत दयाल बैजल जिनके विरुद्ध वर्ष 1973–74 में नवयुग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ के फंड से 40,000 रुपये के गबन का आरोप था एवं जिन्हें उसी मामले में विद्यालय की संचालन कमेटी से हटाया भी गया था, को लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या मंत्री जी ऐसे व्यक्ति जो गबन का दोषी रह चुका हो, को संचालन कमेटी का कोषाध्यक्ष पद से अविलम्ब हटाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

नवयग कन्या विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ के प्रबन्धक से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भगवत दयाल बैजल के विरुद्ध वर्ष 1973–74 में उक्त विद्यालय के फण्ड से 40,000 रुपये के गबन का कोई आरोप नहीं है। वर्ष 1973–74 में वे विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सदस्य भी नहीं थे। श्री बैजल को लखनऊ पालीटेकनिक की प्रबन्ध समिति का कोषाध्यक्ष दिनांक 21 नवम्बर, 1979 को निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष, लखनऊ पालीटेकनिक के अनुसार गबन के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, इसलिये उन्हें कोषाध्यक्ष के पद से हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिंक सल्फेट उत्पादन की इकाइयां

19—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिंक सल्फेट बनाने की इस समय कुल कितनी इकाइयां कार्य कर रही हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है तथा भविष्य में निर्माण हेतु कुल कितनी इकाइयां उद्योग विभाग में रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन)—

सूचना एकत्र जा रही है।

20—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, लैन्सडाऊन, पौड़ी गढ़वाल में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति

21—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, लैन्सडाऊन जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए संस्कृत के प्रवक्ता का पद कब स्वीकृत किया गया था और अभी तक उस पद पर नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक नियुक्ति हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

संस्कृत प्रवक्ता का पद स्वीकृत नहीं है। अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पालीटेक्निक लखनऊ के श्री एम0 ए0 खान तथा श्री सन्त प्रसाद को प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र लखनऊ से टंकण मेहनताना

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ के लेखाकार श्री एम0 ए0 खान तथा आशुलिपिक श्री संत प्रसाद आदि ने मिल कर वर्ष 1978–79 में प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र, लखनऊ के फंड से आशुलिपिक के नाम से 1,400 रु0 टंकण मेहनताना के रूप में लिया ? यदि हां, तो किस कार्य के लिए ? क्या मंत्री जी उपरोक्त तथ्य की अविलम्ब जांच कराकर संबंधित दोषी व्यक्ति को दंडित किये जाने के आदेश देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल श्री संत प्रसाद को वर्ष 1978–79 में प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र के लाभ से रु0 1440 का भुगतान किया गया। यह पारिश्रमिक उन्हें वर्ष 1975 से 78 तक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र का अतिरिक्त कार्य करने के लिए रु0 40 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया गया था। प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने जांच समिति गठित की है जिसके द्वारा इन मामलों की भी जांच की जायेगी

और कर्मचारियों के दोषी पाये जाने पर लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ की प्रबन्ध समिति को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये जायेंगे।

जनपद बस्ती के थाना उस्का बाजार में पुलिस चौकी उस्का तथा उस क्षेत्र में चोरी आदि की घटनाएं

23—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के थाना उस्का बाजार में पुलिस चौकी उस्का को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कस्बे में गत वर्षों में कई राहजनी, चोरी आदि की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस्का में पुलिस चौकी बनाये रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं। चौकी पूर्ववत् थाना प्रांगण में कार्यरत है। इस चौकी के क्षेत्र में गत तीन वर्षों में केवल नकबजनी की छिटपुट घटनायें हुईं। डकैती, लूट तथा हत्या की कोई घटना नहीं हुई।

खलीलाबाद, बस्ती में उर्वरक कारखाना लगाने पर विचार

24—श्री राम आसरे पासवान—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद, बस्ती में कोई उर्वरक कारखाना लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

प्राकृतिक गैस पर आधारित कुछ उर्वरक कारखाने विभिन्न प्रदेशों में लगाने का विषय केन्द्र सरकार के सक्रिय विचाराधीन है और यह निर्णय भी उसके ही अधिकार क्षेत्र में है कि उत्तर प्रदेश में कितने कारखाने लगें और किन-किन स्थलों पर लगें।

जनपद बस्ती की तहसील खलीलाबाद में जूट फैक्टरी लगाने पर विचार

25—श्री राम आसरे पासवान—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील खलीलाबाद, बस्ती के नाथनगर या खलीलाबाद में कोई जूट की फैक्ट्री शीघ्र ही लगाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक लगने की सम्भावना है ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं।

खलीलाबाद-धनघटा मार्ग के पुल पर किसानों से मल्लाही कर वसूली

26—श्री राम आसरे पासवान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद से धनघटा रोड पर सरकारी पुल पर किसानों से वसूल की जाने वाली मल्लाही समाप्त करने पर विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

खलीलाबाद-धनघटा मार्ग पर स्थित पक्के पुल पर पथकर की वसूली संलग्न अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार ली जाती है। पैदल यात्रियों से कोई पथकर नहीं लिया जाता है। इस पथकर के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई मल्लाही कर नहीं वसूल करता है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 300 पर)

जनपद वाराणसी के थाना औराई के थानाध्यक्ष के स्थायी निवास का जिला तथा औराई थाने के अन्तर्गत ग्रामों में उनका सम्बन्ध

27—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, औराई, जिला वाराणसी कहां और किस जिले के निवासी है ? क्या यह सत्य है कि थानाध्यक्ष, औराई की गांव चिलोकीपुर में ससुराल, बिछलपुर में ननिहाल तथा गांव मभउरा में उनके लड़की की शादी हुई है जो इसी थाना औराई एवं थाना गोपीगंज, वाराणसी में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर उक्त थानाध्यक्ष के पक्षपात पूर्ण रवैये को रोकने हेतु उन्हें वहां से हटाने पर विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

थानाध्यक्ष, औराई जिला वाराणसी श्री राम सजीवन मिश्र ग्राम दुवारी थाना करवई जिला इलाहाबाद के निवासी हैं। यह सत्य नहीं है कि थानाध्यक्ष की ससुराल चिलोकीपुर में, ननिहाल बिछलपुर में तथा पुत्री की शादी मभउरा ग्राम में हुई है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी के कतिपय ग्रामों में चोरी तथा डकैती की घटनाओं पर कृत कार्यवाही तथा सी0 ओ0 ज्ञानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

28—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 80 से लेकर जनवरी, 81 में गांव चकोड़, भक्तापुर, दलापुर उर्फ भक्तान, निजामपुर, बसुआपट्टी, कुरौना, संवरा थाना और जिला वाराणसी में डकैतियां, चोरियां हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि दलापुर उर्फ भक्तान में डकैती हुई थी और सी0 ओ0 ज्ञानपुर के यहां बयान डराकर करवाया गया कि डकैती नहीं पड़ी और निजामपुर में हरिजनों के यहां हुई चोरी की रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई ? इसका क्या कारण है ? और क्या सरकार उपरोक्त गांवों में पड़ी डकैतियों, चोरियों आदि के बारे में किसी उच्चाधिकारी या सी0 आई0 डी0 से जांच मौके पर भेजकर करायेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना औराई जिला वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम भक्तापुर व दलापुर में डकैती की एवं ग्राम कुरौना में चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। दोनों डकैती की सूचना प्राप्त होने पर धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दो अपराध पंजीकृत किये गये जिनकी विवेचना प्रचलित है। ग्राम भक्तापुर की डकैती में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 2 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। ग्राम कुरौना में चोरी के मामले में धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। ग्राम दलापुर उर्फ भक्तान में डकैती की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध आरोप सत्य नहीं पाये गये।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच की जा रही है।

जनता इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में प्रवक्ता के पद हेतु साक्षात्कार की तिथियों का स्थगन

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनता इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में प्रवक्ता पद हेतु साक्षात्कार की तिथियां लगातार दिनांक 30-11-80, 14-12-80 व दिनांक 19-1-81 को टाली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

प्रश्नगत विद्यालय में समाज शास्त्र प्रवक्ता पद हेतु साक्षात्कार की तिथि 30-11-80, 14-12-80 व 19-1-81 निर्धारित की गयी थी। दिनांक 30-11-80 को विद्यालय के प्रधानाचार्य के इलाहाबाद जाने, दिनांक 14-12-80 को विशेषज्ञों के न आने तथा दिनांक 19-1-81 को अपराह्न 12-00 बजे तक विशेषज्ञों की प्रतीक्षा करने के उपरान्त अध्यक्ष चयन समिति एवं प्रधानाचार्य के विद्यालय से चले जाने के कारण उक्त साक्षात्कार न हो सका।

30—श्री राम आसरे वर्मा—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला बरेली के ब्लाक भदपुरा में पुलिस थाना स्थापित करने की मांग

31—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली के ब्लाक भदपुरा में लगभग 173 ग्राम तथा उनके मजरे हैं तथा पिछले तीन वर्ष में इनमें से अधिकांश में कत्ल तथा डकैती पड़ चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस ब्लाक में जन सुरक्षा हेतु कोई पुलिस थाना स्थापित करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद बरेली के ब्लाक भदपुरा में 96 ग्राम हैं, इसमें मजरों की संख्या सम्मिलित नहीं है। पिछले तीन वर्षों में इस ब्लाक के 12 ग्रामों में कत्ल व 3 डकैती की घटनायें हुई हैं।

निर्धारित मानक के अनुसार ब्लाक भदपुरा में नये थाने का औचित्य नहीं है।

जिला गोंडा में दुबहाघाट एवं चन्दवतपुर घाट पर पुलों के निर्माण की मांग

32—श्री मुरलीधर मुनीम तथा डाक्टर मोहम्मद उमर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुबहाघाट एवं चन्दवतपुर घाट जो क्रमशः कटरा बाजार तथा लंझरी ब्लाक जिला गोंडा के अन्तर्गत आता है, पर पुल बनाने का विचार हो रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

करनैलगंज, गोंडा से फरवरपुर-बहराइच मार्ग पक्का किये जाने की मांग

33—श्री मुरलीधर मुनीम तथा डाक्टर मोहम्मद उमर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज, गोंडा में फरवरपुर-बहराइच मार्ग कब तक पक्की हो जायेगी और उस मार्ग पर इस समय क्या कार्य हो रहा है?

श्री जगदीश प्रसाद—

करनैलगंज गोण्डा में फरवरपुर-बहराइच ग्राम से कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं है। अतः निर्माण कार्य का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुलतानपुर में कुड़वार घाट पर पुल निर्माण

34—श्री मुईद अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में शासन ने जनपद सुलतानपुर में कुड़वार घाट पर पुल निर्माण हेतु निर्णय लिया था? यदि हां, तो उसके अनुसार अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां।

सुलतानपुर जिले के कुड़वार घाट पर वर्ष 1976 में एक पीपे के पुल के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था ?

यह कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 1978 में पूर्ण करके यातायात के लिए खोल दिया गया।

35—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

36—श्री शंकर सिंह—

[पुनरावृत्ति–निरस्त]

वन विभाग, बुन्देलखंड वृत्त में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति के लिये परीक्षा के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

37—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1980 में बुन्देलखंड वृत्त, झांसी में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियों के लिए परीक्षा ली गई थी ? क्या इस परीक्षा के संबंध में श्री गोरे लाल, दैनिक पारिश्रमिक लिपिक, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर ने माह मई, 1980 में अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन), लखनऊ को एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया था कि इन परीक्षाओं में अवैधानिकता की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस शिकायती पत्र की जांच अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (नियोजन), लखनऊ के व्यक्तिगत सहायक द्वारा किये जाने पर वह सत्य पायी गयी ? यदि हां, तो इस पर मुख्य अरण्यपाल, लखनऊ द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। इस परीक्षा के सम्बन्ध में श्री गोरेलाल तथा अन्य श्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच करने पर पाया गया कि परीक्षाओं में कुछ अनियमितता हुई थी। इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विभाग में मैनेजर ग्रेड–2 के पदों पर नियुक्ति

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21–5–80 को उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 जी0टी0 रोड, कानपुर द्वारा डिपो मैनेजर ग्रेड–2 के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कोई साक्षात्कार लिया गया ? यदि हां, तो उसमें सफल अभ्यर्थियों की सूची क्या है ? क्या यह भी सही है कि साक्षात्कार डिपो मैनेजर ग्रड–2 का हुआ और उनकी नियुक्ति सेल्स मैन के पदों पर की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां। दिनांक 21–5–80 को हुए साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों के नाम निम्न हैं :—

सर्वश्री

1—मुसफीक हुसैन जाफरी
2—आलोक कुमार श्रीवास्तव
3—देवाशीष बनर्जी
4—राम औतार अग्निहोत्री
5—राम बख्श सिंह
6—केशव मूर्ति शर्मा
7—राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

जिनकी नियुक्ति डिपो मैनेजर ग्रेड–2 के पद पर की गई।

उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति डिपो मैनेजर ग्रेड–2 के पद पर की गई है। सेल्स मैन के पद पर नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम में श्री मुजफ्फर आलम बेग को डिपो मैनेजर ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति

39––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21–5–80 को उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, कानपुर द्वारा लिए गए साक्षात्कार में सफल सूची में श्री मुजफ्फर हसन बेग का ज्येष्ठता क्रम क्या है? इनकी डिपो मैनेजर ग्रेड–2 के पद पर माह अगस्त, 80 में पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो इनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति डिपो मैनेजर ग्रेड–2 के पद पर न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री नियाज हसन खां––

साक्षात्कार के आधार पर जो सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गयी है, वह ज्येष्ठता के आधार पर नहीं थी और उस सूची में इनका नाम क्रमांक–4 पर था। इनकी नियुक्ति सेल्स मैन के पद पर की गयी। तत्पश्चात डिपो मैनेजर के 1 पद पर नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार न सम्भालने के कारण कार्यरत सेल्स मैनों में से उपयुक्तता के आधार पर श्री मुजफ्फर आलम बेग को डिपो मैनेजर के पद पर अगस्त, 1980 में पदोन्नत किया गया।

40––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

[19-2-81 को नियम 51 में वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

जिला देवरिया में बी0 टी0 सी0 तथा सी0 टी0 ट्रेन्ड युवकों की संख्या तथा उनको रोजगार

41––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में बी0टी0 सी0 एवं सी0 टी0 ग्रेड ट्रेन्ड युवक 30–12–80 को कितनी संख्या में बेरोजगार पड़े हैं? यदि हां, तो इन लोगों को कब तक रोजगार मिल जाने की संभावना है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

570 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार हैं।

सेवा निवृत्ति, मृत्यु एवं पदोन्नति के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों में नियुक्तियां की जा रही हैं। साथ ही नवीन विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां करके प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उन पर धीरे-धीरे समायोजित किया जायगा।

सी0 टी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

42––श्री सत्यपाल सिंह––

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

43––श्री जगदीश सिंह––

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

प्राइमरी पाठशाला टेडवा, जनपद, बाराबंकी के प्रधानाध्यापक श्री हरगोविन्द अवस्थी के विरुद्ध शिकायती पत्र

44––श्री राम सागर––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला टेडवा, तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध दिनांक 17–9–80 को प्रश्नकर्त्ता की ओर से कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या आवश्यक कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र तथा उसके साथ संलग्न श्री अवध प्रसाद सिंह, प्रधान ग्राम सभा टेडवा के पत्र की प्रतिलिपि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी कि श्री हरगोविन्द अवस्थी प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, टेडवा, तहसील हैदरगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच करवायें तथा सही पाये जाने की दशा में श्री हरगोविन्द अवस्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय। सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी को तदनुसार आदेश निर्गत कर दिया है ।

जिला देवरिया में देवरही में पेपर मिल या मसाला उद्योग लगाने की मांग

45—श्री घ्रुपराय—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरही में पेपर मिल या मसाला उद्योग लगाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जी नहीं। इस प्रकार के उद्योग निजी क्षेत्र में ही स्थापित किए जा सकते हैं ।

जिला देवरिया के थाना तरया सुजान व विशुनपुरा में दर्ज चोरी, डकैती आदि के मामलों में कृत कार्यवाही

46—श्री घ्रुप राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना तरया सुजान व विशुनपुरा में दिनांक 1-1-80 से 30-1-81 तक कितनी चोरियां, डकैतियाँ, राहजनी व कत्ल के मामले दर्ज हुये ? कितने में चार्जशीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित विवरण निम्न प्रकार है—

नाम थाना	अपराध	दर्ज हुये मुकदमों की संख्या	सं0 मुकदमा जिनमें चार्जशीट लगाई गई	सं0 मुकदमा जिन में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई
1	2	3	4	5
तरयासुजान	चोरी/नकबजनी	23	7	15
	डकैतियां	10	7	3
	राहजनी	2	1	1
	कत्ल	3	3	—
विशुनपुरा	चोरी/नकबजनी	10	4	6
	डकैतियां	4	2	—
	राहजनी	2	1	1
	कत्ल	—	—	—

अंतिम रिपोर्ट साक्ष्य के अभाव में लगाई गई है।

जिला देवरिया में राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन की धनराशि

47—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में 31-1-80 को किन-किन राजनीतिक पीड़ितों को पेंशनें कितनी-कितनी मिल रही हैं? क्या इसमें कोई असमानता है ? यदि हाँ, तो उसका क्या आधार है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

31–1–80 को जिला देवरिया के जिन राजनीतिक पीड़ितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन मिल रही थी उनके नाम तथा उनको मिल रही पेंशन की राशि से संबंधित सूचना संलग्न सूची† में उपलब्ध है।

27 दिसम्बर, 1980 को जारी किये गये शासनादेश द्वारा 14–11–80 से सब सेनानियों की पेंशन समान रूप से 100 रु0 कर दिये जाने के कारण सेनानियों को मिल रही पेंशनों में कोई अब असमानता नहीं रह गई है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में श्रेणीवार कुल कर्मचारियों और हरिजन कर्मचारियों की संख्या तथा आरक्षण प्रतिशत की पूर्ति

48—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31–1–81 को उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीवार कितने कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों में श्रेणीवार कितने-कितने कर्मचारी हरिजन हैं? यदि हरिजनों का आरक्षण 18 प्रतिशत के हिसाब से कम है तो सरकार कब तक इसे पूरा करेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में 31–1–81 को विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की श्रेणी वार संख्या तथा उनमें हरिजनों की संख्या निम्नवत् थी—

		कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या	हरिजनों की संख्या
श्रेणी—क	..	100	6
श्रेणी—ख	..	429	25
श्रेणी—ग	,,	3418	297
श्रेणी—घ	..	1401	254

श्रेणी—घ में आरक्षण का प्रतिशत पूरा है। अन्य श्रेणियों के पदों के लिए, जिनमें अधिकांश पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में हैं, किये जाने वाले चयनों में हरिजन अभ्यर्थियों के समुचित संख्या में उपलब्ध होने पर ही आरक्षण का प्रतिशत पूरा हो सकेगा।

अधिशासी अभियन्ता श्री महाबीर प्रसाद, अवर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुरादाबाद द्वारा सरकारी हरिजन कर्मचारी की पिटाई की रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

49—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महाबीर प्रसाद अधिशासी अभियन्ता अवर खन्ड मुरादाबाद द्वारा अन्तिम जनवरी 81 में अपने घर में कार्य करने वाले सरकारी हरिजन कर्मचारी को मारा पीटा गया जिसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में लिखी गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां। प्रश्नगत घटना के संबंध में एक अभियोग धारान्तर्गत 308/342 आई0 पी0 सी0 पंजीकृत किया गया। श्री महाबीर प्रसाद अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जो इस अभियोग के अभियुक्त हैं, न्यायालय से इस समय जमानत पर हैं।

†छापी नहीं गयी।

50—श्री राम चरण—

9वें मंगलवार के लिए स्थगित

सचिवालय की इमारत में सेन्ट्रल हाल का पुनर्निर्माण की योजना

51—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय (सेन्ट्रल हाल) की इमारत के पुनर्निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना क्या है और कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां। इस योजना के अन्तर्गत विधान भवन के बीच के कारीडोर के अगल बगल दोनों ओर के स्थानों में निर्माण कार्य भूतल से प्रारम्भ किया जायेगा और द्वितीय तल तक ले जाया जायेगा। भूतल पर शाकाहारी तथा मांसाहारी रसोई घर व दो स्टोर कक्ष होंगे। प्रथम तल पर एक हाल (कैफेटेरिया) एवं पैन्ट्री तथा द्वितीय तल पर लाज व पैन्ट्री की व्यवस्था की जायेगी। यह निर्माण कार्य दिनांक 21-4-1981 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है तथा इसके पूर्ण होने में लगभग दस मास का समय लगेगा।

जिला बरेली के थाना देवरनियां के अन्तर्गत चौकी शेरगढ़ को थाना बनाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही

52—श्री जयदीप सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में थाना देवरनियां के अन्तर्गत मौजूदा शेरगढ़ चौकी को थाना बनाने की घोषणा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा कब की गई और आज तक यह मामला सरकार के विचाराधीन पड़ा रहने का क्या कारण है ? कब सरकार इस थाने की स्थापना करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जनपद बरेली में थाना देवरनियां के अन्तर्गत वर्तमान पुलिस चौकी शेरगढ़ को थाना बनाने का प्रस्ताव ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा वर्ष 1979 में भेजा गया था जिसे शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 1980 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त थाने के कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित हो जाने पर उक्त थाना विधिवत् कार्य करने लगेगा।

53—श्री नन्द किशोर सिंह—

[5 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला देवरिया में पुलिस डकैत मुठभेड़ में मारे गये लोगों का तथा स्थान का विवरण

54—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में 1 जनवरी, 1981 से 31 जनवरी, 1981 के बीच कितने लोग पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मारे गये ? किन-किन पुलिस सब-इन्सपेक्टरों ने किन-किन लोगों को मारा ? पुलिस सब इन्सपेक्टरों एवं मारे जाने वालों के नाम व पता क्या हैं ? घटना स्थान क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देवरिया में प्रश्नगत अवधि में पुलिस मुठभेड़ में कोई व्यक्ति नहीं मारा गया है।

गणतंत्र दिवस 1981 के अवसर पर वन निगम द्वारा दिये गये विज्ञापन तथा समाचार पत्र 'आज' को दिये गये विज्ञापन पर व्यय

55—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणतंत्र दिवस 1981 के अवसर पर वन निगम ने कितने रुपये का विज्ञापन समस्त शोषण समाप्त करने के लिये हम उद्योगरत हैं

जिसमें 20 योजनाओं को गिनाया गया है और उपरोक्त योजनाओं में कितने फीसदी तक सफलता प्राप्त हुई है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दैनिक समाचार पत्र "आज" वाराणसी में 26 जनवरी, 1981 को प्रकाशित विज्ञापन कितने रुपये का था तथा और किन-किन अखबारों को कितने रुपये का विज्ञापन दिया गया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

गणतंत्र दिवस 1981 के अवसर पर वन निगम द्वारा रु0 10,658.29 के विज्ञापन दिये गये। प्रश्नगत विज्ञापन में किन्हीं योजनाओं का जिक्र नहीं है बल्कि उसमें निगम के उद्देश्य उल्लिखित हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निगम निरन्तर प्रयत्नशील है। जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होता जा रहा है वैसे-वैसे निगम अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के सरकारी वनों के लगभग एक तिहाई भाग का विदोहन वन निगम द्वारा किया जा रहा है।

दैनिक समाचार पत्र "आज" वाराणसी को दिया गया विज्ञापन रु0 3,677.04 का था तथा अन्य अखबारों में दिये गये विज्ञापनों के बारे में वांछित विवरण निम्नवत है—

क्र0 सं0	पत्रिका का नाम	विज्ञापन पर व्यय की गयी धनराशि
		रु0
1	जागरण प्रकाशन	4,338.46
2	नवजीवन	715.50
3	दैनिक कर्मयोग प्रकाशन	477.36
4	गुजंनिका	331.50
5	दैनिक वीर भारती	467.50
6	साक्षी	246.50
7	पारदर्शी	221.00
8	युग विवेक	183.43

56–57—श्री हरिद्वार पाण्डेय—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

फतेहपुर जनपद के थाना कोतवाली के सिपाहियों तथा जुआड़ियों के बीच मारपीट की घटना के तथ्य छिपाने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

58—श्री गोपीनाथ वर्मा—

प्रथम सत्र 1981 के पहले दिनांक मंगलवार 3–2–81 के अता0 प्र0 सं0 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जी0 डी0 में कांस्टेबिल गोपाल जी को चोट आना एवं सदर अस्पताल डाक्टरी मुआयना हेतु भेजना दर्ज है तथा सत्र 1980 के 6वें मंगलवार दिनांक 7–10–80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में संबंधित अधिकारी ने केवल न्यायालय के ही सिपाहियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों में मात्र चोट आने की बात ही दर्ज होना बताया है तथा जी0 डी0 में दर्ज उपरोक्त पूर्ण तथ्य को प्रकट नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री ऐसे दोषी अधिकारी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

59—प्रथम सत्र 81 के मंगलवार दिनांक 3–2–81 में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार यह बतलायेगी कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित घटनाओं के लिये

अब कौन-कौन सी धाराएं लगायी गयी हैं ? इसके पूर्व घटना के समय लेखक प्रथम सूचना द्वारा आवश्यक धारायें न लगाने का क्या कारण था ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---
सूचना एकत्र की जा रही है ।

60---श्री राधेश्याम पटेल---
[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

61---श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा---
[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

62---श्री भगवान दीन कुशवाहा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---
[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की रंजनकला विषय की मेरठ शहर की छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं गुम होने के कारण रुका परीक्षाफल

63---श्री नरेन्द्र सिंह---
क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की रंजन कला विषय की शहर मेरठ की छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं गुम हैं और इस कारण से उनका परीक्षाफल रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विषय के हजारों छात्रों का परीक्षाफल कब तक घोषित होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---
सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला जौनपुर में लटाउवीर से नौपेड़वा मार्ग पर पीली नदी पर पुल का निर्माण

64---श्री जंगबहादुर सिंह तथा श्री तेजबहादुर सिंह---
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद में लटाऊवीर से नौपेड़वा मार्ग पर मई, 80 में पीली नदी पर पुल का निर्माण कार्य शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो, पुल का निर्माण किन कारणों से रुका हुआ है ? क्या मंत्री जी शीघ्र पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश प्रसाद---
सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला जालौन में डाकुओं द्वारा अपहृत व्यक्तियों तथा मारे गये व्यक्तियों की संख्या

65---श्री दलगंजन सिंह---
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन में सन् 1980 से माह जनवरी, 1981 तक कितने व्यक्तियों को डाकुओं द्वारा पकड़ा गया है और कितने व्यक्तियों की हत्या इसी अवधि के दौरान डाकू दलों द्वारा की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---
सूचना एकत्रित की जा रही है ।

66---श्री पंचानन---
[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

67---श्री बल्देव सिंह आर्य---
[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज की प्राइमरी पाठशालाओं के ध्वस्त भवनों का निर्माण

68—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़, विकास खण्ड, मार्टिनगंज के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 तक किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन गिरकर ध्वस्त हो चुके हैं ? जिसके फलस्वरूप बच्चों के शिक्षा ग्रहण में व्यवधान उत्पन्न हो गया है ? क्या सरकार इन ध्वस्त भवनों का निर्माण अविलम्ब करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड, मार्टिनगंज में वर्ष 1980–81 तक प्राइमरी पाठशाला सोहौला, इस्लामियां प्राइमरी पाठशाला भादों, प्राइमरी पाठशाला सहिजना, प्राइमरी पाठशाला रंगड़ी एवं प्राइमरी पाठशाला वर्रा के भवन गिर कर ध्वस्त हो गये हैं।

उक्त पांच प्राइमरी विद्यालयों में से प्राइमरी पाठशाला सोहौली तथा प्राइमरी पाठशाला भादों के भवन निर्माण हेतु नजरी नक्शा और धनराशि अधिशासी अभियन्ता, अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ को उपलब्ध करा दी गयी है। धन उपलब्ध होने पर शेष 3 भवनों का निर्माण हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति आजमगढ़ द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसड़ा जिला बलिया के चौकीदार स्वर्गीय बाल्मीकी के वारिसान को उनके सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

69—श्री राम नारायण—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय बाल्मीकि राम, चौकीदार, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसड़ा, जनपद बलिया के मृत्यु के बाद उनके ग्रुपजीवन बीमा की धनराशि मुबिलग 12 हजार रुपये का भुगतान मृतक के जायज एवं कानूनी वारिसान को अब तक क्यों नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक उक्त धनराशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

स्वर्गीय बाल्मीकि राम, चौकीदार, राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, रसड़ा के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान उनकी पत्नी एवं उत्तराधिकारी श्रीमती सुग्गी देवी को दिनांक 12–2–81 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु दिया गया ऋण

70—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले दस वर्षों में प्रदेश में आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को मकान बनवाने के लिये अलग-अलग कितना लोन (कर्ज) दिया गया कितनों ने मकान बनवाये तथा कितनों ने अभी तक नहीं बनवाये उसमें कितने अधिकारी अपने मकान में रहते हैं ? क्या इस स्थिति को माननीय मंत्री जी अलग-अलग नाम व पते के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

71—श्री मेंहदी असगर—

[8वें शुक्रवार प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

72—श्री तेज बहादुर गंगवार—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

73–74—श्री तेज बहादुर गंगवार—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला झांसी के मऊरानीपुर में टेरीकाट उद्योग लगाने के सम्बन्ध में जानकारी

75—श्री भगीरथ तथा श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्रमें टेरीकाट उद्योग के लिए कलेन्डरिंग एवं पालिशिंग मशीन लगाने का शासन ने निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त उद्योग कब तक लग जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर जांच

76—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के अधिकारियों के विरुद्ध पिछले 2 वर्षों में की गई शिकायतों पर सी0 आई0 डी0 जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला सीतापुर तथा लखीमपुर खीरी के औद्योगीकरण प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रावास अधीक्षक तथा अनुदेशकों के पदों पर नियुक्तियां

77—श्री बदन सिंह—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर और लखीमपुर खीरी के जलों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिसम्बर, 1980 से छात्रावास अधीक्षक तथा अनुदशक की नियुक्तियों में विभागीय कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहरी लोगों की नियुक्तियां श्रम निदेशक द्वारा की गई हैं ? यदि हां, तो उन नियुक्तियों का आधार क्या है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सीतापुर तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखीमपुर खीरी में एक-एक छात्रावास अधीक्षक की तदर्थ नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की गई है। इन संस्थानों में इस अवधि में अनुदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ये तदर्थ नियुक्तियां कार्य के हित में नियमित चयन होने तक की गई है।

आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में दिया गया विशेष एम0 एड0 स्वर्ण पदक

78—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 6–1–1977 को आर0 वी0 एस0 कालेज से आगरा विश्वविद्यालय के पत्र संख्या एडमिन/व–13 (9) 3183, दिनांक 29-12-76 की प्रति द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार सारस्वत को 10 जनवरी, 1977 को होने वाले दीक्षान्त समारोह में "विशेष एम0 एड0 स्वर्ण पदक" प्राप्त करने के लिये बुलाया गया था ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति (वीरेन्द्र कुमार सारस्वत) को "विशेष एम0 एड0 स्वर्ण पदक" प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

श्री वीरेन्द्र कुमार सारस्वत को विशेष एम0 एड0 (स्वर्ण) पदक नहीं प्रदान किया गया क्योंकि दीक्षान्त समारोह के पूर्व एक अन्य छात्रा श्रीमती सरोज मणि जैन के प्राप्तांक पुन-

मूल्यांकन के फलस्वरूप 417 हो गये थे जबकि श्री सारस्वत के प्राप्तांक 406 ही थे।

इटावा जनपद में खोले गये प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल

79—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने इटावा जनपद में वर्ष 1978–79 व 1979–80 में कितने प्राइमरी स्कूल खोले थे तथा 1980–81 में कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोले गये है ? क्या यह सत्य है कि अभी तक जनपद इटावा में एक भी प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1980–81 में नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शासन द्वारा जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन वर्ष 1978–79 में 57 प्राइमरी स्कूल, वर्ष 1979–80 में 9 प्राइमरी स्कूल तथा वर्ष 1980–81 में प्राइमरी स्कूल तथा एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया। जी नहीं। वर्ष 1980–81 में जनपद इटावा में 3 प्राइमरी स्कूल तथा एक जूनियर हाई स्कूल खोला जा चुका है।

इटावा जनपद के देहाती क्षेत्र में स्वीकृत प्राइमरी पाठशालाएं तथा ग्राम माल्हेपुर में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने पर विचार

80—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राज्य सरकार ने इटावा जनपद के देहाती क्षत्र के लिये केवल 3 प्राइमरी पाछशाला वर्ष 1980–81 में खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है जिनमें से दो प्राइमरी पाठशालायें ऐसी जगहों पर खोलवाये जाने के आदेश दिये हैं, जहां राज्य सरकार को विद्यालय भवन भी बनवाना पड़ेगा ? क्या प्रश्नकर्त्ता तथा लोक सभा सदस्य श्री राम सिंह जी शाक्य के सितम्बर, 80 में लिखित रूप से दिये जाने के पश्चात् भी औरैय्या तहसील के ग्राम माल्हेपुर में प्राइमरी पाठशाला नहीं खोली गयी है, जहां पक्की इमारत बनी खड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम माल्हेपुर में अविलम्ब प्राइमरी पाठशाला खोलने की घोषणा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद इटावा के देहाती क्षेत्र में शासन की स्वीकृति के अनुसार वर्ष 1980–81 में 3 प्राइमरी पाठशालायें, जिला बेसिक शिक्षा समिति के निर्णय के अनुसार खोली गई हैं। संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुये उक्त समिति के निर्णयानुसार विद्यालय ऐसे ही स्थानों पर खोले गये हैं, जहां काम चलाऊ भवन उपलब्ध थे। चूंकि शासन द्वारा सीमित संख्या में प्राइमरी विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई थी, इसलिए समिति द्वारा ग्राम माल्हेपुर में वरीयता क्रम में विद्यालय खोला जाना प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के उपरान्त भी सम्भव नहीं हो सका। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में जब नये प्राइमरी स्कूलों को खोले जाने की स्वीकृति दी जावेगी। तो उसके पश्चात ग्राम माल्हेपुर में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के प्रश्न पर जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड धारचूला, पिथौरागढ़ के कर्मचारी स्वर्गीय हरक सिंह थलाव की पत्नी को उनके जी0 पी0 एफ0 तथा पेंशन की धनराशि का भुगतान

81—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय हरक सिंह थलाव को, जिनको 14–3–67 से खादी ग्रामोद्योग धारचूला, जनपद पिथौरागढ़ से गुनस्यारी, पिथौरागढ़ में स्थानान्तरण किया गया था और 6–4–78 को सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई ? क्या शासन ने अभी तक उनकी विधवा पत्नी को उनका जी0 पी0 फंड एवं पेंशन नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां।

जनवरी, 1980 में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के शासनादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन का आदेश लागू कर देने के फलस्वरूप कानपुर से कुछ रिकार्ड लखनऊ नहीं आ सका जिसमें स्व0श्री थलाब के सम्बन्धित रिकार्ड भी हैं। इसी कारण श्री थलाब की पत्नी को जी0पी0एफ0 तथा पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका।

82—श्री मोती लाल देहलवी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

83—श्री मोती लाल देहलवी—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग कसया देवरिया के एक जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

84—श्री कुबेर भंडारी तथा श्री मोहन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि कसया क्षेत्र, देवरिया की जनता के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1981 जो एक विधायक (श्री कुबेर भण्डारी) के पत्र दिनांक 4-2-81 द्वारा संलग्नक सहित अग्रसारित होकर शासन को प्राप्त हुआ है जिसमें एक जूनियर इंजीनियर (श्री शिव कुमार तिवारी), सार्वजनिक निर्माण विभाग कसया, देवरिया के भ्रष्टाचार से संबंधित है, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

होमगार्ड संगठन में कार्यरत महिलाओं को वैतनिक पदों पर नियुक्ति

85—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होमगार्ड के महिला संगठन में कार्यरत महिलाओं में समस्त महिलायें अभी अवैतनिक ही हैं? यदि हां, तो पुरुष संगठन की भांति महिलाओं में भी कुछ पद स्थायी तथा वैतनिक न करने का क्या कारण हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

होमगार्ड्स एकल संगठन है जिसमें महिलायें और पुरुष दोनों भर्ती किये जाते हैं। यह सही है कि इस समय संगठन में कार्यरत सभी महिला स्वयं सेवक अवैतनिक हैं और प्रशासनिक नियंत्रण के किसी वैतनिक पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। उनके लिये अलग से वैतनिक पद सृजित करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निर्धारित अर्हताएं रखने पर पुरुषों की भांति उनकी नियुक्ति भी वैतनिक पदों पर की जा सकती हैं।

होमगार्ड संगठन में अवैतनिक अधिकारियों को वैतनिक करने सम्बन्धी शासनादेश

86—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होमगार्ड विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3553/सत्ताईस/बी0 एच0 जी0-29, दिनांक 7-8-1979 द्वारा संगठन में अवैतनिकों को वैतनिक करने का निदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं। शासन ने विचारोपरान्त यह निश्चय किया कि होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक अधिकारियों को उनकी संगठन में कार्य कुशलता शैक्षिक योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुये वैतनिक पदों पर खपाया जाय। इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष से शासनादेश संख्या 3553/27-131 हो0गा0/79, दिनांक 7 अगस्त, 1979 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है।

87—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद इटावा में बाढ़ और वर्षा से क्षतिग्रस्त प्राइमरी स्कूलों के भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण

88—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माह अगस्त, 1980 में इटावा जनपद में विनाशकारी बाढ़ और वर्षा से बहुत से प्राइमरी स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं या गिर गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार गिरे हुए भवनों को शीघ्र बनवाने एवं क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत करवाने हेतु शीघ्र व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

माह अगस्त, 1980 में इटावा जनपद में बाढ़ और वर्षा से 640 प्राइमरी स्कूल क्षतिग्रस्त या धराशायी हो गये।

जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित और वर्ष 1980 की बाढ़ तथा वर्षा से क्षतिग्रस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण हेतु रुपया 4,32,630 का अनुदान जिला परिषद्, इटावा नगरपालिका इटावा, औरैया, भरथना तथा [illegible] और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा को स्वीकृत किया गया है [illegible] भवनों का बहुत हद तक मरम्मत संभव हो सकेगी।

89—श्री धनी राम वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के लिये भवन

90—श्री धनीराम वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुछ प्राइमरी पाठशाला भवन रहित हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उनके भवन शीघ्र बनवाये जाने हेतु कोई निर्णय ले रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद इटावा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 1124 प्राइमरी विद्यालय हैं जिनमें से 79 प्राइमरी विद्यालय भवन रहित हैं। इनमें से अधिकतर विद्यालय स्थापित होने के समय से ही भवन रहित हैं क्योंकि जब इन विद्यालयों का संचालन जिला परिषद् तथा स्थानीय निकायों द्वारा होता था तो उन्होंने भवन निर्माण नहीं कराया। कुछ प्राइमरी विद्यालय पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये थे किन्तु भवन निर्माण हेतु धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी थी कुछ विद्यालयों के भवन बाढ़ के कारण भी गिर गये हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में शासन ने एक ओर तो यह निर्णय लिया है कि जो नये विद्यालय खोले जायं उनके भवन निर्माण हेतु अनुदान भी स्वीकृत किया जाय और दूसरी ओर छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों के निर्माण का कार्यक्रम भी आरम्भ किया गया है। वर्ष 1980-81 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला इटावा में 3 भवनहीन प्राइमरी स्कूलों के निर्माण हेतु अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।

ग्राम हरचन्दपुर एवं संहार, तहसील विधूना, जनपद इटावा में पुलिस थानों की स्थापना

91—श्री धनीराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद की विधूना तहसील के ग्राम हरचन्दपुर एवं सहार में पुलिस थानों की स्थापना हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्य रूप में परिणित किया जायेगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जनपद इटावा को विधूना तहसील ग्राम हरचन्दपुर एवं सहार में पुलिस थानों की स्थापना हेतु कोई योजना नहीं है ।

आई0 ए0 एस0 एवं पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण

92--श्री श्यामलाल वाजपेयी--

क्या मुख्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि आई0ए0एस0 अधिकारी एवं 5 पी0सी0एस0 अधिकारी 10 वर्ष से अधिक समय से लखनऊ में किन विशेष कारणों से कार्य कर रहे हैं ? क्या निकट भविष्य में उनके तबादले की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या शासन राज्य सम्पत्ति अधिकारी को अन्यत्र भेजने पर विचार कर रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र के प्रथम मंगलवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर में सूचित किए गए 9 आई0ए0एस0 तथा 5 पी0सी0एस0 अधिकारी प्रशासनिक एवं जनहित में ही दस वर्ष से अधिक समय से लखनऊ में तैनात हैं। सम्प्रति सामान्य स्थानान्तरण का समय न होने के कारण इन अधिकारियों के तबादले का विषय विचाराधीन नहीं है। शासन यदि जनहित में इनमें से किसी विशेष अधिकारी का स्थानान्तरण किए जाने की आवश्यकता महसूस करेगा तो उस पर यथास्थिति तथा यथा समय विचार किया जायेगा ।

यह सही है कि राज्य सम्पत्ति अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार भेजे जाने के आदेश हुये थे किन्तु उसे निरस्त कर दिया गया है । इनके स्थानान्तरण की प्रशासनिक हित में जब आवश्यकता होगी तो इस संबंध में भी निर्णय लिया जायेगा ।

प्रत्येक विधायी क्षेत्र में पक्की सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव

93--श्री मेंहदी असगर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सरकार 15 कि0मी0 प्रति विधायक से पक्की सड़क बनाने का प्रस्ताव मांगा था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सन् 1981 तक सड़कें बना दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

94--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

95--श्री राम लाल वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

शिक्षा सचिव शाखा के विशेष कार्याधिकारी श्री ताराशंकर चौबे को सौंपा गया अधिष्ठान कार्य

96--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विशेष शिक्षा सचिव शाखा में किसी ऐसे अधिकारी को विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पादित करने के लिये हाल में दे दिया गया है जिनके सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य सचिव (श्री बी0 डी0 सनवाल) ने इन का कार्य आपत्तिजनक समझ कर यह आदेश दिये थे कि इन्हें ऐसे अनुभाग में नियुक्त न किया जाय जहां अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य होते हैं ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को अधिष्ठान कार्य दिये जाने का क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिक्षा सचिव शाखा में श्री ताराशंकर चौबे, विशेष कार्याधिकारी को विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, उप कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के अधिष्ठान का कार्य 3 मई, 1980 से आवंटित किया गया है। मई, 1975 में सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 ने यह अपेक्षा की थी कि तत्कालीन अनुभाग अधिकारी श्री तारा शंकर चौबे से अधिष्ठान तथा ग्रान्ट संबंधी कार्य न लिया जाय। कालान्तर में उनके उत्तम कार्य को देखते हुए उनकी तदर्थ पदोन्नति विशेष कार्याधिकारी के पद पर की गई और उस हैसियत से उन्हें अन्य कार्य के अतिरिक्त उक्त अधिष्ठान का कार्य भी सौंपा गया है।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर में लिपिक वर्ग की अनियमित नियुक्तियां

97—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा गोरखपुर के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के नियम 21 की अवहेलना करते हुए चार अनियमित नियुक्तियां की गई हैं जिन पर क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी एवं राजकीय कार्यालयों के निरीक्षक ने आपत्ति किया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमित नियुक्तियों को रद्द करते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बहराइच में पयागपुर से कैसरगंज मार्ग का निर्माण तथा उक्त मार्ग के मध्य पुल का निर्माण

98—श्री सुन्दर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में पयागपुर से कैसरगंज मार्ग का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हुआ है और उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री जगदीश प्रसाद —

जनपद बहराइच में पयागपुर-हुजूरपुर-कैसरगंज मार्ग का निर्माण कार्य मार्च, 1970 में प्रारम्भ हुआ था। पुलों तथा उनके पहुंच मार्गों को छोड़कर शेष कार्य के वर्ष 1982 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

पयागपुर–कैसरगंज मार्ग में पुलों का निर्माण

99—श्री सुन्दर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पयागपुर–कैसरगंज मार्ग के मध्य में कितने पुलों का निर्माण होना है? और कब तक उक्त मार्ग के पुलों का निर्माण कराया जायेगा?

श्री जगदीश प्रसाद—

प्रश्नगत मार्ग के मध्य में किसी पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है।

तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना पर विचार

100—श्री सुन्दर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के तहसील कैसरगंज में जिसमें एक भी डिग्री कालेज नहीं है शासन द्वारा उक्त तहसील में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का विचार किया जायगा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय कालेज खोले जाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुये बहराइच जनपद में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने पर सम्प्रति वर्ष 1981–82 में विचार करना सम्भव नहीं है।

तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

101—श्री सुन्दर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में बालिकाओं के अध्ययन हेतु कोई उ0 मा0 विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा बालिकाओं की शिक्षा हेतु तहसील कैसरगंज में कोई उ0 मा0 विद्यालय खोला जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम सभा महेशपुर, ग्राम बेलहन, जनपद बहराइच के कन्या प्राइमरी पाठशाला का भवन निर्माण

102—श्री सुन्दर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के तहसील नानपारा विकास खण्ड बलहा के ग्राम सभा महेशपुर ग्राम बेलहन के कन्या प्राइमरी पाठशाला का निजी भवन बनाना शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसका अब तक निर्माण किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को सौंपा गया है और निर्माण सामग्री कार्यस्थल पर पहुंचा दी गयी है किन्तु सीमेन्ट के अभाव में निर्माण कार्य रुका हुआ है । सीमेन्ट उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ होगा ।

103—श्री धनी राम वर्मा—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

104—श्री पंचानन—

(9वें मंगलवार के लिए स्थगित)

लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ के प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र में अनियमितता तथा शिकायतों की जांच

105—श्री राम कृष्ण उपाध्याय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पालीटेक्निक लखनऊ के लेखाकार श्री एम0ए0खान तथा आशुलिपिक श्री सन्त प्रसाद के खिलाफ 1978–79 में प्रशिक्षण उत्पादन तथा टंकण मेहनताना के रूप में हजारों रुपया अनियमित तरीके से लेने के संबंध में श्री जटा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 5–2–1981 का कोई पत्र शिक्षा राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच कार्यवाही की गयी तथा उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, श्री जटा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा के दो शिकायती पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1981 को प्राप्त हुये थे और लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ के प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र की शिकायतों के जांच करने हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा ने जांच समिति गठित की है जिसके द्वारा अन्य अनियमितताओं के साथ प्रश्नगत मामलों की भी जांच की जायेगी ।

जिला निर्वाचन कार्यालय, इटावा में सृजित अस्थाई पदों की सेवा समाप्ति

106—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इटावा जनपद के निर्वाचन कार्यालय के कितने कर्मचारियों की सेवायें सितम्बर एवं अक्तूबर 1980 में समाप्त की गई हैं ? क्या निष्कासित कर्मचारी चार साल या इससे अधिक समय तक उक्त निर्वाचन कार्यालय में लगातार कार्य करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या निष्कासित कर्मचारियों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद--

जिला निर्वाचन कार्यालय, इटावा में विशिष्ट कार्य हेतु सृजित अस्थायी पदों की अवधि समाप्त होने पर 30 सितम्बर, 1980 को 18 अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हुईं। अक्तूबर, 1980 के संबंध में सूचना शून्य है।

जी नहीं।

ग्राम सहसों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साहित्यिक एवं विज्ञान वर्ग के विषय हेतु भवन का निर्माण

107--श्री धनीराम वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद के पारपट्टी क्षेत्र के सुदूर अंचल में स्थित ग्राम सहसों में एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साहित्यिक एवं विज्ञान वर्गों के विषयों को शिक्षा प्रदान करने हेतु खोला गया है? यदि हां तो 6 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक विद्यालय का भवन न निर्माण कराये जाने और विज्ञान उपकरण न उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोंडा में चचेरी माझा गौरीगंज मार्ग का निर्माण

108--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जनपद में चचेरी-गौरीगंज मार्ग जो निर्माणाधीन है इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है तथा गौरीगंज के निकट सरयू नदी पर निर्मित होने वाले पुल पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्री जगदीश प्रसाद--

जनपद गोंडा के 8 कि0 मी0 लम्बे चचेरी माझा गौरीगंज मार्ग में से चचेरी माझा की ओर से प्रथम 3.00 कि0 मी0 स्वीकृत भार्ग का निर्माण वर्ष 1981 में पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रश्नगत पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

109--श्री राम आसरे वर्मा--

[11वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं0 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

110--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[9वें मंगलवार के लिए स्थगित]

रानीखेत क्षेत्र में पर्यावरण के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

111--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत क्षेत्र में पर्यावरण के लिये 1981 में कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है? यदि हां, तो इससे कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जी नहीं।

स्टार पेपर मिल को आवंटित कोयले का कोटा

112--श्री रामस्वरूप निर्म--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल को प्रतिवर्ष कितना कोयला दिया जा रहा है? कितना सड़कों के जरिये तथा कितना रेल के जरिये से दिया जा रहा है तथा कितना उनका निर्धारित कोटा है? उनके साफ्ट कोक व हार्ड के रेट अलग-अलग क्या निर्धारित हैं?

श्री नियाज हसन खां--

पेपर मिल्स को कोयला केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है अतः प्रश्नगत सूचना भारत सरकार ही दे सकती है।

परगनाधिकारी सलेमपुर, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

113—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर देवरिया के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 15 नवम्बर, 1980 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, शिकायती पत्र में मुख्यतया सस्ते गल्ले की दुकानों के आवंटन तथा निलम्बित दुकानों को बहाल करने में घूस लेने तथा चीनी के आवंटन में घूस लेने, मिट्टी के तेल की चोर बाजारी करवाने तथा उसमें भी घूस प्राप्त करने, चीनी के आवंटन में गड़बड़ी के विरुद्ध शिकायतों की जांच न करने, डीजल के वितरण में डीलरों से मिल कर डीजल की चोर बाजारी करवाने, सीमेन्ट के वितरण में अवैध धन प्राप्त करने तथा असहायों के राशन कार्डों का गेहूं चोरबाजारी में बेचने के आरोप लगाये गये हैं। शिकायती पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है उनसे रुपया लेकर उनकी दुकानों को बहाल किया जा रहा है। शिकायती-पत्र में बाढ़ राहत कार्यों में गल्ले के वितरण के फर्जी कागजात तैयार करने, गल्ले को चोर बाजारी में बेचने, बाढ़ में नावों के लिए आवंटित धनराशि में से 50 रुपया धनराशि हड़पने तथा फर्जी नावें दिखाने, विधान सभा चुनावों में पोलिंग बूथों के लिए आवंटित धनराशि का गोलमाल करने, टाउन एरिया भाटपाररानी के ठेके को समाप्त करने में 20 हजार रुपये की घूस लेने, मुकदमों के निस्तारण में बिलम्ब करने तथा रुपया लेकर मुकदमों के निस्तारण करने के आरोप भी लगाये गये हैं।

उक्त आरोपों की जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा जांच कराई जा रही है।

सीताराम निवासी, सलेमपुर का अपनी भूमि सरकार को भेंट देने संबंधी आवेदन पत्र

114—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सीताराम निवासी सलेमपुर का आवेदन पत्र 21-1-81 का इस आशय का मिला है कि वे अपनी भूमि को स्वेच्छा से सरकारी भेंट पर थाना निर्माण हेतु सलेमपुर में देने को तैयार है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी नहीं। चूंकि आवेदन-पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

परगनाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

115—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा परगनाधिकारी बिल्हौर, जनपद कानपुर के विरुद्ध किये गये शिकायती पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1980 का जो उत्तर उन्होंने अपने पत्रांक एम-6122/सी0 एम0, दिनांक, 4 दिसम्बर, 1980 द्वारा दिया था, क्या उसके अनुसार कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और जांच का परिणाम क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जी हां, शिकायती-पत्र में परगनाधिकारी, बिल्हौर के विरुद्ध 8 आरोप लगाए गए थे। आरोपों की जांच जिलाधिकारी, कानपुर से कराई गई। इस जांच के परिणाम स्वरूप जो स्थिति सामने आई है उससे यह विदित हुआ है कि बिल्हौर ब्लाक में गृह अनुदान में की गयी गड़बड़ी के सम्बन्ध में परगनाधिकारी ने स्वयं जांच की थी तथा गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी तथा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी। इसके

अतिरिक्त फर्जी परमिटों पर उठाई गई शक्कर के बारे में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को अक्सर न्यायालय से उठकर चले जाने की प्रवृत्ति के विरुद्ध सचेत कर दिया है।

शिकायती-पत्र में लगाये गये शेष आरोप जांचोपरान्त निराधार पाये गये।

116—श्री हरिवंश सहाय—

(9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री शान्ति प्रकाश सक्सेना, सी0 आई0 डी0, लखनऊ के ग्रेच्युटी, जी0 पी0 फंड की बकाया धनराशि का भुगतान

117—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डी0 आई0 जी0 (सी0 आई0 डी0) लखनऊ के कान्फीडेन्शियल असिस्टेंट (श्री शांति प्रकाश सक्सेना) जो अप्रैल, 1979 में सेवा निवृत्त हुए थे को शासन द्वारा घोषित पेंशन की नयी स्वीकृत दर के आधार पर अभी तक पेंशन नहीं दी गयी है जिसके फलस्वरूप उन्हें ग्रेच्युटी और जी0 पी0 फंड की सम्पूर्ण धनराशि की प्राप्ति नहीं हो पाई है? यदि हां, तो इसमें बिलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए दोषी कौन है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री शान्ति प्रकाश सक्सेना, डी0 आई0 जी0 (सी0 आई0 डी0) लखनऊ के कान्फीडेन्सल आसिस्टेंट माह अप्रैल, 1979 में सेवा निवृत्त हुये थे और शासन द्वारा नई दर से पेंशन स्वीकृत किये जाने के आदेश माह सितम्बर, 1979 में जारी किये गये जो कि सी0 आई0 डी0, कार्यालय, लखनऊ को पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के माध्यम से दिनांक 27-10-79 को प्राप्त हुये। तदनुसार सी0 आई0 डी0 कार्यालय, लखनऊ द्वारा संशोधित पेंशन, प्रकरण पुलिस मुख्यालय के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेजकर श्री सक्सेना के पक्ष में संशोधित पेंशन/ग्रेच्युटी के भुगतानादेश प्रसारित करने के लिये दिनांक 14-3-80 को लिखा गया। माह मार्च, 1978 तक के जी0 पी0 फण्ड की धनराशि का भुगतान श्री सक्सेना को किया जा चुका है, शेष धनराशि के भुगतानादेश शीघ्र निर्गत किये करने के लिये भी महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को लिखा गया है। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश पारित किये जाने पर ही भुगतान किया सकेगा। बिलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है।

पंचायत इण्टर कालेज, परतावल बाजार, गोरखपुर के हाई स्कूल छात्र छात्राओं का परीक्षा फल

118—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 में पंचायत इण्टर कालेज, परतावल बाजार (गोरखपुर) परीक्षा केन्द्र से कक्षा 10 की परीक्षा में कितने छात्र एवं छात्राएं शरीक हुई थीं? कितने छात्र/छात्राओं का परीक्षा-फल रुका हुआ रहा? क्या यह सच है कि काफी देरी से परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी कुछ छात्र, छात्राओं का अंक पत्र अभी तक नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पंचायत इण्टर कालेज, परतावल बाजार गोरखपुर केन्द्र से हाई स्कूल परीक्षा 1979 में कुल 314 परीक्षार्थी सम्मिलित हुये थे, जिनमें 307 छात्र तथा 7 छात्रायें थीं।

केन्द्र से सम्मिलित हुये परीक्षार्थियों में से 8 का परीक्षाफल परिषद् द्वारा रोका गया था, जिसमें 7 छात्र तथा 1 छात्रा थी।

1979 का परीक्षाफल घोषणा के पश्चात उपर्युक्त 8 परीक्षार्थियों को छोड़कर सभी के अंक पत्र सम्बन्धित विद्यालय को वितरण हेतु भेज दिये गये थ। सम्बन्धित

विद्यालय से अंक पत्र प्राप्त न होने की कोई सूचना परिषद कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

राजकीय इण्टर कालेज, समथर, झांसी एवं राजकीय सूरज बालिका इण्टर कालेज के कर्मचारियों की दक्षता रोक

119—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, समथर तथा राजकीय इण्टर कालेज, झांसी एवं राजकीय सूरज बालिका इण्टर कालेज, झांसी के अध्यापक एवं कर्मचारियों के गत तीन वर्षों से दक्षता रोक पार नहीं हुई है? इसके क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है? तथा कब तक इसे पार करा दिया जायगा?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शालिग्राम पाठक इण्टर कालेज, कोंच, जालौन के साधिकार नियंत्रक के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की सुनवायी के लिये निजी अधिवक्ता का अनुबन्धन

120—श्री शंकर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सच है कि कोंच (जालौन) के शालिग्राम पाठक इण्टर कालेज में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्त के विरुद्ध प्रबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय से जो स्थगन आदेश प्राप्त किया है उसे रद्द कराने के लिए माननीय उच्च न्यायलय में स्टैंडिंग कौंसिल के अतिरिक्त एक अन्य निजी अधिवक्ता भी खड़ा किया गया है? यदि हां, तो ऐसा किसने और क्यों किया और इसका मेहनताना कौन देगा?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां।

विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा निजी अधिवक्ता खड़ा किया गया है। अधिवक्ता को मेहनताना देने की आवश्यकता जब पड़ेगी तब उन्हीं के द्वारा दी जायेगी। विभाग की ओर से कोई निजी अधिवक्ता नहीं खड़ा किया गया है।

मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद में पुलिस फायरिंग से मृत्यु

121—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माह अगस्त से 30 नवम्बर, सन 80 तक मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद और अन्य शहरों में कितने लोगों की जानें पुलिस फायरिंग में गयीं तथा कितने लोग गायब है? क्या उनके नाम पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

पूर्ण सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है जिसे यथाशीक्ष एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला परिषद, लखीमपुर खीरी द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालययों में अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों का स्थायीकरण तथा बी0 टी0 सी0 ग्रेड से सी0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नति

122—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर खीरी जिला परिषद द्वारा संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे सहायक अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के नाम क्या क्या हैं जिन्हें सेवारत रहते 9 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है परन्तु अभी तक उनकी सेवाओं का स्थायीकरण नहीं हुआ? ऐसा न होने का क्या कारण है?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित अध्यापकों, प्रधानाचार्यों के नाम संलग्न सूची 'क' में है। स्थायीकरण न होने का कारण नियुक्तियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही में बिलम्ब होना बताया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 301 पर।)

123—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि उक्त प्रश्न में सन्दर्भित विद्यालयों में बी0टी0सी0 ग्रेड में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत ऐसे अध्यापक कौन-कौन हैं जिनकी प्रोन्नति स्वतः सी0 टी0 ग्रेड में अभी नहीं हुई है ? प्रोन्नति न होने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सम्बन्धित अध्यापकों के नाम संलग्न सूची "ख" में हैं। प्रोन्नति में बिलम्ब का कारण इन अध्यापकों की नियुक्तियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही में बिलम्ब होना बताया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ट 302 पर।)

जनपद बहराइच के भिनगा बहराइच मार्ग को ऊंचा करने पर विचार

124—श्री खुर्शीद अहमद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के भिनगा बहराइच मार्ग, जो कि0 मी0 29 से 33 तक हर वर्ष बाढ़ के कारण कट जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस 5 कि0मी0 सड़क को इस वर्ष ऊंचा करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां।

ऊंचा करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

धनाभाव के कारण।

जनपद इलाहाबाद के प्रान्तीय और अस्थायी खण्डों में सहायक एवं जूनियर अभियन्ताओं के रिक्त पद

125—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के प्रान्तीय और अस्थायी खण्डों में सहायक एवं जूनियर अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं और क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

इलाहाबाद जनपद के प्रान्तीय एवं अस्थायी खण्डों में सहायक एवं जूनियर अभियन्ताओं के क्रमशः 6 व 21 पद रिक्त हैं। प्रश्नगत पद लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पद हैं। आयोग द्वारा चयन होने के पश्चात् रिक्त पदों को भरना सम्भव होगा।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय विद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति

126—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में जयहिन्द विद्यालय मन्दिर अहरोरा, पी0डी0एन0डी0 इण्टर कालेज, चुनार, जनता जनार्दन इण्टर कालेज, भुडकुडा में प्रशासक की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

(1) जय हिन्द विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, अहरौरा, मिर्जापुर में शिक्षा अधिनियम की तत्समय प्रभावी धारा 16-डी(5-क) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति दिनांक 13-10-75 को विद्यालय में गबन, प्रशासनिक अनियमितता तथा प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति के गठन न होने के कारण दी गयी थी।

(2) पी0डी0एन0डी0 इण्टर कालेज, चुनार, मिर्जापुर में शिक्षा अधिनियम की तत्समय प्रभावी धारा 16-डी (5-क) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति दिनांक 5-6-75 को विद्यालय विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं तथा प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति के गठन न होने के कारण की गयी थी।

(3) जनता जनार्दन इण्टर कालेज, भुडकुडा, मिर्जापुर में वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति दिनांक 4–3–79 को विद्यालय में वेतन वितरण में अनियमितता, राजकोष धनराशियों का गबन आदि के कारण दी गयी थी।

127—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री उपरोक्त तीनों कालेजों में जल्द से मैनेजिंग कमेटियों के गठन हेतु कोई कार्यवाही करने पर विचार करेंगी ? क्या शिक्षा मन्त्री बताने को कृपा करेंगी कि जनपद मिर्जापुर में उपरोक्त तीन कालेजों के अलावा किन-किन कालेजों पर प्रशासक की नियुक्ति की गयी है और उनका कार्य कब तक प्रबन्ध समिति के हाथ में सौंपा जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इन विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के शीघ्र तिथिवत गठन तथा अनियमितताओं का निराकरण कराने के लिए निर्देश दे दिए गये हैं।

उपरोक्त तीन कालेजों के अतिरिक्त निम्न तीन विद्यालयों में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति की गयी :—

(1) श्री मौनी स्वामी इण्टर कालेज, श्री निवासधाम, मिर्जापुर।
(2) ए0 एस0 जे0 इण्टर कालेज, मिर्जापुर।
(3) आर्य कन्या इण्टर कालेज, मिर्जापुर।

उक्त पहले और दूसरे विद्यालय की प्रबन्ध समिति के शीघ्र गठन एवं अनियमितताओं के निराकरण हेतु निर्देश दिए गये हैं तीसरे विद्यालय की प्रबन्धकीय विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उसके सम्बन्ध में इस पर कोई अग्रेतर कार्यवाही सम्भव नहीं है।

जिला जौनपुर के विकास क्षेत्र सुजानगंज के ग्राम अमांवा में जूनियर बेसिक पाठशाला हेतु भूमि तथा भवन निर्माण

128—श्री जंग बहादुर—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के सुजानगंज विकास क्षेत्र के ग्राम अमांवा में जू0बे0 पाठशाला अमांवा बरगद नीचे चली जा रही है तथा विद्यालय की भूमि जो 27–8–64 के परगनाधिकारी के आदेश से उपलब्ध हुई थी अमलदरामद के बावजूद विद्यालय का नाम सरकारी कागजात से फर्जी तौर पर निकाल दिया गया है ? क्या सरकार विद्यालय को भूमि दिलाने तथा उस पर भवन निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

परगनाधिकारी, मछली शहर के आदेश दिनांक 27–7–64 द्वारा आराजी नम्बर 1202/1, 1206, 1209, 101/1, 1082/1, 1348 तथा 593 कुल 7 गाटा, जिसका क्षेत्रफल 5.08 एकड़ होता है जो ग्राम सराय खानी परगना गड़वारा तहसील मछली शहर में स्थित है, पर श्री तीरथराज सिंह, प्रधान अध्यापक जूनियर बेसिक पाठशाला अमौवा का नाम रजिस्टर मालिकान 1372 फसली में अंकित है। ग्राम सरायखनी की खतौनी 1371 फ0 लगायत 1373 फ0 में भी उक्त आदेश दर्ज है। 1374 फ0 की खतौनी बनाते समय लेखपाल ने गलती से उपरोक्त आदेश के अनुसार खाता कायम नहीं किया। विद्यालय को आवंटित भूमि में से केवल 1.55 डि0 का आवंटन भूमिहीनों को हो गया है। अवशेष भूमि उपलब्ध है जो जिलाधिकारी प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराने को तत्पर हैं। भवनहीन विद्यालयों के लिए शासन द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उससे विद्यालय विशेष का चुनाव बेसिक शिक्षा समिति के निर्णय के अनुसार होता है। जब यह समिति इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निर्णय लेगी तब भवन निर्माण की कार्यवाही आरम्भ होगी।

बागपत काण्ड से संबंधित पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव

129—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि 18 जून, सन् 1980 को बागपत, जिला मेरठ की माया त्यागी काण्ड की घटना के दोषी पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त पुरस्कृत करने का प्रस्ताव पुलिस विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव को किसने प्रारम्भ (इनवाइट) किया था और सरकार ने उस पर कब सहमति दी तथा नाम और ओहदा सहित किन-किन पुलिस कर्मचारियों को कितना-कितना इनाम देने का प्रस्ताव हुआ था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार बागपत काण्ड से सम्बन्धित किसी भी पुलिस कर्मचारी को पुरस्कार स्वीकृत नहीं किया गया है। अन्य बिन्दुओं पर सूचना एकत्र की जा रही है।

पाली ग्राम, जिला मेरठ में पुलिस मुठभेड़ से मृतक डाकू से बरामद दोनाली बन्दूक

130—श्री दीपक कुमार तथा श्री राम प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ के पाली ग्राम में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गये डाकू समरू के पास से दोनाली बन्दूक नं0 7407058 बरामद हुई है ? क्या यह किसी हरिजन विधायक की बन्दूक है ? यदि हां, तो उस विधायक का नाम स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पाली, थाना सरधना, जनपद, मेरठ में दिनांक 7/8-10-1980 की रात्रि में श्री जगराम सिंह राजपूत के घर पर पड़ी डकैती में ग्रामवासियों द्वारा किए गये मुकाबले में डकैत मतीन मारा गया। उक्त मृतक डकैत के कब्जे से बरामद दोनाली बन्दूक संख्या 7 407058 डा0 नरेश अरोरा निवासी मुजफ्फरनगर की है, किसी विधायक की नहीं है।

नगरपालिका फरीदपुर, जनपद बरेली के स्टेशन रोड के गन्दे नाले का निर्माण

131—श्री कल्याण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फरीदपुर जनपद बरेली के स्टेशन रोड के दोनों ओर के गन्दे नाले को अब तक पक्का क्यों नहीं बनवाया गया ? क्या यह सही है कि गन्दे नाले का रुका हुआ गन्दा पानी कब्रिस्तान में भर जाता है ? यदि हां, तो उक्त नाले को पक्का बनवाया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगदीश प्रसाद—

ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

जी हां, केवल बाढ़ में।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बादां से हमीरपुर वाया कपसा–मौदहा की निर्माणाधीन सड़क

132—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा से हमीरपुर वाया कपसा–मौदहा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क कई वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है और यह कब तक पूरी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां।

सीमेन्ट, डामर इत्यादि निर्माण सामग्री की कमी के कारण प्रगति धीमी है। यदि निर्माण सामग्री निरन्तर पर्याप्त मात्रा में मिलती रही तो यह मार्ग अगले दो वर्षों में पूर्ण कर दिए जाने की सम्भावना है।

शिव इण्टर कालेज, गजरौला, जिला मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध जांच

133—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव इण्टर कालेज, गजरौला, जिला मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति विरुद्ध जांच की गयी थी तथा भारी अनियमिततायें पाए जाने पर दिनांक 30–8–78 को शिक्षा उप निदेशक, बरेली ने प्रबन्ध समिति भंग करके जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राधिकृत किया था ? क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्ध समिति अब तक बराबर कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में शिक्षा उप निदेशक, बरेली की रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

दिनांक 31–8–78 से यह जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद को प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया किन्तु मुन्सिफी अमरोहा, मुरादाबाद से 13–9–78 को स्थगन आदेश प्राप्त करने के कारण प्रबन्ध समिति कार्यरत रही। वेतन वितरण अधिनियम की धारा (7) के अन्तर्गत प्रबन्धक द्वारा की गयी अपील पर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने दिनांक 17–12–79 से उप शिक्षा निदेशक, बरेली द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक विषयक आदेश रद्द कर दिया । अतः अब भी प्रबन्ध समिति कार्यरत है।

जिला मुरादाबाद में अमरोहा–कांठ राज मार्ग हेतु ग्राम ऊपरीकलां तथा ग्राम नवादा के कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा

134—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अमरोहा कांठ राजमार्ग के लिए ग्राम ऊपरीकलां तथा ग्राम नवादा के कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जिला मुरादाबाद में अमरोहा–कांठ राज मार्ग के निर्माण के लिए ग्राम नवादा की 11.490 एकड़ स्थायी रूप से अर्जित भूमि के 81,683 रुपए (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि का वितरण किया जा चुका है और शेष 12,201 रुपए (राउन्ड) प्रतिकर धनराशि को आर0डी0 के मद में जमा कर दिया गया था जिसमें से 6,843 रुपए (राउन्ड) को भू-स्वामियों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। ग्राम नवादा की 21.14 एकड़ अस्थायी रूप से अधिग्रहीत भूमि के 5,781 रुपये (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि में से 5,484 रुपये (राउन्ड) का वितरण कर दिया गया है और शेष 297 रुपए (राउन्ड) को आर0 डी0 मद में जमा कर दिया गया । इसी ग्राम की शेष 1.00 एकड़ स्थायी भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ग्राम ऊपरी कलां की 0.28 एकड़ स्थायी भूमि की धारा 4(1) की अधिसूचना 6 जनवरी, 1981 को जारी की गयी है और धारा 5-क की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । इसी ग्राम की अन्य 5.33 एकड़ स्थायी भूमि अर्जन का प्रस्ताव भी शासन को प्राप्त हो गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलना, जिला मिर्जापुर को हाई स्कूल में अपग्रेड करने हेतु विचार

135—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलना विकास खण्ड नरायनपुर, जिला मिर्जापुर को हाई स्कूल में अपग्रेड करने हेतु आर0आई0 जी0एस0 मण्डलीय बालिका निरीक्षक, वाराणसी ने अपनी आख्या 1979–80 में निदेशक,

शिक्षा विभाग को भेज दिया है। प्रश्नकर्त्ता जुलाई से लेकर अब तक मुख्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री एवं शिक्षा सचिव को कई पत्र लिख चुका है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां।

जी हां। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक की आख्या प्राप्त की गयी।

136--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि कन्या जूनियर हाई स्कूल कोलना मिर्जापुर की इमारत शिक्षा की दृष्टि से नम्बर एक पर है? यदि हां, तो हाई स्कूल में उच्चीकरण अब तक न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। विद्यालय भवन में हाई स्कूल कक्षाओं के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था न होने तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया जाना सम्भव न हो सका।

केदारनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खंट गया, जरुरा, इलाहाबाद को अनुरक्षण अनुदान तथा कर्मचारियों को वेतन भुगतान

137--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केदारनाथ उ0मा0 विद्यालय, खंट गया, जरुरा-इलाहाबाद, जो जू0हा0स्कूल स्तर तक राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है को, समाप्त वित्तीय वर्ष 1979-80 की अन्तिम एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 1980-81 का अनुरक्षण अनुदान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्यालय के कर्मचारियों को पिछले 12 माह का वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। विद्यालय को वित्तीय वर्ष 1979-80 का तथा 1980-81 के तीन त्रैमास का अनुदान स्वीकृत हो चुका है। विद्यालय के कर्मचारियों को जनवरी, 1981 तक के वेतन का भुगतान हो गया है। शेष भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा दोहरे वेतन की प्राप्ति

138--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के कितने सदस्य ऐसे हैं जो सदस्य रूप में वेतन भत्तों के साथ-साथ मान्यता एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों से भी वेतन प्राप्त कर रहे हैं? और इस दोहरे वेतन का औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बस्ती में नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी पर मोहाना घाट के पुल का निर्माण

139--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में कूड़ा नदी पर मोहाना घाट का पुल कब से निर्माणाधीन है और उक्त पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री जगदीश प्रसाद--

प्रश्नगत पुल वर्ष 1971-72 से निर्माणाधीन है जिसे जून, 1982 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

मुजफ्फनगर शहर में गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण

140—श्री मेंहदी असगर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, सन् 1980 में गुण्डा ऐक्ट में कितने लोग मुजफ्फरनगर शहर में पकड़े गये ? उनमें हरिजनों तथा मुसलमानों की संख्या क्या थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मुजफ्फरनगर शहर में माह अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1980 में गुण्डा ऐक्ट नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून द्वारा श्रीमती ऊषा मेहता की नियुक्ति न किये जाने सम्बन्धी शिकायत

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र उनको 15-1-81 या उसके आस-पास मिला है जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि श्रीमती ऊषा मेहता द्वारा श्री आर0 एस0 मेहता 5, तिलक रोड, देहरादून, जो 1970 की बी0टी0सी0 ट्रेनिंग प्राप्त है, को बी0एस0ए0 देहरादून ने नौकरी में नहीं रखा, जबकि 1972 में ट्रेनिंग प्राप्त लोगों को सर्विस दे दी ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 22-1-81 शासन को प्राप्त हुआ है और उससे संलग्न श्रीमती ऊषा मेहता के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1980 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने किस जिले से वर्ष 1970 में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून ने सूचित किया है कि उनकी जांच के आधार पर श्रीमती ऊषा मेहता ने जनपद देहरादून से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है ऐसी दशा में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जनपद देहरादून में उनकी सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति सम्भव नहीं थी । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगारों की संख्या और उनका सेवायोजन

142—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में बेरोजगार बी0टी0सी0 की संख्या क्या है ? किस वर्ष तक के बेरोजगार बी0टी0सी0 कार्यरत हो चुके हैं ? शेष कब तक कार्यरत कर दिए जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पूरे प्रदेश में लगभग 69,000 प्रशिक्षित बी0टी0सी0 बेरोजगार हैं। जहां तक प्रश्न किस वर्ष तक के बेरोजगार बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों को कार्यरत कर दिया गया है इस सम्बन्ध में जो सूचना शासन को अभी तक प्राप्त हुई है उसके अनुसार जनपद गाजीपुर में वर्ष 1971 तक के जनपद जौनपुर और बस्ती में वर्ष 1973 तक के और जनपद गोरखपुर में वर्ष 1975 तक के बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। यही स्थिति अन्य जनपदों की भी सम्भावित है। उपरोक्त बी0टी0सी0 बेरोजगार व्यक्तियों की नियुक्ति जैसे-जैसे वर्तमान अध्यापकों की सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र और मृत्यु के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों पर और नए प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के खोले जाने के फलस्वरूप पदों के सृजन पर सम्भव हो सकेगा, किन्तु यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि कब तक उन्हें कार्यरत कर दिया जायगा।

बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत हरिजन लिपिकों का स्थायीकरण

143—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, फैजाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लिपिकों में कितने हरिजन लिपिक हैं और क्या ये स्थायी रूप से कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसी हरिजन लिपिक से इस्तीफा लेने या पद छोड़ देने पर उसकी रिक्ति पर अस्थायी तौर से कार्यरत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे लिपिक को स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बेसिक शिक्षा परिषद, फैजाबाद के उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लिपिकों में से एक हरिजन लिपिक है, जो स्थायी नहीं है। स्थायी न किए जाने का मुख्य कारण यह है कि वह टाइप करना नहीं जानते जो लिपिक के लिए आवश्यक अर्हता है। जिस हरिजन लिपिक के इस्तीफा देने या पद छोड़ने की बात प्रश्न में कही गयी है, उन्होंने दिनांक 4–1–80 से 3–7–80 तक के अवैतनिक अवकाश का आवेदन पत्र दिया था और दिनांक 25–5–80 को अपना त्याग-पत्र दे दिया। जिस हरिजन लिपिक के स्थायीकरण की बात कही गयी है वह दूसरे लिपिक श्री हरी कृष्ण श्रीवास्तव के स्थान पर सितम्बर, 1975 से अवकाशकालीन रिक्ति में स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं और श्री हरी कृष्ण श्रीवास्तव की सेवायें अभी समाप्त नहीं हुई है।

जिला एटा में नए जूनियर हाई स्कूल बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि के अवशेष का विवरण

144—श्री लटूरी सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में नये जू0हा0 स्कूल बनाने को कितना धन शेष पड़ा है ? क्या सरकार स्वीकृत विद्यालयों के भवन शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

जनपद एटा में नये जूनियर हाई स्कूल बनाने हेतु स्वीकृत धनराशि के अवशेष के विषय में प्राप्त सूचना के आधार पर स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) जिला परिषद् एटा के पास 15,000 रु0 की धनराशि अनुपयुक्त है जिससे भवन निर्माण सम्भव नहीं है।

(2) नगरपालिका जलेसर अलीगंज सोरी, मारहरा और गंजडुडवारा के पास कोई धनराशि अवशेष नहीं है। नगरपालिका कासगंज में अवशेष धनराशि रु0 27,000 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा को 10–5–77 को हस्तान्तरित किया था जिसके उपयोग की स्थिति ज्ञात की जा रही है। नगरपालिका एटा से सूचना प्रतीक्षित है।

(3) बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पश्चात जिला एटा के लिए वर्ष 1978–79 में 2 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु रु0 1,32,400 का अनुदान स्वीकृत किया गया था जिससे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1979–80 व 1980–81 में एक-एक जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण हेतु क्रमशः रु0 82,000 और 82,000 का अनुदान जिला एटा के लिए स्वीकृत किया गया जिससे भवन निर्माण कराये जाने की कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही है।

भारतीय शिशु मन्दिर, सण्डीला, हरदोई को अनुदान के सम्बन्ध में डा0 राम आसरे तिवारी का प्रत्यावेदन

145—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि भारतीय शिशु मन्दिर सण्डीला, हरदोई का अनु-

दान बन्द कर दिये जाने के विरुद्ध फरवरी, 1978 में एक प्रत्यावेदन डा0 रामआसरे तिवारी की ओर से निदेशक शिक्षा विभाग को भेजा गया ? यदि हां, तो अब तक निर्णय न किए जाने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(समय 12 बज कर 4 मिनट)

विधान भवन के सामने गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा जिला कारागार में आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

महोदय, मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 27-3-81 को अपराह्न विधान भवन के सामने सरकार की नीति उजागर करने हेतु आये हुए आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए लगभग एक दर्जन छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

उपरोक्त प्रदर्शनकारियों द्वारा जिला कारागार, लखनऊ में प्रस्तावित खाने आदि की असुविधा के फलस्वरूप प्रदर्शनकारी छात्रों द्वारा आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया गया । यह आमरण अनशन विगत चार दिनों से चल रहा है जिनमें से एक की हालत गम्भीर बताई जाती है । यदि समय रहते हुए फौरी ध्यान न दिया गया तो निश्चित ही कोई अप्रिय घटना घट सकती है ।

अतः प्रशासन से मेरी मांग है कि आमरण अनशनकारियों की प्राण रक्षा हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जाय और अनशनकारियों की समस्या का समाधान किया जाय।

शासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ प्राप्त अनुदान के वितरण में तहसीलदार बीकापुर (फैजाबाद) द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद फैजाबाद, तहसील बीकापुर के अन्तर्गत 50 लाख घोटाले के इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुमति से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । तहसीलदार बीकापुर ने बाढ़ में शासन द्वारा स्वीकृत अनुदानों एवं अहेतुक सहायता का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया है। बाढ़ में बिसुही और तमसा नदी पर जनता के इस पार से उस पार आने-जाने के लिए सुविधा हेतु लगायी गयी नावों के भुगतान में बीसों लाख का फर्जी वाउचर द्वारा भुगतान किया गया है और गृह अनुदान वितरण में भी भारी पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। शीत लहरो में दी गयी लाखों रुपए का फर्जी वितरण के झूठे वाउचर लगाये गये हैं। गृह अनुदान वितरण में पात्रता तथा लेखपालों द्वारा प्रस्तुत अनुदान सूची की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर आम लोगों में मात्र 50—50 रुपए का वितरण किया जा रहा है और हर प्रकार से सरकारी धन की लूट की जा रही है। इसमें भी वितरण के अतिरिक्त सूचियों के वाउचर संलग्न किये जा रहे हैं। जिन गांवों में 100 व्यक्तियों को वितरण किया गया है वहां 200 व्यक्तियों की सूची संलग्न कर रुपया हड़प लिया गया है। इस अनियमितता से पूरी तहसील के जन मानस में भारी असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। तथा जन-जीवन आन्दोलित हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन--]
उठा है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री, माननीय मुख्य मन्त्री तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को उक्त शिकायतें प्रस्तुत की जा चुकी हैं परन्तु अभी तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतएव, श्रीमन्, आपके माध्यम से इस लोक महत्व की सूचना को आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि तत्काल तहसील बीकापुर के अनुदान वितरण सम्बन्धी सभी मामले की किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच करायी जाय तथा जांच से पूर्व अविलम्ब सभी वितरण पत्रावलियां सील करा दी जायं।

श्री गणेश प्रसाद साहू आशुलिपिक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह--

महोदय, श्री गणेश प्रसाद साहू, आशु लिपिक, उत्तर प्रदेश जल निगम, 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जोकि कैसरबाग कोतवाली के पीछे रहता था, को दिनांक 17 मार्च, 1981 को कुछ लोगों ने जान से मार डाला। मृतक ने अपने ऊपर मारे जाने से पूर्व कैसरबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन उसकी रक्षा नहीं की जा सकी। दो बार 17-3-81 को एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के बावजूद उसी दिन उस पर प्राणघातक हमला हुआ। इसके पश्चात् वह 18-3-81 को बलरामपुर अस्पताल में मर गया। अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इस सम्बन्ध में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देकर अभियुक्तों एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच करा कर कड़ी कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।

गोरखपुर जनपद में डीजल वितरण में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं सरकार एवं सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेडियो एवं अखबारों के माध्यम से सरकार प्रदेश के अन्तर्गत डीजल वितरण पर से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा कर चुकी है। अधिकांश जिलों में यह आदेश लागू हो गया है परन्तु कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां आज भी सरकारी नियन्त्रण से डीजल वितरण का कार्य हो रहा है। उदाहरण स्वरूप जनपद गोरखपुर में डीजल का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है तथा जिनको डीजल वितरण करने को अधिकृत किया गया है, वे कालेबाजार में डीजल को बेच दे रहे हैं।

किसानों की फसल कटकर काफी मात्रा में खलिहान में आने लगी है तथा प्रदेश में इस समय कहीं-कहीं बारिश भी हो गयी है तथा मौसम गीला बना हुआ है। किसान अपनी फसल की मड़ाई आदि के लिए चिन्तित हैं। किसानों के थ्रेशर ट्रैक्टर आदि डीजल के अभाव से नहीं चल पा रहे हैं। गोरखपुर जैसे अन्य जिलों के किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। गोरखपुर में डीजल वितरण मुक्त न होने के कारण किसानों के कार्यों के अलावा सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों का चलना कठिन हो गया है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि डीजल वितरण मुक्त करके गोरखपुर जैसे अन्य जनपदों के किसानों आदि को राहत दिया जाय।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981, जो उत्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश विधान सभा द्वारा 14 मार्च, 1981 को पारित किया गया था, और जिसे पारित किए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 25 मार्च, 1981 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 28 मार्च, 1981 को उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा 14 मार्च, 1981 को मूलत: पारित किया गया था, पुन: पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा 28 मार्च, 1981 को पुन: पारित किया गया था, पारित होने के उपरान्त 30 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1980–81) का प्रथम प्रतिवेदन†

*श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय––

मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1980–81) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह प्रतिवेदन छठी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) के सातवें प्रतिवेदन में जो श्रम विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन तथा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है, की संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है।

मूल प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना शासन से दिसम्बर, 1979 में प्राप्त हुई थी। 17 फरवरी, 1980 को, विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण नई विधान सभा की प्राक्कलन समिति गठित होने पर समिति ने दिनांक 9 तथा 10 दिसम्बर, 1980 की बैठकों में इन सूचनाओं पर विचार किया। कतिपय अन्य बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु समिति ने दिनांक 22 जनवरी, 1981 को सचिव, श्रम तथा सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य विभागीय अधिकारियों का साक्ष्य लिया तथा दिनांक 10 फरवरी, 1981 की बैठक में समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने के उसे कुछ संशोधनों के साथ अंगीकार किया।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के निर्वाचन सम्बन्धी नामों की वापसी की तिथि बढ़ाने की सूचना

श्री अध्यक्ष––

एक सूचना मैं सदन को दे रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय, जो दिनांक 31 मार्च, 1981 को अपराह्न 5 बजे तक नियत किया गया था, को माननीय संसदीय कार्य मन्त्री एवं मुख्य सचेतक, लोक दल के अनुरोध पर अब दिनांक 2 अप्रैल, 1981 के अपराह्न 5 बजे तक कर दिया गया है।

शेष कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

श्रीमती गौरी देवी द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना को कल लिये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष––

विशेषाधिकार की सूचना जो श्रीमती गौरी देवी के सम्बन्ध में दी गयी थी, उसका उत्तर आ गया है। उस पर मैं आज आपको सुन लूंगा यदि आप आज सुनना चाहते हैं लेकिन मेरा एक निवेदन सुन लें तो सन्तुलन बैठ जायगा। आप एजेंडा देख लें। आधे-आधे दिन की दो मांगें हैं। एप्रोप्रिएशन बिल भी है। कल के विषय पर चर्चा भी है। जो उत्तर आया है वह काफी लम्बा है। मैं चाहता हूं कि संक्षेप में पूरी सूचना सामने रख दूं और कुछ आप कहना चाहें उसे सुन कर उस पर आप निर्णय दें। इसलिए कल के लिए इसे रख दिया जाय तो बेहतर होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

श्री रियासत हुसैन—

ठीक है कल के लिए रख दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

कल के लिए इसे रख दिया गया ।

श्री हुकम सिंह—

मन शिव राज सिंह के बारे में तीन सप्ताह हुए एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर जानकारी प्राप्त करके आपको बतला दूंगा ।

श्री मोहन सिंह—

एक पखवारा हो गया, 'दैनिक जागरण' के सम्बन्ध में मैंने भी दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर आ गया है । दो तारीख तक विशेष उत्तर देने के लिए समय मांगा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

पांच कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई थीं और सभी को अस्वीकृत किया गया है ।

पहली सूचना सर्व श्री मित्रसेन यादव एवं मसरूर जाफरी की है दिनांक 30 मार्च, 1981 को मेदागिन चौराहा, वाराणसी में सिटी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अन्तरिम निषेधाज्ञा के बावजूद भी स्वर्गीय संजय गांधी की प्रतिमा का शिलान्यास कांग्रेस (आई0) के राष्ट्रीय महासचिव, कल्पनाथ राय द्वारा किए जाने से हुए न्यायपालिका के अपमान के सम्बन्ध में है । न्यायपालिका का अपमान हुआ है तो इसकी सुनवाई न्यायपालिका में होगी । हम इसे सदन की कार्यवाही का भाग नहीं बना सकते । इसे अस्वीकार करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव को दिनांक 20 मार्च, 1981 को हरदोई जनपद के देव दरबार इण्टर कालेज, सांडी के प्रधानाचार्य श्री जे0 पी0 यादव की सत्ता पक्ष के विधायक के साजिश से हुई हत्या के सम्बन्ध में है । यह भी अस्वीकृत की गयी ह ।

तीसरी सूचना सर्वश्री हरिवंश सहाय एवं नन्द किशोर सिंह की देवरिया जनपद से हजारों टन गुड़ की नैपाल के रास्ते चीन को तस्करी किए जाने के सम्बन्ध में है । इसे भी अस्वीकृत किया जाता है ।

चौथी सूचना सर्वश्री शंकर सिंह एवं दलगंजन सिंह की दिनांक 15 मार्च, 1981 को श्री शंकर लाल चौहान निवासी उरई जालौन के पुत्र श्री सुरेन्द्र सुमन की डकैतों द्वारा अपहरण किए जाने में फिरौती में पांच लाख रुपए मांगने तथा दिनांक 29 मार्च, 1981 को थाना रेंढर, जनपद जालौन से श्री सन्तोष कुमार का अपहरण करने एवं फिरौती में 1 लाख रुपया की मांग करने के सम्बन्ध में है । इसे भी अस्वीकृत किया गया है ।

पांचवीं सूचना सर्वश्री जयदीप सिंह एवं अम्बा प्रसाद वर्मा की दिनांक 28/29 मार्च, 1981 की अर्ध रात्रि के लगभग दो बजे सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के छात्र एवं छात्राओं के छात्रावासों की पुलिस द्वारा जबरिया खाली कराने एवं डाक्टरों को आतंकित करने के सम्बन्ध में है । इसे भी अस्वीकृत किया गया है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री विजय सिंह राना—

मेरा आगरा के मेडिकल कालेज के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है ।

(व्यवधान के मध्य)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें हर चीज को मत उठाइये । सब चीज कार्यस्थगन में नहीं उठायी जा सकती ।

कार्य-स्थगन में जो उठाने वाली बातें होती हैं, उनको मैं स्वतः कुछ कहने का मौका देता हूं। माननीय कारागार मंत्री .....

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(व्यवधान)

आप सब बैठ जायं। आप बैठ जाइये। आप कृपया बैठ जाइये। मसरूर जाफरी साहब बैठ जाइये। माननीय राना जी, माननीय दलगंजन सिंह जी, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये।)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और कुछ कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री दलगंजन सिंह से) जालौन जनपद में थानाध्यक्ष, सब इन्सपेक्टर और सिपाही को मारे जाने वाली सूचना के विषय में चर्चा निर्धारित की जा चुकी है उसमें इसको भी सम्मिलित कर लिया जायेगा। इसके लिये शासन को निर्देश दे दिये जायेंगे। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अगर ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तो देश के अन्दर और भी दुर्व्यवस्था पैदा हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कालेज तो रोज खुलते हैं और रोज बंद होते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आगरा की घटना के बारे में दो मिनट सुन लें। यह बड़ा अहम मसला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आपकी सूचना भी नहीं है, आप बिना सूचना दिये खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, दो मिनट मेरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

[समय 12 बज कर 23 मिनट]

1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 82--गृह विभाग (कारागार)--पूंजीगत परिव्यय

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,23,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय कारागार मंत्री जी बैठे-बैठे बोल देते हैं। खड़े होकर बोलें।

श्री अध्यक्ष—

वह खड़े होकर बोल रहे हैं और आपको वह बैठे हुए नजर आ रहे है। इसमें उनका क्या दोष है ?

(हंसी)

(श्री हुकम सिंह के बैठ जाने पर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह बैठ जायं तो अच्छा है, क्योंकि ये इस वक्त खड़े हुए हैं।

(हंसी)

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—गृह विभाग (कारागार) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, कारागार में दो तरह से विचार आते हैं। इन कारागारों की चहारदीवारी के अन्दर हमारे देश का इतिहास बना हुआ है। एक ओर डाकू, बलात्कार करने वाले तमाम समाज विरोधी वहां पर इकट्ठा हैं। जिस वक्त हम एक तरफ उस दृश्य को देखते हैं, तो दूसरी ओर हमें वहां पर दूसरा दृश्य भी दिखाई पड़ता है कि वहां पर बड़े-बड़े तपस्वी उन जेलों में रहे जिन्होंने देश के इतिहास को बदला और दुनिया को दिशा दिखायी। बरेली को ले लीजिये, जिस समय हम जेल में घुसते हैं, दाहिने हाथ एक कब्र है, जो कि खान बहादुर की कब्र है, जिनको फांसी दी गयी थी। उनकी कब्र पर यह लिखा हुआ है—

फांसी के तख्ते पर लटके,
खान बहादुर तख्त नशीन,
भारत मां की गोदी में,
सोते हैं वे वीर यहीं।

और उसके आगे पड़ती है खड्ड बैरक, जिसमें प्रातः स्मरणीय राष्ट्रनायक पं0 जवाहर लाल नेहरू रहे और उनके बारे में वहां जेल में ऐसे लोग अब भी है, जो उनका वर्णन करते हैं।

दूसरी ओर फर्रुखाबाद, फैजाबाद और गोरखपुर की जेलों को ले लीजिये, जहां हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला जेलों में रहे और वे जेलें उनके नामों से गूंजी। जब उनकी याद आती है तो दिल भर आता है, वे हंसते-हंसते फांसी के तख्ते पर लटके और स्वतंत्रता दिलायी। निरन्तर इन बातों को जानते हुए भी वहां की जेलों में वे सुधार नहीं कर पा रहे हैं, जैसा चाहते थे।

माननीय सम्पूर्णानन्द जी के समय में स्वतंत्रता के बाद सोचने का तरीका बदला और कार्य की शैली बदली और यह सोचा कि कल्याणकारी राज्य में 40 हजार से अधिक संख्या में रहने वाले इन लोगों का ऐसा स्तर बनाया जाय ताकि वहां से निकलने के बाद वे समाज के लिये उपयोगी हो सकें। इस उद्देश्य से शनैः शनैः हर कार्य को करने की कोशिश की गयी। कोई ऐसा माननीय सदस्य न होगा जिसे जेल का तजुर्बा न हो। सदन में बैठे हुए लोगों में सम्भवतः कोई ऐसा न होगा, जिसे इसका तजुर्बा न हो। कोई ऐसा मंत्री नहीं है, जो स्वयं जाकर निरीक्षण न कर चुका हो। लेकिन अभी बहुत से काम करने बाकी है, जिनकी आवश्यकता है। शौचालय, पेयजल की योजना और विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत आवश्यक है। खाने के लिये भी सामान उपलब्ध कराने में कुछ रुकावटें

हैं । प्रशासनिक तरीके से जो सुविधायें हम उपलब्ध कराते हैं, वे उन तक पहुंच नहीं पाती हैं । यह भी दिक्कतें होती हैं कि फार्म में, कृषि फार्म में जब उन्हें काम करने के लिये भेजते हैं, वहां पर उनकी तनख्वाहें जो लगायी जाती हैं, वे भी कम [illegible] जाती हैं । उन्हें धन भी कम मिलता है । साथ ही साथ ऐसे कार्य को संचालित करने के लिये जो हमारे पास स्टाफ है, प्रशासन को अधिक चुस्त करना है, उनमें भी तब्दीली लाने की आवश्यकता है । जेल मैनुअल भी पुराना है । 17वीं और 18वीं सदी में जब जेलों का निर्माण हुआ था, तभी का यह जेल मैनुअल है । उन भावनाओं को भी बदलने की आवश्यकता है । ऐसी बैरक है कि वहां विद्युतीकरण और सफाई नहीं हो सकती, रहने की व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकती । इन सबके लिये धन की आवश्यकता है । अब पंचवर्षीय योजना बनायी है और योजना बनाने के बाद हम आशा करते हैं कि इन सेवाओं को हम उपलब्ध करा सकेंगे आपके अनुभवों का फायदा उठाकर ।

हम कहेंगे कि हमें आप रचनात्मक सुझाव दें । यह सब हम करना चाहते हैं लेकिन सारा काम नहीं हो पा रहा है, चाहे अस्पतालों का इन्तजाम हो या बंदियों के खाने पीने का इन्तजाम हो । हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी नीयत साफ है। हम पूरे तौर से स्वच्छ प्रशासन देने की ओर अग्रसर हैं और विश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी रचनात्मक सुझाव आप देंगे, हम उसे क्रियान्वित करेंगे । साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि वहां पर रहने की व्यवस्था जो जेलों में है उसमें स्त्रियों के लिये, बच्चों के लिये क्या व्यवस्था की जाय जिससे वहां पर रह कर जिस तरह अन्दर गये हैं उससे बुरे न हों और स्त्रियों की रक्षा हो सके, वहां जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है बन्दियों को और खाने को जो सुविधा दी जाती है, उन सब का ठीक से कार्यान्वियन हो, इसके लिये माननीय सदस्य अच्छे सुझाव देंगे जिससे जो पैसा इसमें दिया जा रहा है उसका सदुपयोग ठीक से हो सके । इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करना चाहता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26––गृह विभाग (कारागार) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82––गृह विभाग (कारागार)––पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मंत्री जी ने ऐतिहासिक बात से अपना भाषण प्रारम्भ किया कि इन जेलों की चहारदीवारी के बीच आजादी की लड़ाई के सिपाही रहते हैं और कुछ नेताओं के नाम भी गिनाये । मैं भी इस आशा से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं कि मंत्री जी के विभाग के कटौती के प्रस्ताव ने प्रजातंत्र के अन्दर एक इतिहास बनाया है और कल आसाम की एसेम्बली के अन्दर जेल के ही सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर जेल की कटौती का प्रस्ताव विरोध पक्ष का पास हुआ है और वहां एक गम्भीर प्रश्न खड़ा हो गया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब जेल के अन्दर हिन्दुस्तान की आजादी के लोग रहते हैं तो इसलिये कटौती के प्रस्ताव का भी आप एक इतिहास बना दें और पास करा दें तो मंत्री जी का और मेरा सौभाग्य होगा ।

मान्यवर, एक तरफ तो फतेहगढ़ की जेल में जो कांड हुआ वह जेल प्रशासन में एक मिसाल है । मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के अन्दर फूलन समाज की सबसे बड़ी दुश्मन समझी जा रही है और समाज फूलन का इसमें सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है और पूरा शासन इसमें लगा हुआ है लेकिन फूलन को उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

जिन्दगी तक पहुंचाने के लिये आपके जेल विभाग का भी कुछ हाथ रहा है। मै उसको पढ़कर बताये देता हूं कि फूलन किस तरह इस तरह बड़ी हुई—

"कुछ डाकू तो जातिबिरादरी के झगड़े में किसी बड़े जमींदारी की ज्यादती का शिकार हुये और कुछ लूटी हुई इज्जत का इंतकाम लेने के लिये खूनी बन गये।"

अब जो यह अन्त में कहा कि लूटी हुई इज्जत का इंतकाम लेने के लिए खूनी बन गये, तो उसका सिलसिला मैं बताना चाहता हूं जिसका हवाला मैं दे रहा हूं। जब उस फूलन के गांव के लोगों ने उस पर नजर रखकर उसको परेशान किया और उसकी इज्जत लूटी लेकिन फिर भी वह बच निकली किन्तु फूलन के लिये जबरदस्त परेशानी उस समय पैदा हुई जब टाउन के एक सरपंच के लड़के ने उसको अय्याशी के लिये दावत दी और फूलन ने न सिर्फ उसको ठुकरा दिया बल्कि गांव के प्रधान की लड़की को सरे राह पीटा क्योंकि वह उसकी गाली बरदाश्त न कर सकी। गांव के हाकिमों के खिलाफ उस बगावत ने फूलन को मुजरिम बना दिया। हालांकि जिस जुर्म में उसको कैद किया गया था वह उसने नहीं किया था। इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 3 सप्ताह जेल में रहे और वहां बार बार असंगत दूर की गई। और कुछ लूटी हुई इज्जत का इंतजाम लेने के लिये खूनी बन गये। इसलिये मैं कह रहा हूं कि आपका जेल विभाग दुश्मनों को पैदा कर रहा है।

अब मै आपके इस्टैब्लिश्मेंट के बारे में कहना चाहता हूं। 38 हजार 201 आपकी कैपेसिटी है, 33 हजार 122 एक्चुअल है और 29 हजार 184 का औसत है। आपके जेल में पोलिटिकल, क्रिमिनल और तरह तरह के कैदी जाते है और उनके साथ यह व्यवहार करते हैं। आपका इतना छोटा इस्टैब्लिशमेन्ट है और उसमें एक आई0 जी0 एक एडीशनल आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 और 3 जोन में बांट रखा है। मुझे ताज्जुब है और दुख है कि आपके आई0 जी0 का 16 सौ से 2 हजार का ग्रेड है और पुलिस आई0 जी0 का ग्रेड 2 हजार 5 सौ से शुरू होता है और 2 हजार 750 तक है।

अब मैं सबसे नीचे के व्यक्ति के बारे में कहता हूं आपका जो हेड वार्डर है उसकी तनख्वाह 185 से 265 रुपया, आपका वार्डर जो है उसका 175 से 250 है उसके मुकाबले में पुलिस का सिपाही का ग्रेड 200 से 300 है। अभी पिछले दिन जब पुलिस के ऊपर गृह विभाग की बहस हो रही थी तो सभी माननीय सदस्यों ने असन्तोष व्यक्त किया कि पुलिस के सिपाही की कांस्टेबिल की थानेदार की तनख्वाह कम है उनको अधिक तनख्वाह मिलनी चाहिये, करप्शन वगैरह को कन्ट्रोल करने के लिये। मुझे अफसोस होता है कि आपके विभाग में तनख्वाह कम है उनके मुकाबले में इनकी तनख्वाह कितनी कम कितनी गई गुजरी है। इसलिये जो असन्तोष की भावना है आपके विभाग में वह बढ़ती जायेगी। इसलिये मेरा यह कहना है कि जो जेल के अन्दर भ्रष्टाचार है वह भष्टाचार का कारण केवल एक है कि जेल के नियम जो हैं उनको तोड़ने के लिये उनके मैनुअल को तोड़ने के लिये जो आदमी जेल में जाता है अपने हित में उन नियमों को तोड़ने के लिये रिश्वत देता है और आपके जेल के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिये नियमों को तोड़ते हैं। एक तरफ तो देने वाले ने जेल के कानून को तोड़ने के लिये पैसा दिया और दूसरी तरफ जेल के कर्मचारियों ने नियम को तोड़ने के लिये पैसा लिया। इस लिये आपने खुद तस्लीम किया कि जेल का मनुअल बहुत पुराना है वह उस वक्त के है जब अंग्रेज यहां हुकूमत कर रहा था। आजादी के बाद जेल विभाग के मैनुअल में कम्प्रेहंसिव चेंज आना चाहिये था। क्योंकि अंग्रेजों ने जेल मैनुअल यहां के लोगों को हरतरह से कन्ट्रोल करने के लिये बनाया था। लेकिन आज तक वह जेल मैनुअल जो अंग्रेजों ने बनाया था उसमें चेंज नहीं किया गया। आप अगर देखें, आपकी जो किताब है, उसमें दिया है। कुछ बढ़ोत्तरी की है। दाल में 30 से 40 ग्राम कर दिया है, साबुन—30 से 60 ग्राम, तेल—7 से 10 ग्राम, पैसे में 15 से 30, चाय भी रोजाना शुरु किया है, मसाला देना शुरू किया है।

लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आज जेलों की हालत क्या है ? आपके ही जिले में दो जेलें हैं—सेंट्रल जेल है। मालूमात होता रहता है। तो जो 65 जेलें है, उन में क्या हालत है ? लोग कोशिश करते हैं कि सफाखानों में दखिला ही जाय तो अच्छा हो क्योंकि वहां एक किलो दूध मिलता है। दो अण्डे मिलते है और उम्दा खाना मिलता है। गोश्त और शराब अपने पैसे से मंगाया जा सकता है। पैसा दो, तो डिपार्टमेंट के लोग ला देंगे। इसके लिये फीस 25 रुपया रोज है। जो यह डाइट लेना चाहते है, 25 रुपया दें और सफाखाने में भर्ती हो जायं और वहां भी सभी आराम है।

अब मान्यवर, आगे देखें। जब मुलाकाती आते हैं तो क्या चीज लाते हैं ? इसी से अंदाज लगा लें क्या चीज मिलती है वहां। मुलाकाती आम तौर से जो चीजें लाते हैं ? वे छोटी छोटी चीजे होती हैं, जैसे नमक, प्याज, हरी मिर्च, बीड़ी, माचिस, साबुन, तेल, गुड़ और ऊंचे पैमाने का आदमी हुआ तो बिस्कुट और फ्रूट, चीजें छोटी-छोटी हैं, लेकिन कितनी अहमियत है उनकी वहां। तो मुलाकाती छोटी छोटी चीजें देते हैं। लेकिन उसकी जरूरत पूरी नहीं होती तो नमक ही बहुत बड़ी चीज हुयी, तेल ही बहुत बड़ी चीज हुई, प्याज और हरी मिर्च ही बहुत बड़ी चीज हो गयी। अगर कोई मुलाकात करने जाता है, तो जितने का कुल सामान न होगा, उसको एक मुलाकात के लिये कम से कम 15 रुपये जरूर देना पड़ेगा हालांकि सामान 15 रुपये का नहीं है। अब कहें कि गेट-कीपर 15 रुपये उठा लेता है, सो बात नहीं। गेटकीपर से ऊपर तक परसेंटेंज बंटा हुआ है। अब कितने मुलाकाती आवे और कितना यह हुआ ? गेट पर ही साढ़े 5 रुपया देना पड़ जाता है। हालांकि वह कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं है। पकड़ा जाय तो कह देगा कि म तो ड्यूटी पर नहीं था। लेकिन साढ़े 5 रुपया गेटकीपर को दाखिले का मिलेगा। फिर मुलाकाती जब अन्दर जायेगा, तो 2 रुपया चीफ साहब को, 2 रुपया वार्डेन साहब का बंधा हुआ है, एक रुपया हवालात के अन्दर जो गेट है, उसका बंधा है। एक रुपया राइटर का बंधा है। इस तरह से बटवारा नीचे से ऊपर तक चलता है और उस तरह से आमदनी चलती है और खुराक क्या देते है ? जिस तरह से खुराक के लिये लिखा हुआ है, उतनी खराक मिल जाय, तो परेशानी नहीं। तो वहां दो ही दर्जे का भ्रष्टाचार है एक मुलाकात में और दूसरा खराक में चोरी। जैसे दलिया है, लेकिन कहीं मय गेहूं के दलिया नहीं लिखा।

इसी तरह से जब भंडारे में काम करने के लिये आदमी ले जाया जाता है, तो वहां सभी जाति के लोग ले जाते है लेकिन दो जातियों का एग्जेम्प्शन है। धोबी और बाल्मीकि को भंडारे में नहीं ले जाया जायेगा। जब जेल के अन्दर सफाई के कर्मचारी का होता है तो सुपरिन्टेन्डेन्ट को लिखा जाता है कि सफाई करने वालों की कमी है, कुछ भंगी भेज दें। तो उसे बाहर से दफा 60 और 109 व 110 वगैरह लगाकर, जहां भी इनकी जरूरत होती, बाल्मीकी और धोबी वगैरह को पकड़ लाते और अपना काम चलाते लेकिन आज भंडारे में क्या हो रहा है, वहां पर इन लोगों को जाने दिया नहीं जाता, चूंकि अब तो वह जमाना रहा नहीं, तो फिर यह भेदभाव कैसा। दूसरे मान्यवर, एक आमदनी का जरिया इनके पास और है, उसे फगार के नाम से जाना जाता है, वह भागार है क्या ? वह भगार है यह जो रोटी जल जाती है, खराब हो जाती है, उसको बाहर निकालने के बहाने और भी चीजें वहां से बाहर निकालकर आती है इसके अलावा वहां पर खाने पीने की चीजों की जो खपत है, मान लीजिये 5 किलो दाल एक कट्टा आटा, एक क्विंटल लकड़ी और डेढ़ किलो घी, इनसे अगर कुछ बच गया तो वह सारा माल गनीमत इनका।

श्री अध्यक्ष—

रियासत साहब आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

बस मान्यवर, मैं अब अपने अन्तिम सुझावों पर आ रहा हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि वह जेल मैनुअल को अमेंड करने जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, क्लासिफिकेशन के बारे में 'ए' या 'बी' क्लास उन लोगों को दिया जाता है, जो ग्रेजुएट हैं, वकील हैं, डाक्टर है, पालीटिकल वर्कर हैं, सत्याग्रही हैं, या जो सुपीरियर क्लास के है, व अन्य सम्मानित किस्म के लोग है या इनकम टैक्स पेयी हैं। इन लोगों का क्लासीफिकेशन जेल में आते ही कर देना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, बल्कि हो यह रहा है कि इस आशय की एप्लीकेशन डी० एम० को लिखी जाए, तब कुछ समय बाद, कुछ इधर-उधर करके किया जाता है। तो मान्यवर, इस बात के स्पष्ट आदेश दिये जायं, कि जब ऐसे लोग वहां पहुंचे तो उनका क्लासीफिकेशन वहीं पर तुरन्त हो जाए। दूसरा सुझाव मान्यवर, यह है कि किसी हद तक चाहे वह प्रैक्टिकल हो पाये या न हो पाये यह जो जेलों में मिलाई होती है, एक आर्डनरी तौर पर और दूसरी स्पेशल मिलाई। तो इस स्पेशल मिलाई के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनायें, जिससे भष्टाचार भी कम हों और इससे आमदनी भी विभाग की बढ़े। इसके लिए एक मशीन प्रयोग में लायें कि जब कोई मालदार स्पेशल मिलाई के लिये आये, तो वह उसमें जो भी निर्धारित किया जाए, रुपये डाले और उसको स्पेशल मिलाई का टिकट उसी मशीन द्वारा मिल जाए और इसकी सूचना डिप्टी जेलर या कोई अन्य अधिकारी जो भी हो, उसको हो जाए कि कोई स्पेशल मिलाई वाला आया है, वह अधिकारी उसको ले जाकर मिला दे। तो इस तरह से जो पैसा अभी उन भ्रष्ट कर्मचारियों की जेब में जाता है, वह न जाकर गवर्नमेंट में आयेगा, जिससे तमाम जेल में इम्प्रूवमेन्ट किया जा सकता है। जिस तरह कि मान्यवर, वेट मशीन लोगों के वजन को तौलने की होती है, ठीक उसी तरह की वहां पर स्पेशल मिलाई के लिए वह मशीन लाई जा सकती है। इस वक्त जो गेटकीपर उन जगहों पर होते हैं, स्पेशल मिलाई कराने वाले, वह अपने को खुदा समझते हैं। तो इस तरह से यह बातें भी खत्म होंगी और इससे जो आमदनी होगी, वह प्रदेश के खर्चे में आ जायेगी, बजाय किसी के जेब में जाने के। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हर जेल के दरवाजे पर एक-एक इन्टेलीजेन्स का आदमी हर वक्त होना चाहिये और इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिये वह चाहे तो सादे वर्दी में रहे ताकि दरवाजे पर होने वाली गतिविधियों की वह आपको इन्फारमेशन दे सके।

आपके 10 जिले ऐसे है जिनमें सुपरिन्टेन्डेन्ट नहीं है जेलों के अन्दर की संख्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी क्यों कि समाज के अन्दर इस तरह से चल रहा है चाहे वो पोलिटिकल ग्राउन्ड हो, चाहे गुण्डे बदमाश हों, चोर हो, क्रिमिनल हों तो जेलों में सुपरिन्टेन्डेन्ट की गैरहाजिरी में आपके मेडिकल आफिसर कहीं सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम कर रहे ह। तो आप अपने जेलों में सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह भरिये। आप का पूरा स्टाफ फुल्ली इक्वीप्ड होना चाहिये और जो प्रमोशन्स हुए है आपके यहां किसी की हकतल्फी नहीं हुई है। किसी की सर्विस कहीं है, किसी के साथ कोई फेवर न होता कि उनमें असन्तोष न रहे।

तीसरी बात कि औरतों का जेल टोटली सेपरेट होना चाहिये वहां के सारे कर्मचारी भी औरतों को ही होना चाहिये और वह आदमियों की जेल से बहुत अलग हो ताकि किसी भी तरह से मेल वार्डेन का वहां जाना सम्भव न हो। श्रीमन्, इन सुझावों के साथ कारागार मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसकी सप्लीमेन्टरी बजट पर असम के लिये, उसके लिये जो अखबारों में निकला है, उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके पहले कि आप माननीय सदस्य को बुलाऊं, यह बता दूं कि 12.20 पर यह अनुदान शुरू हुआ है और इस पर 2 बजे मतदान होगा और 2 के बाद 4 बजे तक नियोजन

और उसके बाद अन्य अनुदान होंगे। 4 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होगा। इसमें समय का बहुत अभाव है। ऐसे समय में आप सब इसका ध्यान रखें कि 5–5 मिनट ही बोलने का अवसर रखा है। कृपया अपना भाषण 5 मिनट पर ही खतम कर दें। 4 मिनट हो जायेंगे तो आपको सूचना दे दी जायेगी और आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री दूधनाथ राजभर––

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जेल विभाग के बजट के संबंध में चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब जेल की व्यवस्था की जा रही थी उस समय सोचा गया था कि समाज में जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो भयंकर अपराध करते हैं, उन्हें न्यायालय के द्वारा सजा मिले और जब सजा मिले तो उनके रहने के लिये एक स्थान जेल बनाया गया था। उन्हें जेल में इसलिये स्थान दिया गया कि जेल में रहने से उनमें सुधार होगा, वह अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने आचरण में सुधार करेंगे और जब सही आदमी बन कर निकलेंगे तो जो समाज में वह बुरे काम कर रहे थे उनको त्याग देंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जेल में आने के बाद जो खराब आदमी नहीं हैं सही आदमी भी जेल की चहार दीवारी के अन्दर बन्द किया जाता है। तो इसी है, वह दुर्व्यवहार करने वाले लोगों की सोहबत में आकर, जो समाज विरोधी तत्व नहकी प्रवृ- भी अपराधी बन जाता है, जो कि सही माने में अपराधी नहीं था वह भी अपराध त्तियों को ओढ़ लेता है। सही मानें में हम चाहते हैं कि जेल में सुधार

मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रान्त के जिलों में हो। लों का निर्माण किया है जहां पर हम सुधार का काम कर रहे। छोटे-छोटे उद्योग ऐसे जे वहां होते हैं, कुटीर उद्योग को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, जसे कम्बल बनाघन्धे चटाई बनाना, कालीन बनाना, पीतल की कारीगरी का काम किया जा रहा है। हमनादेखें अपराधी उनके अन्दर सुधार की भावना परिलक्षित हो और अपराध करने की प्रवृत्ति खतम हों। मेरा सुझाव है कि, मैंने बाहर के तमाम मुल्कों में देखा है बाहर जाने का मौका मिला है। वहां के लोग जेलों में खुले वातावरण में रक्खे जाते है और काम में इतना बिजी रखे जाते हैं कि वह अपराध प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और सजा काटकर जब बाहर समाज में आते हैं, तो उनमें बदलाव की स्थिति होती है। इस तरह की व्यवस्था हमारे जेलों में भी होनी होना चाहिये। जो समाज सेवी हैं, प्रवचन करने वाले लोग हैं, उनका एक मण्डल कायम चाहिए और ऐसे लोग हर हफ्ते निश्चित रूप से हर जेलों में जायें और अपनी अच्छी बातें सुधार की वहां रखें इस तरह से मन बदलकर सुधार लाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जेल के कैदी हमारे ही समाज के आदमी है हमारे ही समाज के रहने वाले हैं, उनको जो खाने के लिये सब्जी दी जाती है वह चारा काटने वाली मशीन से काटी जाती है और जो आटा दिया जाता है जिससे रोटी बना कर देते हैं वह आटा पैरों से गूथा जाता है और दाल वह जानवर भी नहीं खा सकते। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह भी समाज के अंग हैं, उनको आप भला बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं। एक मिसाल मुझे याद है। हमारे जिले में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, एक दुर्दान्त डाकू वहां पर हुआ बुझारथ। उसने केवल एक गड़रिया की एक भेड़ चुरायी थी और उसके अपराध में जेल में बन्द किया गया था और जेल में ऐसे लोगों की संगत हुई कि वह दुर्दान्त डाकू बन गया जेल के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने उसे दुर्दान्त डाकू बना दिया

श्री अध्यक्ष––

आपका केवल एक मिनट और है।

श्री दूधनाथ राजभर––

मैं कहना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जेल के अन्दर इस तरह की व्यवस्था की जाये कि ताकि

[श्री दूधनाथ राजभर]–
अपराधी अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाए। जेल से बाहर आने के बाद समाज में अच्छे काम करने लगे। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का, जो विरोध पक्ष के नेता भाई रियासत साहब ने किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष––

अब मैं पहले यदुनाथ जी को बुलाऊंगा क्यों कि इन्होंने कई बार कहा है कि वे 49 बार जेल गये हैं।

(हंसी)

श्री यदुनाथ––

बहुत–बहुत धन्यवाद, मुझे जेल पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इस 35 साल की उमर में ढाका से लेकर तिहाड़ जेल में 41 बार से ज्यादा रहने का मौका मिला। जेल तो एक बाइस्कोप है, गांधी जी के हिसाब से जेल होनी चाहिए लेकिन जेल मैनुअल है 1846 का। गांधी जी कहा करते थे कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं लेकिन सचमुच में जैसा कि रियासत साहब ने कहा है, जेलों में ऐसी महाविभूतियां पैदा हो जाती है, और दुर्दान्त डाकू भी बना दिये जाते हैं। बुंझारथ ऐसे ही दुर्दान्त डाकू बना, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। मैं समझता हूं कि फूलन देवी के साथ भी जब वह पहली बार जेल गयी होगी, इस तरह का कोई व्यवहार किया गया होगा, उससे कहा गया होगा कि इस तरह से आने से अच्छा है कि. . . .और फूलन देवी कुख्यात डकैत हो गयी, दस्यु सुन्दरी हो गयी। तो जो लोग वहां जाते हैं, ऐसे-ऐसे बैरकों में रखे जाते हैं, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपनी किताब में जिक्र किया है 9 तिकड़मों के बारे में, इसका जिक्र करना यहां मुनासिब नहीं है, मैं मंत्री जी को 9 तिकड़मों के बारे में प्राइवेटली बता दूंगा. . . . . .

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता, श्री धर्म सिंह पीठासीन हुए।)

जेलों में मिलाई लगती है। जेल में गेटकीपर से लेकर सुपरिन्टेन्डेन्ट तक रहते हैं।

मान्यवर, जेल में जिस तरह से व्यवस्था रहती है, आप अभी भी देखें जेल में जो कर्मचारी रहते हैं उन्हीं के पास सारा सामान होता है जैसे हल्दी, तेल, नमक आदि। जेलों में कभी-कभी जेलर और थानेदार की मिली भगत होती है कि यदि वहां पर सफाई आदि करवानी होती थी तो मुसहर को 25 आर्म्स ऐक्ट में दफा 60 में डाल दिया जाता था। दफा 109 में डा0 लोहिया को डाल दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक बंदियों को सुविधा दें। जैसा कि माननीय रियासत साहब ने कहा जेल में प्रथम दिन गेट पर ही झगड़े शुरू हो जाते हैं, बवाल हो जाता है। जिलाधिकारी को दरख्वास्त देंगे तो जेल वाले में जिलाधिकारी भी डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। डा0 राजेन्द्र प्रसाद कहते थे कि जिलाधिकारी स्वयं दबा देते हैं और उनमें आपस में डिवाइड एण्ड रूल का सिस्टम कर देते है। एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जेल में जो लड़कों को भेजते है, 19 वर्ष से कम लड़के को उनके लिए ऐसी जगह बनायें जो उन बैरकों से दूर हो। जैसे कि बैरेक नं0 3 में जो लड़के रहते हैं वह दूर रहें, उनके रहने का स्थान सभा भवन के पास या बगिया के पास हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि वास्तव में जेल में एक दुनिया बसती है। वहां पर कुटीर उद्योग, फर्नीचर बनाने का काम, पीतल के बर्तन बनाने का काम और कालीन आदि बनाने के तमाम काम होते है और तमाम चीजें बनती हैं। एक साल के बाद जेल में लोग सुधर भी जाते है लेकिन क्या कारण है कि जो लोग 3 महीने या 6 महीने जेल में रहते है और जब बाहर निकलते है तो बड़े विचित्र असर लेकर आते हैं। छोटे अपराधी बनकर जाते है तो बड़े अपराधी बनकर निकलते है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक सदस्यों की समिति बनायें जो अपोजीशन के सदस्यों को भी उसमें शामिल करें ताकि जेल में सुधार हों और जिससे जब लोग बाहर निकलें तो समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा––

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय हुकम सिंह जी ने जो पूछा है तो बता दूं कि मैं दो बार जेल गया हूं, जनता शासन के जमाने में और उसके बारे में एक शेर अर्ज कर दूं––

न दाना है बस में, न पानी है बस में,
बड़े ही मजे की कट रही है कफस में ।

मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है इन्होंने कुछ थोड़े से सुधार लाने की कोशिश की है और इस माननीय सदन को जानकर बड़ा हर्ष होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीनों के अन्दर कितने बड़े सुधार किये है कि जो कैदी जेलों के अन्दर रहते है, जिनको किसी जमाने में. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जनता शासन के जमाने में बल्कि अंग्रेजों के जमाने में यातनायें दी जाती थीं लेकिन अब सुविधायें दी जाती है। चंद सुविधायें जो दी जा रही है हमारे शासन ने और हमारे माननीय जेल मंत्री जी ने जो सुविधायें दी है उनके बारे में कहना चाहता हूं।

एक तो पचास प्रतिशत प्रति व्यक्ति के भोजन की मात्रा बढ़ा दी है। तेल भी बढ़ा दिया है। 7 ग्राम से 10 ग्राम तेल कर दिया है। हर इतवार को और त्योहार के दिन स्पेशल डाइट का प्रबन्ध किया गया है। गुड़ भी दिया जा रहा है। 45 ग्राम लगभग गुड़ दिया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं पहली बार तीसरे प्रहर में चाय का भी प्रबन्ध किया गया है। मेडिकल एड भी बढ़ा दी गई है। पैथोलोजिकल लेबोरेटरीज जो पूरी सहायता रोगी को दें सकें उनका प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अलावा नाई, धोबी, जमादार, सफाई कर्मचारी इनकी संख्या बढ़ायी जा रही है। शायद नर्सेज भी दी जा रही है। मंत्री जी इस बात की पुष्टि अपने उत्तर में कर देंगे। नर्सेज की भी व्यवस्था की जा रही है रोगी होने की दशा में।

जब मैं कानून की किताबें पढ़ता था तो यह मालूम हुआ था। आजकल यह जमाना है कि जेल भी रिफारमेटरी के तरह के, सुधार गृह के तरह के हैं। हमारे जलों में एक बड़े सुधार की स्कीम चल रही है। मोरल टीचिंग दी जा रही है। हमारे कैदियों को वहां पर यह बतलाया जा रहा है कि अच्छाई और बुराई क्या है, अच्छाई और बुराई में क्या अन्तर है, कैसे हम अच्छे बन सकते हैं। साथ ही साथ उन की शिक्षा का भी प्रबन्ध हो रहा है क्योंकि काफी संख्या में जो वहां पर अपराधी आते है वे अनपढ़ होते हैं। उनको शिक्षा दी जाती है। इन्सट्रैक्टर एपाइन्ट किये जा रहे हैं। यह कहा जाता है कि अपराधी का मस्तिष्क विकृत हो जाता है। इसलिये मनोवैज्ञानिक का भी एपाइन्टमेन्ट वहां पर हो रहा है जो यह देखे कि अपराधी के अन्दर कौन सी ऐसी ग्रन्थि है जहां गांठ पड़ गयी है और जिसके सुधार करने से वह अपराधी जो है उसको सुधारा जा सकता है और उसका सुधार करके उसे एक अच्छा नागरिक जब वह जेल से छूट कर जाये बनाया जा सकता है। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे कैदियों को जेल में दी जा रही है। वे छोटी-छोटी चीजें बनाते है और उनको बेच कर उनका तथा जेल का लाभ होता है।

इसके अलावा ओपन एयर जेल हैं जैसे सम्पूर्णानन्द जेल, सितारगंज। वहां पर डेली वेजेज के हिसाब से वेतन कैदियों को दिया जाता है। दूसरा जेल है गुरमा का, जो मिर्जापुर में है। वहां पर कैदियों को ईटें तोड़ने के लिए दस रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाती है जिसमें से डेढ़ रुपया डाइट का काट लिया जाता है बाकी इनके हिसाब में जमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा]
रहता है। जब ये पेरोल में जाते हैं या घर जाते हैं तो रुपया उनको दे दिया जाता है।

इस तरह की सुविधाएं हमारे शासन ने जेलों में दी है। माननीय मोहन सिंह जी मैं आपको बतलाऊं फाइव स्टार होटल तो जेलों को नहीं बनाया जा सकता लेकिन रिफार-मेटरी सुधार गृह के रूप में जेलों को बना कर जो अपराधी है उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधारा जा सकता है और हमारी सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, मैं उसे बधाई देता हूं।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बजट का हम स्वागत करते हैं, समर्थन कर रहे हैं आप भी इसका समर्थन करें। धन्यवाद।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, जेल का बजट पेश हुआ है और मंत्री महोदय ने तारीख के इतने अवराक उलट दिये जितनी इस सदन की भी उम्र भी नहीं होगी। लेकिन वह यह बताना भूल गये कि तारीख उन अवराक से भरी हुई है जिससे अपनी ही सरकार ने अपने यहां के लोगों के साथ जेलों में गुलामाना रवैया अपनाया। जो जुल्म आजादी से पहिले हुये वह उस हुकूमत ने किये या उस गोरी चमड़ी वाले ने किये जिसके हम गुलाम थे और आज भी उसी रवैये को मिसाल मान कर, अगर 33 साल की आजादी के बाद उस स्याह अंग्रेजी निजाम की मन्त्री महोदय मिसाल दें और कहा जाय कि हम ने उस माहौल से इस माहौल में तब्दीली की है मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत ज्यादा फख्र से बयान करने की बात नहीं होगी। मसलन मन्त्री जी ने मिसालें दी। आपने बरेली जेल, इलाहाबाद जेल वगैरह के बारे में बताया स्यायी नजरबन्दों के बारे में भी बताया कहीं जिक्र पं0 जवाहर लाल नेहरू का भी किया गया। मैं भी इसी राह में एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक मशहूर किताब गुबारे खातिर लिखी है जिसमें उन्होंने हर रोज के एवान पर जेल में एक पेज लिखा है। उसमें उन्होंने चाय का जिक्र बड़े ही अनोखे ढंग से किया है। मौलाना चाय के बड़े शौकीन थे। जिस कमरे में आप रहते थे उसी कमरे में पंडित जवाहर लाल नेहरू भी रहते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है—सुबह का वक्त है पं0 नेहरू के खुर्राटों की आवाजें आ रही हैं। पंडित नेहरू उसी तरह से खुर्राटे ले रहे हैं जिस तरह से एक जजवाती इन्सान लिया करता है। चाय बन कर तैयार हो चुकी है और शायद मौलाना को पंडित जी के जगाने का इन्तजार है। मौलाना के बारे म अंग्रेजी चमड़े वाले हाकिम को यह मालूम था कि वह दुनियां की मशहूर चायों में से एक चाय व्हाइट जेसमिन ? (White Jasmine) पिया करते हैं चुनाँचे आगरा के तमाम बाजारों में ह्वाइट जेसमिन तलाश की गई। जिसका असर यह हुआ कि शहर भर में मशहूर हो गया कि चीन का शहजादा या शहजादी आगरा आने वाले हैं। यह रवैया था उस गोरी चमड़े वाले हाकिम का जिसके हम गुलाम थे उसे अहसास था कि मौलाना हिन्दुस्तान की आजादी की तहरीक में एक सिपाही की हैसियत से लड़ रहे हैं, मौलाना कौन सी चाय पीते हैं, और उसको मुहैय्या करना उनकी जिम्मेदारी है। आज 33–34 साल की आजादी के बाद भी हम मिसाल देते रहे हैं उस गुलाम दौर की जो दौर हमारी तारीख के लिये शियाहबाब है। आप सोचिये कि इतने सालों की आजादी के बाद भी उन आसानियों का जिक्र करके जो अंग्रेज ने दी थीं, उनके साथ आज की आसानियों को तोलें इसके लिये किसी भी सरकार को फख्र करने की जरूरत नहीं है। बल्कि यह हमारे निजामे हुकूमत की आखरी दर्जे की कमजोरी है।

आइये, मैं आपको बताऊं कि हमारी जेलों का क्या हाल है। वह जेल जो 1975 से 1977 तक काटी गई वह भी जेल थी और इसी प्रदेश इसी देश में थी और इसी सरकार के जमाने में थी जबकि एक मां को बेटे से और बाप को अपन औलाद से मिलने के लिये हलफनामा

देना पड़ता था। वह शर्मनाक दौर भी हमने आखों से देखा है और हम पर गुजरा है कि जब मां को अपने बेटे की शकल और बेटे को अपनी मां की शकल आइने में दिखाई जाती थी। यह भी हमने देखा है कि बनारस जेल में हमारे साथी के हाथों की उंगलियों के नाखून इस जुर्म में खिचवा लिये गये थे कि वह एक राजनीतिक कार्यकर्त्ता था और कांग्रेस के जुल्म के खिलाफ लड़ा था। साथ ही हमने यह भी देखा है हमारे साथियों के हाथों में जंजीरें डालकर, छतों में टंगे कड़ों से उसको बांधकर चूने के पानी में उनको नंगा खड़ा कर दिया जाता था। यह हमारे तहजीबयाफत दौर की मिसाल है।

जब जेल के अफसर शराब पीकर जेल का दौरा करेंगे तो कैसे आप यह उम्मीद करते हैं कि वे जेल का निजाम चला सकेंगे और कैदियों का सुधार हो सकेगा। बनारस जेल में जब मैं इमरजेन्सी में कैद था तो वहां पर श्री मैत्रेय सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। मैं बावजूद इसके कि एल0 एल0 ए0 का तालेबइल्म था, शर्मनाक कैदियों के दरमियान रखा गया था जिसमें चोर भी थे, डाकू भी थे, कातिल भी थे और राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी थे। एक रोज अचानक हमारे बेरेक पर छापा पड़ा और उसकी तलाशी ली गई। कैदियों के पास शराब मिली, भांग मिली, गांजा मिला, चरस मिली। हम सब कैदियों को एक लाइन से खड़ा कर दिया गया। हम सब अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिये तैयार हो गए। मगर मैंने मैत्रेय साहब से एक सवाल पूछा कि आप यह बतायें कि जिस बैरेक में यह सब कुछ मिला है उसे लेकर यहां कौन आया है। क्या इसको लाने वाले आपके जेलर, आपके वार्डर, और आप के कच्चे पक्के शामिल नहीं हैं? हमें सजा जरूर दीजिए लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए जिनके जरिए यह सारा सामान जेल के अन्दर लाया गया है।

हमारे साथी ने अभी यह भी कहा कि अब जेलों के अन्दर नर्सेज का इन्तजाम किया जा रहा है। मुझे यह कहने दीजिए कि अब सिर्फ वही चीज जो जेल में नहीं मिल पाती थी उसका इन्तजाम भी आपने कर लिया है औरत की कमी का भी इन नर्सेज की शक्ल में पूरा कर लिया जायेगा।

मान्यवर, जरा गौर तो करिये कि 16 साल के बच्चे को कैदमें डालते वक्त आप यह भूल जाते हैं कि जब वह उस माहौल से निकलेगा तो क्या बनेगा? 16 साल का वह लड़का कैद के माहौल में जिसकी इज्जत, आबरू और शराफत सब कुछ लूट ली गई हो, वहां से निकलने के बाद चोर नहीं बनेगा, डकैत नहीं बनेगा, फूलनदेवी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा और क्या वह सड़क पर निकल कर लड़कियों को नहीं छेड़ेगा। डाका नहीं डालेगा आवारागरदी नहीं करेगा लिहाजा इनका अलग इन्तजाम होना चाहिये।

जिस तरह से हमारी कई जेलों में यह इन्तजाम है कि कैदियों को उनके काम के बदले पैसा दिया जाता है, यह अच्छी बात है। लेकिन कैदियों के साथ यह क्लासिफिकेशन या डिसक्रिमिनेशन कि बरेली जेल में रहने वाले कैदी पैसा पाने के मुस्तहक होंगे और रामपुर की जेल में रहने वाले कैदी कैसें मुस्तहक नहीं होंगे, यह इमतियाज क्यों है। एक शहर की जेल में काम करने वाले कैदी को उसके काम की उजरत मिलेगी लेकिन दूसरे शहर में रहने वाले कैदी को जो जेलर के घर में वर्तन धोता है घास खोदता है, बर्तन बनाता है उसको पैसा नहीं मिलता है, यह डिसक्रिमिनेशन क्यों है? यह खत्म होना चाहिये।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिन जैलों को सुधार केन्द्र बनाया गया है उनमें ज्यादा सुधार होना चाहिये, उसके लिए ज्यादा मजीद कोशिश होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ऐसा करेंगे। मसलन वहां ऐसा कोई यूनिट कामय किया जाय जिसकी पकड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो, वह जैल एडमिनिस्ट्रेशन के अन्डर में न हो ताकि जेल में तमाम शिकायतों की जानकारी सरकार को मिल सके या मंत्री जी को मिल सके।

[श्री मुहम्मद आजम खां]

एक आखिरी सुझाव के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं। माननीय मंत्री जी यहां पर तशरीफ रखते हैं। आपने हो सकता है कि अपने राजनीतिक दौर में कभी जेल काटी हो लेकिन 1975 से 1977 की वह तारीखी जेल नहीं काटी है। लिहाजा इस सदन में मेरा एक मशविरा यह भी है कि मंत्री महोदय जो पहले एक डिपार्टमेन्ट को बरबाद कर इसमें तशरीफ लाये हैं, दूसरे डिपार्टमेन्ट की तबाही से पहले आप भी कुछ रोज जेल में रह आये होते तो मेरा सुझाव है कि जब कोई जेल मंत्री बनाया जाय तो उसका जेल का पास्ट रिकार्ड देखा जाय। अगर वह जेल में न रहा हो तो एक महीने के लिये जेल में ट्रायल के तौर पर रखा जाय। इन अल्फाज के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन का शुक्रिया अदा करता हूं।

*श्री बिहारी लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जेल बजट पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे नौजवान माननीय सदस्य बोल रहे थे मैंने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुना मैं भी चंद अलफाज आपके सामने रखूंगा। श्रीमन्, इसी महीने की बात है सम्पूर्णानन्द जेल जो मेरे क्षेत्र सितारगंज में है वहां पर जनता पार्टी के एक कार्यकर्त्ता हैं जो प्रभावशाली सदस्य हैं, बड़े ईमानदार हैं उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत काम कर डाला। वह काम क्या किया वह मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री जी को कि वहां पर एक कैदी जेल काट रहा है, किसी मामले में उम्र कैद उसे हुई है तो उसकी जवान लड़की को लेकर वह सज्जन फरार हो गये उनका नाम शकील अहमद है वह बड़े भारी सरगना जनता पार्टी के हैं। अगर यह बात गलत है तो आप जांच करवा लें। एक बेचारा अपने कुकर्मों से जेल काट रहा है लेकिन उसकी सयानी लड़की को लेकर वह भाग गये और तीन दिन बाद गांव वालों की मदद से उसे पकड़वाया वह जिला नैनीताल के देवीधूरा गांव में गया। मैं चाहूंगा कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच करवा लें और उस आदमी की जमानत कैंसिल करवाने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां जेल में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको काफी परेशानी है उनके बच्चों की पढ़ाई की बड़ी दिक्कत है। वहां एक नाला आता है उसमें इतना पानी भर जाता है कि बच्चे उसे पार नहीं कर सकते हैं। 30 साल के बाद एक प्राइमरी स्कूल मैंने शिक्षा मंत्री जी से कहकर खुलवाया लेकिन मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि वह नाला पार कर कैसे जायं। मैं चाहूंगा कि जेल कर्मचारियों और अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये।

तीसरी बात, वहां जेल कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था ठीक नहीं हैं, वहां बिलकुल जगह नहीं है, मैं खुद देखकर आया हूं इसलिए वहां पर रहने का इंतजाम करना जरूरी है। तो इतनी बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। उस क्षेत्र में मैं जाता रहा हूं। चौथी बात यह है कि वहाँ पर इतने सांप है, वह इतने जबरदस्त होते हैं कि जिसका कुछ कहना नहीं। उनके लिए आप बन्दोबस्त करें, दवा छिड़कवायें, जिससे वे मारे जायं और लोगों की रक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इतना अवश्य कहता हूं कि वहां जो लड़की भगा कर ले गये हैं, उसको आप जरूर देख लें, वह जनता पार्टी के बड़े सरगना थे।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो जेल सम्बन्धी अनुदान मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में रियासत साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जेल विभाग की ओर से एक लाल किताब निकली है, उसमें कारागार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग के कार्यों का प्राविधान है, इसमें कुछ काम मंत्री जी ने गिनाये हैं। उस संबंध में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्य उन्होंने जो गिनाये हैं, वह कहीं कोरा सपना न रह जायं, बल्कि उनको कार्यरूप में परिणित होना चाहिए। (व्यवधान) मान्यवर, अब इस सिलसिले में मैं ज्यादा न कहकर जेल सम्बन्धी जो सुधार आवश्यक है, उनके बारे में कहूंगा। जेलों में जो अपराधी या मुलजिम जाते हैं, उनके प्रति जेलों में बड़ा दुर्व्यवहार होता है––चाहे वह जेलर की तरफ से हो या जेल अधिकारी या जेल वार्डन की तरफ से हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर बैरेक में एक कम्पलेन्ट पेटिका रखवा दी जाए सील करके। वह कम्पलेन्ट बुक महीने में एक बार खोली जाए और उसको जिले का डिस्ट्रिक्ट जज या उसके द्वारा अधिकृत अन्य कोई जिम्मेदार और निष्पक्ष अधिकारी खोले। वह शिकायत को देखे और उन समस्याओं को दूर करने में आपको पूरा सहयोग दें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है, जैसा रियासत साहब ने भी कहा कि विभाग के छोटे और अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के रिहायश की, प्रारम्भ से और आजादी से 30–32 साल बीतने पर भी, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनके निवास के लिए कोई प्राविधान मंत्री जी करें ताकि वहां के कर्मचारियों को सस्ते किराये पर रहने की व्यवस्था हो सके। जो बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भविष्य में इस सिलसिले में पूरी नजर रखनी चाहिए।

मान्यवर, इस पुस्तिका में यह भी छपा है कि हमारे प्रदेश की जेलों में भी इतनी सब्जी होती है कि हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, उससे ही सारा काम चल जाता है। तो मेरा अपना खुद का भी अनुभव है कि जितनी भी अच्छी सब्जी इन कैदियों द्वारा पैदा की जाती है वह जिले के बड़े-बड़े अधिकारियों के यहां डाली के रूप में भेजी जाती है। इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि आपको वहां जाने का मौका मिला होगा, तो आपने देखा होगा कि वहां साधारण कैदियों को सब्जी मिलती ही नहीं है, मिलती भी है तो केवल चौलाई का साग मिलता है और मसाले आदि का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। बढ़ोत्तरी की जो बात आपने कही है, वह भी कुछ नहीं मिलता है, इस सिलसिले में गहराई से देखना होगा और जांच करनी होगी। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात याद कराना चाहता हूं। प्रत्येक दिन सुबह के वक्त अपराधियों को मंजन के लिए दातौन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोयले के प्रयोग से दांत भले ही साफ हो जायं लेकिन उससे जबान और जीभ साफ नहीं हो पाती है। यह एक मामूली सी चीज है, इसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा जहां तक रिहाई का ताल्लुक है, अदालत से रिहाई के आदेश जाते हैं लेकिन उस पर तभी अमल होता है जबकि जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को खुश किया जाता है।

जहां तक खाने पीने की व्यवस्था का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि जो इस समय जेल में व्यवस्था है उसे समाप्त करना चाहिये। उन कैदियों की एक कमेटी बना दीजिए ताकि वह खाने पीने के सामान की व्यवस्था कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[समय 1 बजकर 26 मिनट]।

श्री गोरे लाल शाक्य––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हमारे विरोध पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बहुत पुराना लेजिस्लेशन है, इसमें कुछ तब्दीली होनी है। तो केवल यह कहने से ही कि तब्दीली नहीं

[श्री गोरेलाल शाक्य]

हुई काफी नहीं है। बहुत से ऐसे मास्टरपीस लेजिस्लेशन होते हैं कि उनको खराब करने के लिए उनमें तब्दीली की जाय। हमारे यहां पर एविडेन्स एक्ट, आई0 पी0 सी0 आदि ए एक्ट्स हैं जिनको अंग्रेजों ने बनाया था। उनमें तब्दीली को बहुत कम गुंजायश है, बहुत कम तब्दीली हुयी है। इसी प्रकार से जेल के बारे में भी कुछ तब्दीली हुयी है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अस्पतालों और जेलों में क्या इन दोनों व्यवस्थाओं में आप कुछ अन्तर करना चाहते हैं या जेल को भी अस्पताल बनाना चाहते हैं या अस्पताल को जेल बना देना चाहते हैं। जेल जेल रहेगी और अस्पताल अस्पताल रहेगा। जो क्राइम करके जायेंगे, उनके लिए जेलों को आरामगाह नहीं बनाया जा सकता है। कुछ समय पूर्व यह बात चली कि डेथ सैन्टेन्स की सजा को एबोलिश कर दिया जाय। जिन लोगों ने यह प्रस्ताव रखा था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात थी। अपराधों को कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन जब डेथ सैन्टेन्स समाप्त हो जायगी तो प्रदेश में शांति व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो सकेगी।

देखने में आया है कि अगर कोई धनीमानी हत्या करके जेल में जाता है तो उसको ए0 आर बी0 क्लास दी जाती है। मेरा कहना यह है कि पोलिटिकल प्रिजनर्स भले ही कितना ही गरीब और धनी व्यक्ति हों, उनके लिए ए0 और बी0 क्लास होनी चाहिए लेकिन जो और लोग पकड़े जाते हैं उनके लिए इस प्रकार की कैटेगरीज नहीं होनी चाहिये और उनको साधारण कैदी की तरह से रखना चाहिए।

अब मैं पैरोल के बारे में कहना चाहता हूं। पैरोल में हर प्रकार के लूपहोल्स हैं। लेजिस्लेशन या नियमों में किसी तरह की कमी से उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। पैरोल के सम्बन्ध में भी सस्तुतिया होती है और जो व्यक्ति पैरोल पर नहीं छूटने चाहिए वे छूट जाते हैं और जिनको छूटना चाहिए वे नहीं छूटने पाते। इसके लिए एक निश्चित अवधि होना चाहिए कि एक कैदी ने इतने दिन या इतने घंटे कारागार में बिता दिए हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में जमानत देकर पैरोल मिलना चाहिए। यह नहीं कि मंत्री जी या विधायक की सिफारिश पर वह हो। इसमें सिफारिश नहीं होना चाहिए।

इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिये कि जो जिस क्लास को पाने के लिये अधिकृत है उसे वही क्लास मिलना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि धनीमानी व्यक्ति को, भले ही वह कत्ल के जुर्म में जेल भेजा गया हो, उसे ए0 क्लास या बी0 क्लास मिल जाये और पालिटिकल आन्दोलन में जेल जाने वालों को नीचे की श्रेणी मिले। मैं एक बार पालिटिकल आन्दोलन में बी0 क्लास में था, पर एक धनीमानी कत्ल का व्यक्ति आ गया तो मुझसे बी0 क्लास खाली कराकर उसे दे दिया गया, मैं सन 1977 की बात कह रहा हूं। इस तरह की चीज नहीं होना चाहिये। जो जिस क्लास का अधिकृत नहीं है उसे वह क्लास नहीं मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मसरूर जाफरी—

मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय रियासत हुसेन के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। यह बड़े शर्म की बात है कि 35 साल के बाद भी आज यह जेलें पूंजीवादी व्यवस्था और तानाशाही की प्रतीक बनी हुई हैं। सरकारी खजाने को तो एक या दो तालों के अन्दर बन्द रखा जाता है और इंसानों को 16 तालों के भीतर रखा जाता है।

दिसम्बर और जनवरी के महीने में जेल कर्मचारियों ने पुलिस कर्मचारियों के समान वेतन को लेकर हड़ताल की थी। मंत्री जी ने उनकी मांगों के संबंध में क्या निर्णय लिया है यह कुछ पता नहीं चला है।

जेलों में 1967 से बराबर अच्छा खराब तेल मिलता रहा है, पर अब उसकी जगह नाम आयल दिया जाता है. इससे लिवर खराब हो जाता है। इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

मंत्री जी ने बताया कि दाल बढ़ा दी गयी है, साबन बढ़ाकर दिया जाने लगा है, पर यह सारी चीजों की घोषणा तो जनता पार्टी की सरकार के समय में ही हो गयी थी, आपने उसका श्रेय अपने ऊपर ले लिया है। जेलों में मान्यवर, जब जेल सुपरिटेंडेंट चलता है तो ऊपर से एक आदमी छतरी लेकर साथ साथ चलता है और जिस शान से वह चलता है तो ऐसा लगता है कि मगलिया सलतनत का कोई बादशाह चल रहा हो। अगर मंत्री महोदय भी जेल में जायेंगे तो उनके लिये वह छतरी लगाने को नहीं दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जेल मंत्री को कुछ दिनों तक स्वयं जेल में रहना चाहिये मैं भी इसी राय का हूं . . . .

(व्यवधान)

जिला गोंडा की जेल कर्मचारियों के लिये रहने की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस मकान में वे रहते हैं, बरसात के दिनों में उसमें रहने वालों को एक कोने में खड़ा रहना पड़ता है।

लखनऊ जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं मिस्टर कमल आर्या, वे पता नहीं किस तरह से 10–15 सालों से बराबर यहां पर ही बने हुये हैं। दो साल पहले जब मैं जेल गया था तब भी उनको वहां देखा था, और आज भी वे वहीं पर हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ और कोई न कोई ककर्म उनके द्वारा हुआ करते हैं। उनको कम से कम यहां से मुक्ति दिलाइये। जहां तक जेल के अन्दर सुधार की बात है जो हवालाती हैं उनसे काम नहीं लिया जाना चाहिये। जो कैदी हैं उनसे जो काम लिया जाता है उसके लिये उनको इतना पैसा मिलना चाहिये कि उनके परिवार के बच्चे भूख से न मर सकें इसके लिये वह जेल से उनको कुछ पैसा भेज सकें। गोंडा जेल का जहां तक ताल्लुक है वह ऐतिहासिक जेल है जहां देश की आजादी के लिये राजेन्द्र नाथ लहरी को फांसी दे दी गयी थी। जनता पार्टी की सरकार ने भी राजेन्द्र नाथ लहरी के बारे में कुछ नहीं सोचा था और आज भी कुछ नहीं सोचा जा रहा है। यह सरकार निकम्मी है कि जिन्होंने इस देश की आजादी के खातिर अपनी जान दी उनको हमने पीछे छोड़ दिया और जिन्होंने देश को भ्रष्ट किया उनको आगे रखा। जिला गोंडा जेल में राजन्द्र नाथ लहरी को जेल के जिस कमरे में रखा गया था, जहां उसको फांसी मिली थी उसको एक ऐतिहासिक जगह बनाया जाय। अन्त में मैं श्री रियासत हुसैन साहब के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जंग बहादुर—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कारागार के अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोधी पक्ष में अधिकांश लोग सन 77 में एमरजेंसी के दौरान जेल में गये। उन पर 18 रुपया प्रतिदिन व्यय किया जाता था जिसकी वह शिकायत कर रहे हैं लेकिन मुझे वह समय भी याद है और अधिकांश माननीय सदस्यों को भी याद होगा जब जेल के अन्दर 6 आने में दोनों समय भोजन की व्यवस्था थी। जेलों में कच्ची बैरकें होती थी, खपरैल की छाजन होती थी पानी बरसने के बाद कहीं बैठने का स्थान नहीं मिल पाता था। प्रकाश तथा शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता था, तब से आज की जेल में बहुत सधार हुआ है। उस समय मूली तथा मरसे का साग काट कर बंदियों को दिया जाता था। आटे में चोकर मिलाई जाती थी और पूरा राशन नहीं दिया जाता था। इस समय बहुत सुविधायें दी जाती हैं। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने 60 ग्राम गुड़ दाल कड़वे तेल की व्यवस्था इयोढी कर दी गई है। इस समय 1 हजार कैदी चर्क सीमेंट फैक्टरी में प्रति दिन काम करते हैं। उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है जबकि जो मजदूर गोरखपुर से मंगाया जाता है उन्हें 7, 8 रुपये प्रतिदिन दिये जाते हैं। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो उनका पारिश्रमिक है वह उनको मिल जाने

[श्री जंग बहादुर]

जेल के अन्दर शासन की ओर से जो राशन की व्यवस्था की जाती है, वह पूर्ण रूपेण उनको नहीं मिल पाती है जेल अधिकारियों द्वारा बंदियों के राशन पर जेल अधिकारियों की गायें, बकरी आदि पलती है। इस भ्रष्ट परिपाटी को समाप्त करके कैदियों को पूरा भोजन मिलना चाहिये, शुद्ध भोजन मिलना चाहिये। इसके अलावा जैसा कि पुस्तिका में दिखाया गया है कि सितारगंज फार्म को छोड़कर जेलों के पास 1235.65 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसमें दिखाया गया कि सब्जी के मामले में जेलें इंडिपेंडेंट हो गये हैं। सब्जी बाहर से नहीं मंगानी पड़ती। लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज भी जेल के अन्दर सब्जी की कमी है, मूली वगैरह का साग दिया जाता है। अगर जेल के अन्दर सब्जी न हो, तो उसे बाहर से मंगाने की व्यवस्था की जाय। सफाई की व्यवस्था के लिए वहां पर सफाई मजदूर रखे जायं, और मुसहरों को दफा 109 में चालान करके बाहर से मंगाया जाता है उनसे भंगी का काम लिया जाता है, उसे रोका जाय। बच्चों की बैरिक जो अलग होती है, आज बच्चों से इन बड़े-बड़े जुर्म के अपराधियों को मिलने का अवसर दिया जाता है, यह नहीं होना चाहिये और उसे अलग किया जाय। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जेल के अन्दर डकैती और मरडर के केस में जो कैदी रहे हैं, जेल के अन्दर जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा उनकी मेहमानों की तरह से खातिर की जाती है और तमाम सुविधा उनको दी जाती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जिनको मैं आवश्यक समझता हूं, उनको मैं देना चाहता हूं। मान्यवर, इस देश के अन्दर जब तक पूर्ण रूप से जनतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था न हो जाय, और जो लोग जनतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखते हैं, तब तक यह आवश्यक है कि कभी हम जेल जायेंगे और कभी इस तरफ के लोग जेल जायेंगे, यह बहुत जरूरी है। अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष करते रहेंगे, यह जरूरी नहीं है कि हम शासन व्यवस्था में रहें, तो अन्याय और शोषण बन्द हो जाय, माननीय काशी नाथ जी अब आप भूल जायं, डाक्टर लोहिया को, यह हमारा और आपका दोनों का दुर्भाग्य है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी काल का जेल मैनुअल आज भी उसी तरह से कायम है। जेल मैनुअल में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे लोग इस तरह की बात कहते हैं कि हम अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो प्रत्येक भारतीय का सम्मान गिरता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस समय अपराध की स्थिति को देखते हुए जेल की पुनर्व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जेल के अन्दर जो जितना ज्यादा बड़ा अपराधी है, उसको जेल के अन्दर आज उतनी ही ज्यादा सुविधा मिलेगी। मैंने देखा है कि जो जितना बड़ा दादा है, वह जेल के अन्दर दादा है, वह जेल के अन्दर जाकर पूरी सुविधा हासिल करता है। वह पूरी जेल में घूमेगा, अच्छा खायेगा, अच्छी तरह से रहेगा, उसकी अच्छी चाय बनाने की व्यवस्था रहेगी और अपनी सब्जी बनाने की व्यवस्था रहेगी, सारी सुविधायें उसको रहेंगी। यही वजह है कि जब अपराधी देखते हैं कि बाहर हमको आराम नहीं है, जब अपराधी लोग यह देखते हैं कि जितनी जेल में हमको सुविधा है, आराम है, उतना बाहर सुविधा नहीं है, तो अपराधिक मनोवृत्ति में कोई अंकुश नहीं आता, कोई कमी नहीं पैदा होती। अब जरूरत इस चीज को देखते हुए है कि अपराधिक मनोवृत्ति में कमी की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता--

समय के विषय में मैंने आपसे पहले ही प्रार्थना की थी ....

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इसके लिये सोचना जरूरी है कि यह क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि जेल में जो आदमी कर्मचारी होते हैं, वे उनसे डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसे अपराधिक व्यक्ति को सुविधा न दें या उसकी बात न मानें तो कहीं ऐसा न हो कि जब हम बाजार करने जायं तो हमारे ऊपर कोई घातक प्रहार हो जाय। इस तरह की व्यवस्था आप करिये कि जेल कर्मचारी इस प्रकार की बात न सोचें। आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि बाहर उनका जीवन सुरक्षित रहे। जेल सुधार गृह का रुप लें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

पिछली बार जेल कर्मचारियों के लिये कुछ आश्वासन दिये गये थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि लखनऊ जेल में जो लोग सत्याग्रह करके बन्द हैं, कल मुझे यह सूचना मिली कि उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है। जेल मैनुअल के अनुसार भी उनकी भोजन व्यवस्था नहीं हो रही है। उनके साथ अमानवीय सलूक किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय पहले ही समाप्त हो चुका है, अब आप बैठें।

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र--

मान्यवर, आपने जो जेल के बजट पर बोलने का मौका दिया है, तो माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए सम्मानित सदस्य भाई रियासत हुसैन द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, जेल के सम्बन्ध में मैं बताऊंगा अभी, एक सम्मानित सदस्य उधर से बोल रहे थे तो सन् 42 से लेकर करीब-करीब 1981 तक की समस्यांओं का विवरण बड़े ढंग से पेश किया लेकिन वे भूल गये कि....

एक सदस्य--

कभी जेल गये थे।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

एक शेर मुझे याद आ गया, उधर से व्यवस्था आयी तो कि--

जालिम निकलकर शीशमहल से जरा बता,
हम मुफलिसों के दर्द की कोई दवा भी है।

जेल, पैदा हुआ तब से, नहीं गया था लेकिन दुर्भाग्य है कि जब इनकी अपनी हुकूमत आयी तो बाबू मोहन सिंह की सरकार ने, जो सरकार में सम्मानित मन्त्री थे और हमारे जनपद के गणमान्य व्यक्ति भी हैं, उनकी मेहरबानी से सुहागरात मनाने का अवसर प्राप्त हुआ और देवरिया जेल में 7 दिन तक रहा। इससे पहले कभी जेल नहीं गया।

मान्यवर, वह हुकूमत है इसलिये हुकूमत की बात हुई, जो आपने पूछा जेल गये थे, तो केवल वही इकलौता मौका था जेल जाने का, इसलिये कि 1942 में पैदा हुआ, जेल कब जाता। मान्यवर, बरतानिया हुकूमत जब थी,यह देश आजादी नहीं गुलामी की जंजीरों

[डा0 बृज किशोर मिश्र]

में जकड़ा हुआ था। हम अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों की बात समझे नहीं थे और अगर समझते थे तो कह नहीं सकते थे। आजादी मिलने के बाद पं0 जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद आदि जैसे लोग जेलों में गये और वहां की कारुणिक स्थिति जब उन्होंने देखी। उन्होंने अहसास किया कि आज की स्थिति में मानव के साथ कैसा दुर्व्यवहार और अत्याचार वहां किया जा रहा है। यह उन्हीं दिनों की कहानी थी जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद हमने जेलों में कुछ आमूल चूल परिवर्तन किये जिससे कैदियों को कुछ राहत मिले। कैदियों के खाने की व्यवस्था में सुधार किया, उनको पहनने के कपड़ों में परिवर्तन किया। यहां तक कि जब यह महानुभाव जेल गये तो उनके खाने की अच्छी व्यवस्था, पहनने के लिये फर्स्टक्लास कपड़ों की व्यवस्था, जूतों और कम्बल की व्यवस्था की गयी। लेकिन जब हम गये तो दो समय का भोजन भी नहीं दिया गया। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूं। हम तो ऐसे आदमियों की बात इसमें रखना चाहते हैं जो बड़ी दुखी हैं और वह हैं ओंकार सिंह यादव, जो मिलीटरी में थे, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ कि उन्होंने दो आदमियों की हत्या कर दी जिसके लिए आजीवन कारावास उनको मिला। उन्होंने तीन बार पेरोल की दरख्वास्त दिया लेकिन मन्जूर नहीं हो सकी। दूसरे मेरे एक दोस्त हैं, श्री लौटन राम मास्टर, जो आजमगढ़ जेल में हैं जिनको 4 साल की सजा हुई। उन्होंने एक मन्त्री के आश्वासन पर ओवर-स्टे पेरोल में हो गया इसलिए उनकी सजा दोहरी कर दी गयी। इसलिए आपसे आग्रह म करूंगा कि इन दोनों मामलों पर विचार किया जाय और श्री ओंकार सिंह यादव, जो बरेली के रहने वाले हैं जिनको फांसी की सजा हुई थी लेकिन वह सजा जनरल मानिकशाह के हस्ताक्षर के कारण कम कर दी गयी और 10 साल उन्होंने जेल काटी है, इसलिए विचार करके इनकी सजा में कमी की जाय।

इसी के साथ मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक माननीय शंकर दयाल तिवारी हैं, जो यू0 पी0 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री हैं और सेन्ट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जिनको इलाहाबाद जेल में सी क्लास दिया गया था जिससे उनकी तबीयत खराब हो गयी और वहां से छूटने के बाद उनकी आज भी तबीयत खराब रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जेल में मौलिक सुधार होने चाहिए। आप लोग जो जेल काट आए हैं तो वहां की स्थिति को आपने देखा होगा तो मैं आशा करता था कि आप जेलों की हालत में कुछ सुधार करेंगे लेकिन अभी कुछ नहीं किया है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह इसको देख लें कि शिकायतें किसी भी जेल में न हों। दूसरी चीज जो आपके ट्रेंड लोग जेल से निकलते हैं जिन पर आप पसा खर्च करते हैं, तो जेल से निकलने के बाद जेल विभाग और उनका एक लिंक होना चाहिए ताकि आप देख सकें कि जो सिखाया है उसका वह उपयोग कर अपनी जिन्दगी को अच्छी तरह से बिता रहे हैं या नहीं। जेल से निकलने के समय उनको कुछ आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए जिससे वह अपना काम कर सकें। तीसरी चीज जो प्रतिदिन जेल में जाते हैं उनको दिन भर के फाके के बाद जेल में पहुंचने पर भी खाना नहीं मिलता है। इसलिए जब जेल में दाखिल हों तो उनको सबसे पहले खाना मिलना चाहिए और वह चाहे जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जुर्म में जेल गये हों, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें मेरा सुझाव है कि एक कमेटी बना दी जाय जिसमें विधायक सदस्य हों और वह विचार करके सुझाव दे सकें।

एक सुझाव और माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं मुरादाबाद का जो जेल है वह शहर के बीच में आ गया है उस जेल को आप बाहर ले जाइए और मैं कहना चाहता हूं कि उस को इतनी कीमत मिलेगी कि आपका सब काम हो जायगा। मन्त्री जी आपने दाल बढ़ाया है, खाने के लिए बताया है इसलिए सुपरिंटेंडेंट को कह दें कि वह दाल पकाए खाने के लिए पकाए नहाने के लिए नहीं। अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री लोकमणि शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इनको पहले बुलवा लेते, हमसे।

श्री मोहन सिंह—

हम सब नियमों से बंधे हैं यह नियम के विरुद्ध हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शर्मा जी, आप बैठ जायें।

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सारे उन माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने अपने-अपने सुझाव दिए, विशेषकर रियासत हुसैन साहब का आभारी हूं कि उन्होंने अपने सुझाव दिए। शासन पूरी तौर से इनके प्रति सजग और कटिबद्ध है।

श्री कुबेर भण्डारी—

क्या माननीय मन्त्री इसके बाद आप जेल जायेंगे।

श्री राम सिंह खन्ना—

हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक फैसला किया है कि बदले की भावना से काम न करें। आपने जेल भेजा, आप उधर चले गये और हम लोग इधर आराम से आ गये। तो हम ऐसी सख्ती नहीं करेंगे कि आप इधर आ जायें और हम उधर चले जायें। आपको सख्ती का नतीजा अच्छा नहीं हुआ। इसलिए सख्ती का काम हमसे न करायें। जेल कर्मचारियों के लिए काफी सुधार करने हैं उनके लिए भवन का निर्माण करना आवश्यक है। अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा कि जेल मैनुअल उस समय का बना हुआ है और जेल कर्मचारियों को उसी के अनुसार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मैं आश्वासन देता हूं और घोषणा करता हूं कि जेल मैनुअल 6 महीने के अन्दर तबदील होकर कार्यान्वित हो जायगा। साथ ही साथ जिस तरह की सुविधा है मैं इसको पंचायती तरीके से दूर करने की सोच रहा हूं उसमें कैदी भी सम्मिलित होगा और पंचायती तरीके से ऐसी व्यवस्था जेल के अन्दर बनानी है कि जेल की सुविधा बढ़ सके और मैं समझता हूं कि इसमें हमको कामयाबी भी मिलेगी। पूर्ण कामयाबी तो किसी चीज में तो सम्भव नहीं है लेकिन मुझे कामयाबी मिलेगी ऐसी मुझे उम्मीद है।

प्रदेश के 13 जिला कारागारों में अंशकालिक अधीक्षक के स्थान पर पूर्ण कालिक जेल सेवा के अधीक्षक नियुक्त किए जायेंगे, उप कारागार हल्द्वानी रुड़की और ज्ञानपुर में कर्मचारियों की नियुक्तियां की जायेंगी। बोर्सटल संस्था की स्थापना की जा रही है। यह प्रदेश की प्रथम संस्था होगी। चिकित्सा सुविधाएं 27 लैब्स की स्थापना 27 जेलों में की जा रही है। इसके अतिरिक्त 7 ऐम्बुलेंस क्रय किए जा रहे हैं। वार्डर्स के 1200 पदों की स्वीकृति के फलस्वरूप इनके कार्य के घंटों में कमी हो गयी है। महिला कक्ष में तीन महिला बन्दी रक्षक एवं एक प्रधान महिला बन्दी रक्षक का प्राविधान किया गया है। 38,000 कम्बल बुक किए गये हैं। 18 जेलों में आटा चक्की लगाने की स्वीकृति दी गयी है। जेलों में नाइयों और स्वच्छकारों की नियुक्तियां

[श्री राम सिंह खन्ना]

की गयी हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके प्रदेश के अन्दर जेल ट्रेनिंग स्कूल हैं और जो कर्मचारी भर्ती होंगे, उनको पहले 9 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाहर के लोग भी आते हैं। जितने आदर्श कारागार बनाए गये हैं, उनमें सुचारु रूप से काम चल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि अब तो उन लोगों ने अपनी सोसायटी भी बनाई है। उन्होंने उसके आधार पर क्रेडिट्स ली है और बैंकों से क्रेडिट लेकर अपना कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से जो पुराने बन्दी हैं, उन्होंने भैंसें भी पाल ली हैं और दूध उसी जेल में बांटते हैं। इस तरह से उनको सभी तरह की सुविधाएं देकर बेहतर इन्सान बनाने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, उनकी जितनी मांगें थीं, उनको सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। अभी रियासत भाई ने हमारा ध्यान इधर आकर्षित किया जो पुलिस के बराबर वेतन दिए जाने के बारे में है। अभी वेतन आयोग बैठा है और वेतन आयोग का फैसला इन सभी पर लागू होगा। इस वक्त एक महीने की अतिरिक्त तनख्वाह और धुलाई भत्ता देना स्वीकार कर दिया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

लेकिन माननीय मन्त्री जी वह लागू नहीं हो रहा है।

श्री राम सिंह खन्ना--

लागू हो जायगा। जो आपके सामने बात कही जाती है, पूरी जिम्मेदारी से कही जाती है। आप तो मन्त्री पद पर रह चुके हैं। उसकी प्रक्रिया क्या होती है, जानते हैं। इमप्लीमेंटेशन में कुछ समय लगता है। पहले अनुभव नहीं था। लेकिन मन्त्री होने के बाद यह सवाल नहीं आना चाहिए जिसको आप खुद जानते हैं। वह होकर रहेगा, आज नहीं तो कल।

एक सदस्य--

माननीय मन्त्री जी, आपके अधिकारी आपके आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं?

श्री राम सिंह खन्ना--

वह तो कुछ दिनों से उनकी आदत सी पड़ गयी थी। सब धीरे-धीरे उसमें सुधार हो रहा है।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और साथ ही सभी साथ माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं।

मेरे भाई द्विवेदी जी बार-बार पूछ रहे हैं। हम पूरी तरह से सजग हैं। हम जानते हैं कि जिसके जरिये से काम करना है, उनको किसी तरह से असन्तुष्ट नहीं रखा जा सकता है, यह हमारे मुख्य मन्त्री जी, माननीय विश्वनाथप्रताप सिंह की घोषणा है कि हम अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से सहूलियत देंगे ताकि वे अपना काम सुचारु रूप से कर सकें और भ्रष्टाचार का प्रलोभन भी उन पर असर न कर सके।

तो मान्यवर, इन सभी बातों को आदरणीय सदन में रखते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी मन्त्रि परिषद् का निर्णय है और किसी भी प्रकार शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। जितनी सुविधाएं हैं, उन सभी को पूरा करेंगे। इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत--चाहे विद्युतीकरण का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, या चाहे और कोई दूसरी सुविधा देने की बात हो, उसको देने का हम, प्रयास करेंगे। एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि पेयजल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हम जितने सन्साधन हैं, उनको और भी जुटायेंगे और साथ ही साथ जल निगम द्वारा कार्यान्वित करायेंगे लेकिन, जैसा कि आपको तजुर्बा है, जो ओवरहैड टैंक बनाया है, उसमें थोड़ा समय चाहिए। बस

समय का ध्यान रखते हुए हम पूरी तरह से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और साधनों को जुटा कर उसको पूरा करायेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं । अभी रियासत भाई ने कहा कि एक तवारीख बनानी है । तो अगर हम तवारीख नहीं बना सके तो वे फिर से तवारीख बना सकते हैं और कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर इस तवारीख को बना सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, अब तो कटौती के प्रस्ताव के पारित करने की प्रक्रिया रूरु हुई है।

श्री अधिष्ठाता—

तो आप क्या कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

नहीं, मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव को पारित कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांगी गयी राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,23,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82—गृह विभाग (कारागार) पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82—गृह विभाग (कारागार)—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,36,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति एवं बिक्री-कर) अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग तथा अनुदान संख्या 97—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नियोजन मन्त्री । इसमें आधे घंटे का समय है और इस पर विवाद नहीं होगा । इसलिए इधर के लोगों से प्रार्थना है कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने के बाद, चर्चा न करें, ताकि समय के अन्दर समाप्त हो जाय ।

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त-

[श्री ब्रह्म दत्त]

विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,97,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा कि आपने अभी कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी इसी के तहत मैं इस विषय पर विस्तृत में नहीं जाना चाहूंगा और एक निवेदन यह करूंगा कि संक्षेप में अगर सुझाव आयेंगे, तो उनका स्वागत होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, मद संख्या 10 'क' 4 व 5 को भी प्रस्तुत करें।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,59,80,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 97—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 97—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। दोनों मदों में कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

अधिष्ठाता महोदय, यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही समझिए कि हमारे यहां की योजनाओं के रूप राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है प्रान्त स्तर पर हमने किसी भी क्षेत्र में योजनाएं नहीं बनाई हैं। धरती पर रह कर नियोजन का कार्य जो नीचे से होकर ऊपर की ओर जाना चाहिए, वह ऊपर से नीचे की ओर आता है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राना जी, आप 10 का (3) तो पेश कीजिए ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैंने दोनों एक साथ ही पढ़ दिए ।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव आया ही नहीं। आपने कहा कि कटौती का प्रस्ताव आवे, तो कटौती का प्रस्ताव रखा ही नहीं गया, इसमें वाद-विवाद का सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता—

राना जी, आप बोलना शुरु कीजिए ।

श्री विजय सिंह राना—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि योजनाओं का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर से शुरू होकर नीचे आता है। सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि देश के अन्दर सरकार बनी। उस सरकार में सबसे बड़ा दृष्टिकोण का अभाव था। इसलिए जो योजनायें राष्ट्रीय स्तर से बन कर आईं वह धरती का कल्याण नहीं कर सकीं कभी भी इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि देश का विकास किस दृष्टिकोण से किया जायगा। समाजवादी दृष्टिकोण से या पूंजीवादी दृष्टि से। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने इसी लखनऊ शहर में कांग्रेस सम्मेलन में एक बात कही थी कि "मैं चाहूंगा कि कांग्रेस एक समाजवादी संगठन का रूप ले और नई सभ्यता के लिए दुनिया की जो अन्य शक्तियां काम कर रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलायें लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस का आज जो स्वरूप है उसमें अधिकांश कांग्रेसी शायद उसके लिए तैयार न हों।" यह शब्द उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में 1936 में कहे थे। इससे स्पष्ट है कि हमारी ललक समाजवाद की ओर थी और कार्य दिशा पूंजीवाद की ओर थी।

राष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता करने वाले लोग कोई दृष्टिकोण बनाने में समर्थ नहीं थे। इसलिए जो योजनायें बनकर आयीं उन्होंने देश में पूंजीवादी परिस्थितियां पैदा कीं अन्यथा यहां पूंजीवादी कोई वातावरण नहीं था। इसीलिए हिन्दुस्तान के अन्दर पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो सकी। इसके लिए यहां की योजनायें उत्तरदायी हैं। जो सरकार केन्द्र में शासन कर रही थी उसमें दृष्टिकोण का अभाव था। इसलिए उन्होंने इस देश को जानबूझ कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ धकेल दिया। रूसी लेखक पा:लोक ने स्वयं लिखा है कि "हमारा यह विश्वास है कि उस समय भारतीय समाज के पास पूंजीवादी ढांचें में छलांग लगाने के लिए वस्तुगत परिस्थितियों का अभाव था। योजनाओं की नीति के परिणामस्वरूप सरकार ने बैंकिंग सेक्टर व बजट दोनों का मुंह पूंजीवाद की ओर मोड़ दिया। यदि देश में ग्रामीण विकास की परिस्थितियों का पोषण किया जाता और उद्योग तथा शहरों को गांवों के बूते पर आबाद नहीं किया जाता तो इस देश में पूंजीवाद पैदा नहीं हो सकता था।"

यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरकार ने बैंकों का मुंह हमेशा उद्योग धंधों की तरफ मोड़ा, इसका परिणाम यह हुआ कि पूंजीवादी तबका हावी हो गया। आज हम उस तबके के नीचे सिसक रहे हैं और हमारी योजनायें अब चाहते हुए और न चाहते हुए भी पूंजीवाद का पोषण कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देश की 16 प्रतिशत जनता यहां रहती है और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी योजनाओं का प्रारूप बनता है इसलिए उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही, राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत हमारा प्रदेश चलता रहा है इसलिए विकास की दौड़ में यह प्रदेश पिछड़ता गया। यहां राष्ट्रीय परिपेक्ष में 1950–51 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 5 प्रतिशत अधिक थी वह 1970–71 में राष्ट्रीय आय की तुलना में घटकर 21 प्रतिशत हो गयी।

योजनाओं को चलाने में दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास दृष्टिकोण का अभाव है। हमारा प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा भाग है जहां प्राकृतिक सम्पदा और कृषि उत्पादन की कमी नहीं है। पर्वतीय सम्पदा, वन सम्पदा हमारे प्रदेश में है और उसके बावजूद भी हमारी प्रति व्यक्ति आय गिरती चली जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो प्रदेश में जो भी कांग्रेसी मन्त्रि मण्डल बने वह सब टूटे, दूसरा गदूमा की सरकार के मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसी घर को चलाने के लिए यह होता है कि इस व्यक्ति के मर जाने के बाद घर नहीं चलेगा, इतने बड़े प्रदेश को यह सरकार कैसे चलाएगी?

[श्री विजय सिंह राना]

दूसरी बात यह है कि राज्य नियोजन विभाग के अन्तर्गत, विभाग 9 कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या काम किया है, उसकी रिपोर्ट जो पेश की गयी है उसको पढ़ने से मालूम नहीं होता है कि कौन सी दिशा हमने दी है। मान्यवर, स्थिति यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो प्राकृतिक सम्पदा- वन सम्पदा-हमारे पास है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पाये, सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कृषि सम्पदा हमारे पास है, किसान भूखा मरता है, किसान की पैदा की हुई चीज सस्ती बिकती है लेकिन उपभोक्ता को महंगी मिलती है। किसान गन्ना पैदा करता है, सस्ती बिकती है. लेकिन चीनी मंहगी बिकती है। किसान की पैदा की हुई चीज का सस्ते दामों पर और जनता को महंगे दामों पर। कैसी योजना है ? मान्यवर, यही नहीं यहां पर उद्योग हैं इसके बावजूद इस देश में बेकारी है, क्यों है ? उद्योग हैं तो बेकारी और बे-रोजगारी का सवाल कहां उठता है ? बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, इंजीनियर बेकार हैं, मरीज हैं लेकिन डाक्टर बेकार हैं। शिक्षार्थी हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बी0टी0सी0, एल0टी0 करने वाले लोग बेकार हैं, आप बतायें। हमारी योजना का रूप क्या है ? सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यह सब क्यों ? यह सब इसलिए कि राज्य की योजना बनाने वालों के पास किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव है। जब ब्रिटिश शासन था तब सड़कें बनाते थे इसलिए कि इस देश का कपास, जूट, अनाज बम्बई पहुंच जाय, सम्पूर्ण देश का कच्चा माल किस प्रकार खिचकर बम्बई पहुंचें इसी दृष्टि से रेलें बनती थीं, सड़कें बनती थीं। लेकिन आज स्कूल खाली खोले जायेंगे वहां जहां मन्त्री को चुनाव जीतना होगा। अस्पताल उस क्षेत्र में खोले जायेंगे जहां मन्त्री जी को चुनाव जीतने के लिए जरूरी होगा। सड़कें वहां बनेगी जहां चुनाव जीतने के लिए जरूरी होगा। तो इस तरह से योजना. . .

*श्री श्याम लाल वाजपेयी--

इतने दिन आप थे कहां ?

श्री विजय सिंह राना--

इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सब कुछ होते हुए भी हम लोगों ने योजनाओं के बारे में ध्यान नहीं दिया। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जहां गंगा और यमुना जैसी नदियां हों और लाखों क्यूसेक पानी बंगाल की खाड़ी में जाता हो, गंगा-यमुना पर आज तक कोई बांध नहीं बना सके। ताकि बाढ़ और सूखे के ऊपर कोई नियन्त्रण रख सकें, हमारे प्रदेश के अन्दर हजारों तरह के संसाधन हैं। इस प्रदेश की बेरोजगारी दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। जब देश की स्थिति यह है तो योजना चलाने से क्या लाभ होगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर कोई योजना नहीं चल पायी है। इनमें क्षमता ही नहीं है प्रशासन चलाने की इसलिए जो भी पैसा दिया जायेगा सब बेकार हो जायेगा इसलिए मैं कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का और खास तौर से इस प्रदेश का कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, मिश्रा जी कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। मान्यवर, अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में पहली सरकार आई जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने इस देश के विकास के लिए कुछ योजनाओं को बनाया और वह नकल हुआ रसन पैटर्न का। हमारी आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, जनसंख्या का आधार क्या है, इन सब सवालों को नजर अन्दाज किया गया और पंचसाला योजनाएं बनाई गयीं और सारा पैसा, सारा जोर भारी उद्योगों पर लगाया गया। मैं भारी उद्योगों का विरोधी नहीं हूं, वह विकास के लिए आवश्यक है लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है करोड़ों लोग, जिनके पास दो-दो हाथ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्टीसिपेशन आफ दि पीपुल होना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। जब तक इन्वाल्वमेंट नहीं होगा तब तक योजनायें सफल नहीं होंगी। ग्रामीण विकास की योजनायें चालू की गयीं, वह इस बात का सबूत है कि सारा पैसा चन्द लोगों के पास चला गया। प्रश्न हमारे पास यह है कि प्लानिंग फार हूम, हमारी बदकिस्मती यह है कि जिसके पास कुछ पहले से मौजूद था, जमीन्दारी एबाल्यूशन के द्वारा जिनकी कमर टूट रही थी, उनको कुछ नहीं दिया गया। जो भी कर्जा दिया गया वह उन लोगों को दिया गया, जिसके पास हैसियत थी, जिनके पास हैसियत नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं दिया गया। मान्यवर, इस आजादी के इतिहास में जनता पार्टी का शासन पहला ऐसा शासन था जिसने उसको भी कुछ देने के लिए सोचा, जिसके पास कुछ नहीं था। उनके लिए अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया गया और अन्त्योदय में पांच-पांच हजार रुपए दिए गये। एक अंग्रेज लेखक कन्फ्यूशियस ने लिखा था कि जब तुम सत्ता की ऊंची कुर्सी पर बैठे रहना तो निश्चित रूप से उसकी बुनियाद में जो गरीब खड़े होते हैं जिसको किसी ने देखा नहीं है उसको जरूर देखना और इसलिए जनता पार्टी के शासन काल में उस गरीब को देखने का काम किया गया, जिसको 22 साल में कभी नहीं पूछा गया था।

[समय 2 बजकर 25 मिनट]

अन्त्योदय के नाम पर आधा पैसा माफ कर दिया। कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारे पास रहने के लिए प्रापर्टी है, नो ड्यूज सार्टिफिकेट है कि नहीं, जायदाद, जमीन कितनी है, कुछ नहीं पूछा, आउट आफ वे उसको हमने सहायता दी। मुझे यह कहने में कष्ट हो रहा है कि इस योजना को जो गांधी जी के सपनों को साकार करने वाली योजना थी उसको आपने दफना दिया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप सिनसियर हैं, आपकी नीयत साफ है, इस देश में गरीबी को खत्म करना चाहते हैं तो योजनाओं को नीचे से ऊपर लाने की बात करिए। मुझे प्रसन्नता है माननीय मुख्य मन्त्री जी का बयान आया है कि हमारी योजनाओं की इकाई ब्लाक होगी। यह होश काफी दिनों के बाद आया है। यदि यह होश पहले ही आ गया होता तो हमारे प्रदेश और देश को दुर्दशा नहीं हुई होती।

मान्यवर, प्रदेश के सन्दर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो विकास की श्रृंखला में हमारा स्थान तीसरे नम्बर पर था और आज हम दो नम्बर पर चले गए हैं। पीछे चले गये हैं। औद्योगिक विकास के हिसाब से हम 21वें नम्बर पर चले गए हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश ने प्रधान मन्त्री पैदा किए लेकिन उसके साथ ही साथ बदकिस्मती भी जुड़ी हुई है कि प्रधान मन्त्री की बदनामी न हो इसकी वजह से जितना पैसा इस प्रदेश को देना चाहिए था उतना नहीं दिया।

ये योजनाएं जो आप बना रहे हैं आपके पास प्रत्येक जिलों के आंकड़े हैं कि कौन जिला कितना पिछड़ा है। जब तक आप रीजनल इमबैलेंस, क्षेत्रीय विषमतायें, दूर नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश को एक नहीं रख सकते आज प्रदेश विषमयाओं से ग्रसित है। पूर्वांचल इंकलाब की तैयारी में है। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल की जितनी उपेक्षा इन वर्षों में की गयी है उतनी शायद और समय मेंनहीं की गयी होगी। पूर्वांचल में जनशक्ति है, वहां प्राकृतिक शक्ति है, वहां का विकास होना चाहिए था। आपने अपने यहां चिराग जला दिया है। हम तो पूरे प्रदेश में चिराग जलाना चाहते हैं। हम आप से निवेदन करना चाहते हैं कि योजनाओं को बनाने का नए सिरे से प्रयास कीजिए। योजना को नीचे से प्रारम्भ कीजिए। ऐसे मामले में जहां प्रदेश के विकास का सवाल हो दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर योजना बने।

(व्यवधान)

हमने तो बेवकूफी की थी, आप क्यों बेवकूफी करने जा रहे हैं (व्यवधान)

मान्यवर, मुझे मालूम है कि आप ही के केन्द्र के मन्त्री जी ने चीनी मिल वहां लगाई जहां गन्ना पैदा ही नहीं होता इसलिए योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कच्चा माल, रा-मैटीरियल, वहां मिल रहा है या नहीं। लोगों को काम देने की बात

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
की ओर मैंने कल इशारा किया था आज फिर कहना चाहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से आये मजदूरों का इस्तेमाल हो रहा है। बंधुवा मजदूर काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। जो इंडस्ट्री आप लगाने जा रहे हैं, जो उद्योग धंधे लगाने जा रहे हैं उनमें स्थानीय लोगों को काम दिया जाय ताकि उन लोगों का लाभ हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वह बात प्लानिंग से सम्बन्धित है। अशोक मेहता कमेटी पंचायतराज के सम्बन्ध में आई हुई है। मैं चाहूंगा कि पक्षपात और राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठ कर आप देखें कि कितनी शक्ति आप अपने उस बेसिक यूनिट को देने जा रहे हैं, वह यूनिट जो आपके विकास की आखिरी इकाई है जिसको मैं पहली इकाई बनाने की बात कर रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा शक्ति उन को दीजिए और जब तक जन समर्थन आपको नहीं मिलेगा, लोग यह नहीं समझने लगेंगे कि यह योजना हमारी है, हमारे कल्याण के लिए है, तब तक वह योजना सफल नहीं हो सकती है इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई राना साहब ने सारी बातें विस्तार से रख दीं मैं उन्हीं के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझको प्रसन्नता होती, विधान सभा का सत्र अन्तिम होने को है और इस प्रदेश की जो वार्षिक योजना है एक हजार पचासी करोड़ की, और जो पंचसाला योजना 6,200 करोड़ की है, उसको यहां पर रख दिया जाता। आपकी ये सारी योजनायें बन गयीं लेकिन आपने इस सदन को अन्धेरे में रखा। इस सदन को इन योजनाओं की जानकारी न हो सकी कि आखिर कौन-कौन सी हमारी योजनायें हैं। करोड़ों रुपया आप खर्च कर दें और उन पर हमारी संस्तुति न लें, इस पर मुझे आपत्ति है। मुझे प्रसन्नता होती यदि आप अपनी इन योजनाओं के प्रारूप को सदन में रखते, उन पर चर्चा कराते माननीय सदस्य चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सब की परामर्श उसमें होनी चाहिए थी और उन योजनाओं के प्रारूप पर सम्मानित सदस्यों के विचारों का समावेश होना चाहिए था। तभी इस प्रदेश का कल्याण हो सकता था। इसके साथ ही साथ प्रदेश का जो योजना आयोग है उसमें आपने ऐसे लोगों को सदस्य बनाया है जो यहां की धरती से कटे हुए हैं। उसमें इस प्रदेश के विधान सभा के किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें आपने अरुण कुमार नेहरू को इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन वे ऐसे लोक सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से कि हमारी प्रधान मन्त्री बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व करती रही हैं। वे आज योजना आयोग में हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि योजना आयोग में ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जो यहां पर विधान सभा का प्रतिनिधित्व करता हो। मुझे इसमें एतराज है कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने विरोध पक्ष के नेता की हैसियत से सत्ता के दुरुपयोग का सबसे जबरदस्त विरोध किया है। मुझे इस बात का खेद है कि मन्त्री होने के बाद यह अपने विभाग में सबसे ज्यादा सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने एक श्री योगेन्द्र शर्मा जो शुक्ला जी के दूसरे भाई हैं, जोकि एक टंकण लिपिक थे उनको वहां से हटाकर निजी सचिव ग्रेड में रख दिया। उसकी संस्तुति भी नहीं ली गयी। यह सत्ता का दुरुपयोग है। इसके अलावा योजना आयोग में जो शोध अधिकारी होते हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से आना चाहिए लेकिन उनकी तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं। यह सब देखने की बात है।

बिक्री-कर का सवाल बहुत दिनों से उठा हुआ है। इसका कई बार जिक्र भी किया गया। बिक्री-कर व्यापारियों से बात भी करते हैं लेकिन कोई मामला अभी तक तय नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो पाया है। जो बिक्री-कर अधिकारी हैं उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। वे प्रदेश की संचित निधि को सबसे ज्यादा पैसा देते हैं और उन्हीं के ऊपर सबसे कम खर्च करते हैं। इधर 4/5 महीने से एसेसमेंट का काम भी बन्द है। मान्यवर, मैं अभी पिछले दिनों कानपुर में हुए एक हादसे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर 50 प्रतिशत बिक्री कर अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यापारियों के चंगुल में 12 बजे रात तक कैद करके रखा गया था लेकिन कानपुर की पुलिस उसके लिए कुछ न कर सकी। इसी तरह से दो बिक्री-कर अधिकारियों को मुजपफरनगर में हथकड़ी लगाकर घुमाया गया। इस पर माननीय मन्त्री जी ने जांच का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। उनको अदालत में हाजिरी देनी पड़ती है। इस तरह से आप बिक्री-कर अधिकारियों का उत्पीड़न करा रहे हैं। उनके संरक्षण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसे आप रोकें।

मान्यवर, आपने बिक्री-कर प्राधिकरण बनाया। मैं इसके खिलाफ हूं। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है और इसको देखते हुए किसी की भी सेवा में बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए, विस्तार नहीं मिलना चाहिए। यह प्रदेश शासन की ही नहीं बल्कि केन्द्र शासन की नीति भी रही है। वहां पर रेलवे में पंडित जी को हटाकर केदार पाण्डे को रखा गया है साथ ही अधिकारियों को हटाया गया है। उन्होंने एक सुधार चलाया है जिनको विस्तार मिल जाता है उनको हटाने की बात है। यह व्यवस्था आपके यहां भी होनी चाहिए लेकिन दुख की बात यह है कि जिनके शासन में 58 साल खत्म हो जाते हैं, आपके प्रिय पात्र हैं, उनको सेवा में विस्तार मिल जाता है। ऐसे अधिकारी जो यहां आ जाते हैं वह 60 साल में रिटायर होते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि तीन ऐसे व्यक्ति यहां पर रखे गये हैं जिनका रिटायरमेन्ट हो चुका है। उनको एक महीने की सेवा में विस्तार दिया गया क्योंकि तब तक प्राधिकरण बना नहीं था। एक महीने का विस्तार देकर जब प्राधिकरण बन गया तो उनको प्राधिकरण में न्यायाधीश के रूप में दो साल सेवा करने का अवसर मिल गया। तो यह सबसे बड़ा सत्ता का दुरुपयोग आपने किया जिसके आप अभ्यस्त होते जा रहे हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस कुर्सी पर बैठकर विरोध करते रहे उस के चरित्र के बारे में खोजबीन करने की कोशिश सभी तरफ के लोग करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बारे में भी बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत है लेकिन मुझे अफसोस है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

एक ऐसे ही आपके अधिकारी हैं जो डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं श्री चन्दू लाल जी जो इलाहाबाद में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। यह बेचारे ऐसे हैं जो चोरी भी करते हैं और उसके साथ सीनाजोरी भी करते हैं। वह न्यूनतम दो रुपया और अधिकतम 100 रु0 लेते हैं....

(व्यवधान)

दो रुपए से कम नहीं और 100 रु0 से अधिक नहीं लेते। और जो अधिकारी उन को खिलाता है उन्हीं पर वह ज्यादा नाराज होते हैं। और ऐसे ही अधिकारियों का ज्यादा दोहन करते हैं। जब वह सत्ता में थे तो उनके कंडक्ट के बारे में उनको बहुत बार बैड इन्ट्री मिल चुकी हैं। लेकिन वह हमेशा ऐसी जगह पर नियुक्त कर दिए जाते हैं जहां पर उनके भोजन पानी का बहुत बड़ा इन्तजाम रहता है। अगर चोरी और वंचना को रोकना है, तो ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर ऐसे अधिकारियों को न रखा जाय। यहां हेडक्वार्टर में बहुत सी जगहें हैं जहां पर उनको रखना चाहिए।

इस विधान सभा में एक प्रबुद्ध मन्त्री श्री काशीनाथ मिश्र जी आपके सहयोगी हैं, उनका भी सहयोग आप अपने विभाग में लिया करिए अपने कार्य का बंटवारा करिए, आप उस सदन के नेता भी हैं, नियोजन का भी काम है, आपके पास वित्त भी है, आपके पास बिक्री-

[श्री मोहन सिंह]
कर भी है, आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है, आपके पास संस्थागत वित्त भी है इसलिए आपके पास काम ज्यादा है तो जब आपके पास सहयोगी हों उनसे भी आपको काम लेना चाहिए। इन सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नियोजन मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। श्रीमन्, हमारे भाई मोहन सिंह ने कहा कि प्लान का टारगेट बनना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिये कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी और आज छठी योजना आरम्भ हो रही है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। मैं कहूंगा कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, द्वितीय योजना बनी, तृतीय योजना बनी, चतुर्थ योजना बनी, पंचम योजना बनी और अब छठी योजना बनी है। तो हम क्रमबद्ध हैं इनके टारगेट फिक्स हैं। माननीय मोहन सिंह जी को अधिकार था जब वह 3 साल सत्ता में बैठे तो उसको अमेंड कर देते तो मैं उनको बधाई देता। लेकिन कोई प्लान बनाया ही नहीं हमारी ही योजनाओं पर चलते रहे और कहते थे, जब यह सरकार में रहे, कि अच्छी योजनायें हैं। आज चूंकि विरोध पक्ष में बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं आपने कोई टारगेट नहीं बनाया, कोई प्लान नहीं बनाया। आपने कुछ नहीं किया, एक अजीब सी बात लगती है। आप आज कह रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ साथियों ने कहा है, उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो न योजनायें जानें, न प्लान जानें, वह तो बस स्पीच दे रहे हैं। हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है, मान्यवर, वह बहुत ही वृहद है और जब वह कार्यान्वित हो जायगी तो हम मोहन सिंह जी से कहेंगे कि देख लीजिए प्लान अच्छा है या बुरा है। इन शब्दों के साथ मैं नियोजन मन्त्री जी के प्रस्ताव और बजट का जोरदार समर्थन करता हूं।

*विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। नियोजन इसलिए किया जाता है कि समाज के अन्दर जो आर्थिक अराजकता है उसको दूर किया जाय। पूंजीवादी व्यवस्था के अन्दर नियोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ तब पंडित नेहरू ने महसूस किया कि यदि देश में नियोजन नहीं किया गया, तो देश की अर्थ व्यवस्था चौपट हो जायगी। चूंकि हमारे देश में मोनोपोली हाउज बने हुए हैं, जो पूरी अर्थ व्यवस्था पर काबिज थे, बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार हमारे यहां नियोजन प्रारम्भ हुआ। लेकिन आज 31 मार्च को हम लोग इस माननीय सदन के अन्दर नियोजन पर बहस कर रहे हैं और इस समय चारों तरफ यहां लखनऊ से वायरलेस जा रहे हैं, आज एक्सप्रेस तार जा रहे हैं, टेलीफोन जा रहे हैं कलेक्ट्रेट को कि हम तुमको 20 हजार इसके लिए दे रहे हैं, 40 हजार इसके लिए दे रहे हैं, आप इसकी लैप्स न होने दें। आज रात 12 बजे तक खजाने खुले रहेंगे, स्टेट बैंक की ब्रांचेज खुली रहेंगी। रात 12 बजे तक कलेक्टर और ए0डी0एम0(पी0) आज अपनी-अपनी टेबुल पर बैठे रहेंगे। आज रात को ही ग्रान्ट्स मिलेंगी और लाखों लाख रुपया उसी रात में खर्च हो जायगा। यह फाइनेंशियल हैन्ड बुक को जब तक नहीं बदला जायेगा जिसे न आपने बनाया है न हमने बनाया है, बल्कि उसे अंग्रेजों ने बनाया है,और जब तक हमारी प्रवृत्ति को नहीं बदला जायेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, इस देश की अर्थ व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना पर न सरकार ने विचार किया, न इधर विरोधी दल के सदस्यों ने विचार किया और न उस पर हमारे दल ने विचार किया। इसलिए अब शासक दल उस पर विचार करे और कानून में इस बात की व्यवस्था करे। क्यों कि कोई समय ऐसा नहीं आयेगा जबकि गांव स्तर की संस्थाओं से लेकर विधान सभा तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके जन प्रतिनिधियों को सारे और पूरे अधिकार दे दिए जायें। इससे ज्यादा खतरनाक चीज और कोई हो नहीं सकती है कि जन साधारण की योजनाओं को बनाने और उन पर विचार करने का काम जन प्रतिनिधियों को न सौंप कर शासकीय अधिकारियों को दे दिया जाता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में हम चाहे जिस स्तर से चलें, जनता की शिरकत इसको बनाने में नहीं रहती। चन्द अफसर जो साधारण आदमियों से बहुत परे हैं, योजना बनाते हैं, और उनकी योजना जब लागू होने के लिए जाती है तो पता चलता है कि जिस आदमी के लिए रुपया खर्च किया जा रहा है, खर्च किया गया है, उसमें उसके लाभ के लिए कुछ नहीं हुआ है, उसका कोई उत्थान नहीं हो रहा है। वह योजना पूरी और सतही होकर रह जाती है। उसके धन को कुछ लोग खा जाते हैं, जो लोग मन्त्री जी के आस पास घूमा करते हैं। विकास खण्ड में स्कूल खोलना हो, चाहे अस्पताल खोलना हो, या सड़क बनानी हो, अगर मन्त्री जी खुश हो गये, तो अपने चमचों से कह देंगे हम तुमको यह योजना दे देंगे। तो उस गांव और जिले की योजना चली गयी। अगर वे खुश नहीं हैं तो योजना नहीं जायगी। मान्यवर, हमारे जिले टेहरी गढ़वाल में 10,000 मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन वे बाहर के प्रदेशों के हैं जैसे छोटा नागपुर, आंध्र, मध्य प्रदेश आदि के। ये सब बंधुआ मजदूर हैं यहां पर हमारे श्रम मन्त्री व वित्त मन्त्री इन मजदूरों के पक्षधर बनते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। माननीय त्रिवेनी जी बहुत से सीमित लोगों को मरहूम कहा करते हैं।

(व्यवधान)

हमारी योजनायें ऐसी हों जिनके द्वारा स्थानीय जनता की सुख और स्मृद्धि बढ़ा सके, नंगी धरती को पानी दे सकें, अपने भूखे नंगे लोगों को खाने को दे सकें। बड़े-बड़े जखीरे-बाजों और अमेरिका की टेक्नालोजी ले लें लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि चाहे किस स्तर पर योजना हो उसमें हमारे विधायकगण को भी सम्मिलित किया जाय। अगर आप जनतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं तो जिलों में भी जनतांत्रिक प्रणाली को लागू कीजिए और तब आप अपनी छठी पंचवर्षीय योजना को चलाइए। अन्त में मैं पुनः आप को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दीनानाथ—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियोजन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

अभी सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मन्त्री जी को नियोजित ढंग से प्लानिंग करना चाहिए था। प्लानिंग तो विपक्ष के लोगों ने किया था, रोलिंग प्लान बनाया था और उसमें आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया था। उस समय भ्रष्टाचार में चौगुनी बढ़ोत्तरी हुई थी। हमारी सरकार ने पहली पंच वर्षीय योजना से छठी पंच वर्षीय योजना तक देश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाने का प्रयास किया है। योजनाओं में धन लगाया गया जिनके कारण आज हमें बिजली मिल रही है, सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। देश में हरित क्रांति आई जिसकी वजह से ही हम अन्न के मामले में आत्म निर्भर हुए हैं। चीनी के मामले में आत्म निर्भर हुए हैं। यह सब हमारी योजनाओं की ही देन है। यदि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं न बनी होतीं तो आज हम विश्व में जिस स्थान पर हैं, न पहुंच पाते। मुझे याद है हमारे देश के अन्दर मोमबत्ती जलाई जाती थी, बनिए लोग उसी में अपने बही खातों को लिखा करते थे, कड़ुआ तेल के दीपक जला करते थे। इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही यह देश समाजवाद की ओर अग्रसर हुआ है। मान्यवर, भाखड़ा नंगल, रिहन्द डाम, कोसी योजना, तथा अन्य बड़ी-बड़ी योजनायें पंचवर्षीय योजनाओं की

[श्री दीना नाथ]
ही देन हैं। ये बड़े-बड़े बांध और यह सड़कें तथा बड़े-बड़े पुल सब पंचवर्षीय योजनाओं की ही देन हैं।

सरकार में चाहे हम आयें या यह विरोध पक्ष आये, सरकारी कर्मचारी यही रहेंगे। जब यह विरोध पक्ष वाले सरकार में रहे और कांग्रेस के लोग विरोध में बैठते थे तब हम भ्रष्टाचार की बात करते थे तो आप अपने जमाने में किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाये, आपके जमाने में भ्रष्टाचारी खूब पनपे और आपने उनको शरण दी। अगर आज आप जब विरोध पक्ष में बैठे हैं तो आपको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ। मान्यवर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे हथियारों में आत्म निर्भर बनने की बात हो, यह सभी हमारी योजनाओं का परिणाम है, योजनाओं की ही देन है। आपको तो कटौती के प्रस्ताव को इस पर लाना ही नहीं चाहिए था और इस बजट का समर्थन करना चाहिए था। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लोकमणि शर्मा–

मैं सबसे पहले तो मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि काफी दिनों के अथक प्रयास के बाद, और आज भी मेरा नाम पहले या दूसरे नम्बर पर था, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सन् 47 के पहले हमारे यहां देश की जो दुर्दशा थी वह किसी से छिपी नहीं है, न खाने के लिए अन्न था, न वस्त्र ही थे, शिक्षा भी बहुत कम थी, अन्न तक का आयात होता था, कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम अन्न तक में आत्म निर्भर नहीं थे, नमक तक राशन से मिलता था, बिजली की जो आज जगमगाहट देखने को मिलती है वह दूर तक नहीं थी, जब हमारे राष्ट्रनायक पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने देश में समाजवादी वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की आधार शिला रखी, तो उन योजनाओं के आधार पर ही आज हम यह देख रहे हैं कि हमारा देश कृषि के मामले में आत्म निर्भर है, तथा हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप (विरोध पक्ष से) लोगों की जब सन् 77 में सरकार बनी, जोकि एक भानमती के पिटारे की सरकार थी, तो आपने इस देश को पीछे ढकेल दिया, देश के अन्दर जो भण्डार था, चाहे वह सोने का रहा हो, चाहे-अन्न का रहा हो, उसे खाली कर दिया और उसके बाद आपने फिर सत्ता हमारे हाथों में सौंप दी।

आज बिजली के विकास के कारण ही सारे देश में आप जगमगाहट देख रहे हैं। हर क्षेत्र में देश और प्रदेश ने प्रगति की है। अगर आपको यह प्रगति नहीं दीख रही है तो इसमें हमारी सरकार का कोई दोष नहीं है। जैसे सूर्य उदय होता है और एक पक्षी को नहीं दीखता है तो सूर्य का क्या दोष है। हम योजनाबद्ध नीति और कार्यक्रम के आधार पर देश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं हर योजना स्तर पर।

एक बात मुझे यह कहनी है कि मेरा क्षेत्र मथुरा बड़ा अविकसित है। मेरे क्षेत्र मठ की स्थिति यह है कि यमुना की 45 किलोमीटर लम्बाई में दोनों ओर विकास की कोई किरण तक नहीं पहुंच सकी है। थाना कोसी में शाहपुर, ऐंच, चौउरस बरका, बुखरारी, धनोता खैराद, तथा अन्य कई गांव हैं और 22 किलोमीटर के क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक न कोई थाना है, न कोई स्वास्थ्य चिकित्सालय है। बार-बार लिखकर दिया है मैंने कि यह बहुत अविकसित क्षेत्र है, उसमें विकास करना चाहिए। जहां तक नलकूप तथा सिंचाई के साधनों का सम्बन्ध है उसके लिए ऐसा प्रयास होना चाहिए कि वहां पर विकास हो सके। इसके अलावा वहां पर शेरगढ़ कस्बा है जहां उसके एक ओर सड़क आती है दिल्ली कोसी को मिलाते हुए जो जमुना के तट तक है और दूसरी तरफ अलीगढ़, खुर्जा तथा मेरठ को मिलाती है। वहां जो भी मन्त्री गये अथवा मुख्य मन्त्री गये सबने यह आश्वासन दिया कि इस पुल का निर्माण होगा

लेकिन आज तक उस पुल का निर्माण नहीं हो सका। तिवारी जी ने पत्रावली चलाई भी थी लेकिन पता नहीं कहां वह गायब हो गयी। मेरी सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि उस अविकसित क्षेत्र का ध्यान रखा जाय। विकास के साधन उपलब्ध कराये जायं और पुल का निर्माण कराने की कृपा की जावे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, नियोजन पर बहस हो रही है उसके सम्बन्ध में जांच में मैं कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। 1962 में इसी विधान सभा के दर्शक दीर्घा में बैठे थे तब यह आश्वासन दिया गया था पूर्वांचल में करनाली एवं भालू बांध योजना बाढ़ को रोकने के लिये कार्यान्वित की जायेगी लेकिन 18, 20 साल हो गये आज तक उस योजना को लागू नहीं किया गया। यह क्षेत्र बाढ़ आने पर जलमग्न हो जाता है हमारे जिले में रुद्रपुर है कछार कहलाता है। इसमें हर साल बाढ़ आती है। प्रदेश की 11 करोड़ के लगभग आबादी हो गयी है। ऐसी योजनायें बननी चाहिये जिनसे जनशक्ति का उपयोग हो सके। देवरिया जिले में बहुत पुराने जमाने से 14 चीनी मिलें चलती आ रही हैं और उनके अलावा कोई भी उद्योग लगाने की बात आज तक नहीं की गयी। इन 14 चीनी मिलों से केन्द्र सरकार को 30 करोड़ रुपया सालाना जाता है लेकिन उस का एक प्रतिशत भाग भी देवरिया जिले के लिये नहीं रखा गया। आज इस जिले में कटहल, हल्दी, लहसुन की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है लेकिन उनकी मदद से एक भी छोटा उद्योग नहीं लगाया गया। मैं चाहूंगा पटेल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाय जो उनको छोड़ दिया गया। लिहाजा पटेल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाय। जो उन्होंने योजना की स्वीकृति दिया है, उसी के तहत हाटा में और दुधई में चीनी मिल खोलने की स्वीकृति उन्होंने दिया था। पूर्वांचल के विकास के लिए योजनाएं बनाई जायं ताकि पूर्वांचल के 14—15 जिले जो पिछड़े हुए हैं वे विकसित हो सकें। देवरिया जिले में एक बड़ा कागज का कारखाना लगाने की कार्यवाही करें। 14 चीनी मिलें जो हैं, उनसे जो खोई निकलती है उससे कागज बनाया जा सकता है। इसलिए वहां पर कागज के कारखाने की योजना बननी चाहिये। यह जो पूर्वांचल में आज रोटी का सवाल है, वहां पर इन कारखानों के लगाने से वहां के लोगों की रोटी की समस्या हल हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करते हुए जो कटौती का प्रस्ताव आया है, इसकी घोर निन्दा करता हूं। मान्यवर, यह योजना का जो बजट है, योजना स्वयं अपने नाम से इतनी इम्पार्टेन्ट है कि इसी पर सारी बुनियाद खड़ी होती है। इस देश का ढांचा, इस देश का सारा विकास, इस देश का सारा आर्थिक तंत्र योजना पर खड़ा होता है। योजना अगर सही है, तो हर क्षेत्र का विकास और हर क्षेत्र का ढांचा ठीक-ठीक खड़ा होगा। अगर योजना गलत है, तो आपकी सारी योजना, सारे विकास के कार्यक्रम सब चकनाचूर हो जाते हैं। मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं पंडित जवाहर लाल नेहरू जी को जो ये योजना देकर इस देश को उत्थान की तरफ ले आये हैं और संसार में इस देश के मस्तिष्क को ऊंचा किया है। यह निश्चित ही पंडित जवाहर लाल नेहरू की योजना थी। मान्यवर, हमको भूलना नहीं चाहिए। जब यूरोपियन औद्योगिक क्रांति कर रहे थे तो हिन्दुस्तान के लोग बैलगाड़ी से चल रहे थे और जब देखा कि यहां पर लोग बैलगाड़ी से चल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि पंडित जवावहर लाल नेहरू की नीति के अनुसार यहां पर औद्योगीकरण किया जाय। जब दूसरे देश अणुबम बनाने लगे, तो यहां भी अणुबम बनने लगा और हवाई जहाज और अणुबम तक पहुंच गये हैं।

[श्री मुईद अहमद]

मान्यवर, विरोधी पक्ष वालों ने यह नहीं देखा कि 1955 में इस देश में किसानों को खाने के लिए अनाज और गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता था। मगर इस योजना के द्वारा हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो गया। आपकी योजना जनता पार्टी की यह थी कि विकास होगा, कर नहीं लगेगा। 77 में ऐसी योजना बनी थी कि नहर चली जायेगी, जमीन नहीं निकलेगी। मान्यवर, सारा विकास होगा, सेल्स टैक्स माफ कर दिया जायेगा। यह योजना थी रेलें जायंगी, पटरी के लिए जमीन नहीं ली जायेगी। वह जो आपने किया वह सब रोलिंग प्लान रहा और उसी पुरानी योजनाओं पर आप भी काम करते थे मगर जिसकी वजह से जो हमारी पुरानी योजनाओं के आधार पर भी काम वह ठीक नहीं कर पाये, जितने लोग थे, उतनी बोली थी यह कौन सी योजना। योजना तो हम लोग बनाये थे, और उसी योजना पर हम चल रहे हैं। आपने उन विकास कार्यक्रमों को पटरी से उतार दिया था, जब पटरी से गाड़ी उतर गयी, तो फिर जनता ने पुरानी योजना पर भरोसा करके श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की सत्ता सौंप दी और वह कटिबद्ध हैं देश की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना की ही देन है कि यह देश खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हुआ, यह योजना की ही देन है कि इस देश में औद्योगीकरण हुआ। एटम बम बनने लगे, हवाई जहाज बनने लगे। आज भूलना नहीं चाहिये 60 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिये इसी योजना के माध्यम से दिया गया है। एक सुझाव देना चाहता हूं, शायद मन्त्री जी इस समय सदन में है नहीं, वे फाइनेन्स के भी मन्त्री हैं और योजना के भी मन्त्री हैं, यह जो बजट का रुपया जिलों में भेजा जाता है, अधिकांश रुपया मार्च के आखिरी सप्ताह में जाता है जो जिलों में तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच दिनों के अन्तर से पहुंचता है। विभागाध्यक्ष, इतने कम समय में, उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं और यहीं उनको मौका मिलता है भष्टाचार करने का। यह एक गम्भीर बात है इसलिये इसमें सुधार लाना चाहिये। इसके अलावा यह इसी पार्टी की देन है कि पहली बार पूरा बजट एक साथ पेश हो रहा है और आगे भी समय पर पैसा पहुंचता रहेगा। यह आप ही लोगों की कृपा है कि कोई समय नहीं रहा बजट का और 4–6 दिन पहले तक अनुदान गया है। ठीक समय से विभागों को पैसा एलाट कर दिया जाय और पहले से पूर्व नियोजित ढंग से उन्हें पूरा अवसर देते हुए पैसा भेजा जाय, यह योजना की नीति होनी चाहिये।

अन्त में मैं पुनः इस योजना का समर्थन करते हुए जो आज बजट योजना का रखा गया है, विरोध पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका घोर विरोध करता हूं।

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, आपने मुझे नियोजन के बजट पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नियोजन तो पंडित जवाहर लाल नेहरू और गांधी जी से शुरू होता है, जो आज तक चल रहा है। देखते हैं कि बिक्री कर और वृत्तिकर आज तक लगाया जा रहा है। पेशा करने वाले छोटे दुकानदारों पर कर लगाया जा रहा है, यह बड़ी शर्म की बात है। गांजा, भांग और शराब की दुकानों से आबकारी कर तो आप वसूल कर लेते हैं लेकिन बिक्री कर की वसूली नहीं कर पाते हैं। बिक्री कर लगाने का ठीक से सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जिससे कर वंचक व्यापारी बच जाते हैं।

वाराणसी के पास नौबतपुर चैक पोस्ट है, जहां फार्म नं0–31 की चोरियां होती हैं। मिर्जापुर में फार्म---31 की चोरी होती है। फार्म–31 की चोरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि कोयले के व्यापारी बिक्रीकर का घोटाला सबसे ज्यादा करते हैं। नियोजन में आप कैसे पैसा लगायें, प्लानिंग कैसे करें, इसके पूर्व यह आवश्यक है कि बिक्री कर ठीक

प्रकार से लगाया जाय। अगर आप बिक्री कर ठीक तरह से नहीं लगायेंगे तो साधारण लोग ही प्रताड़ित होते रहेंगे।

लखनऊ में एक जय क्राकरीज है, जिसकी भिन्न-भिन्न वर्षों में पृथक-पृथक पत्रावलियां खोली गयी हैं और उसका पृथक-पृथक कर निर्धारण हुआ है, यह अन्याय है उस फर्म के साथ। मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस प्रकार के केसेज को देखें और उन्हें ठीक कराएं।

इसके अतिरिक्त, नियोजन के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अब हमारे सुझाव इस प्रकार हैं--

1--जो अतिरिक्त आयुक्त रहे, वही आयुक्त बनाया जाय, तबादलों विभाग होने के कारण बार-बार बदलना उचित नहीं है। उसको स्टे और किश्तों के बारे में पूरा अधिकार होना चाहिये।

2--बिक्रीकर ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन होना चाहिये। उपायुक्तों को हटाया जावे। अधिवक्ताओं का कोटा बढ़ाया जावे। अधिवक्ताओं को कानून के ज्ञान के अलावा एकाउन्ट्स का पूरा ज्ञान होता है। अधिवक्ता कोटा से नियुक्ति तुरन्त होनी चाहिये। सहायक आयुक्त (अपील) को ट्रिब्यूनल के अधीन किया जावे। प्रारम्भ में सहायक आयुक्त जज रिवीजन के अधीन थे किन्तु बाद में योजनाबद्ध तरीके से उनको आयुक्त के अधीन किया गया।

3--कोर्ट फीस अपील में कम से कम 5 रुपया और अधिकतम 250 रुपये है। द्वितीय अपील में कम से कम 15 रुपया और अधिकतम 500 रुपये है। आयकर में अपील मिमो पर 50 पैसा का टिकट और ट्रिब्युनल में अधिकतम फीस 125 रुपये है। पहले अपील में अधिकतम 50 रुपये और द्वितीय अपील में 100 रुपये थी भारत सरकार की विधि मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा गठित संसद सदस्यों के पैनल ने कहा है कि राज सत्ता का मुख्य कर्तव्य है कि वह न्याय चाहने वालों को सस्ता न्याय दिलाये। अतः यह कतई स्वाभाविक नहीं लगता कि न्याय पाने वालों से फीस की वसूली की जावे। अतः यहां भी आयकर की भांति अपील में 50 पैसा कोर्ट फीस और द्वितीय अपील में कम से कम 15 रुपये और अधिकतम 125 रुपये होनी चाहिए और एक हजार तक विवादग्रस्त कर पर कोई कोर्ट फीस नहीं होनी चाहिये।

4--स्टे प्रार्थना पत्र से पहले 1/3 जमा करने की अथवा वेवर के प्रार्थना पत्र देने के प्राविधान को समाप्त कर दिया जावे।

5--कि स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोर्ट फीस नहीं लगनी चाहिये। कोर्ट फीस के टिकट के रूप में अथवा बैंक में जमा करने की सुविधा होनी चाहिये। वर्तमान में 10 रुपये से ऊपर की कोर्ट फीस को बैंक में जमा करना पड़ता है।

6--कर वंचक व्यापारी का या जिस व्यापार में अधिक करवंचना होती है, माहवारी सर्वेक्षण होना चाहिये। सहायक आयुक्त (शा) और उपायुक्त (शा) को भी कभी-कभी सरप्राइज सर्वे करना चाहिये।

7--धारा 15-ए में पेनाल्टी लगाने का प्राविधान अधिकतम 10 गुनी होनी चाहिये। दोषी होने पर करदाता पर अधिकतम पेनाल्टी लगानी चाहिये न कि कम से कम।

8--एस0 आई0 बी0 के वर्ष 1974-75 से 1979-80 तक के वादों में धारा 15-ए (1) (सी) केअन्तर्गत पेनाल्टी लगाने का 3 माह का अभियान चलाना चाहिये। इसी अभियान से विभाग को कम से कम 700 रुपये 800 करोड़ की आय होगी।

[श्री यदुनाथ---]

9---बिक्रीकर की पुरानी बकाया को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है : (1) करदाता जानबूझकर बकाया रुपया को किसी कारण से नहीं दे रहा है। (2) कार्यालयों से सही इन्दराज न होने के कारण गलत रिकवरी नि..ल गयी है और (3) भरी भरायी बकाया यदि बकाया, जो लगभग 1 अरब से ऊपर है, के लिये धारा 15-ए के अन्तर्गत पेनाल्टी लगाने का अभियान चलाया जावे तब निश्चित रूप से पहली और दूसरी श्रेणी का बकाया समाप्त हो जावेगा और भरी भरायी बकाया स्पष्ट मालूम हो जावेगा।

10---अंतिम निर्णय के बाद यदि करदाता एक निश्चित अवधि में रुपया जमा कर देता है तो ब्याज नहीं लगना चाहिये। इसी प्रकार जितनी अवधि तक करदाता का रुपया विभाग के पास रहता है उतने समय की ब्याज करदाता को मिलनी चाहिए। आज अपील के निर्णय के 6 माह के अन्दर करदाता को रिफंड नहीं कर देते है तब करदाता ब्याज के लिये हकदार होता है, अन्यथा नहीं।

11---कोई करदाता फार्म के आधार पर बिक्री करता है और माहवारी नक्शों में छूट के रेट के हिसाब से कर जमा करता है। कर निर्धारण के समय तक यदि किसी कारण से उसको फार्म नहीं मिल पाता, तब ऐसी स्थिति में करदाता से पूरा कर जमा करा लिया जावे। ब्याज जमा करने का प्राविधान नहीं होना चाहिये।

अंत में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो नियोजन के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, नियोजन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, किसी भी प्रदेश के विकास के लिये यह जरूरी होता है कि जो भी योजनायें बनायी जाती हैं वह सही ढंग से बने और जो पैसा उस योजना में रखा गया उसका व्यय सही ढंग से किया जाय। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और यह पहली सरकार है जिसने कृषि की तरफ ध्यान दिया है और योजना में इस तरीके से व्यवस्था की है कि मैं समझता हूं कि इस पंच वर्षीय योजना के खत्म होते होते उत्तर प्रदेश इस देश के अन्दर एक अग्रणी प्रदेश होगा। मान्यवर, हमारे विद्युत मंत्री, नियोजन मंत्री ने माननीय मुख्य मंत्री के परामर्श के अनुसार इस बजट का 35 परसेंट केवल विद्युत पर खर्च करने का निर्णय लिया है। और इस समय किसी भी प्रदेश के विकास के लिये विद्युत के ऊपर सबसे अधिक व्यय करना जरूरी है। चाहे सिंचाई हो चाहे उद्योग हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो हर चीज को बिजली चाहिये। किसान को भी बिजली चाहिये। सिंचाई के बारे में आपने देखा है इस बार सर्वाधिक पैसा सिंचाई के ऊपर खर्च किया जा रहा है। पिछले पंचवर्षीय योजनाओं पर सिंचाई के ऊपर इतना कम ध्यान दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना बहुत सोच विचार कर बनाई गई है और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में यह प्रदेश देश में अग्रणी प्रदेशों में होगा।

मान्यवर, भाई मोहन सिंह ने बजट का विरोध करते हुये यह कहा कि नियोजन मंत्री ने तदर्थ रूप से एक जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया है उन्हें उस पर बहुत एतराज है। मैं भाई मोहन सिंह और सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब बनारसी दास जी की सरकार थी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अस्थायी निजी सचिव ग्रेड दो को राज्य योजना आयोग में निजी सचिव ग्रेड प्रथम पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया था तो क्या एक जन सम्पर्क अधिकारी तदर्थ रुप से नियुक्त नहीं हो सकता है। अस्थायी निजी सचिव ग्रेड-2 भारत सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह का निजी सचिव फर्स्ट हो सकता है तो एक जन सम्पर्क अधिकारी तदर्थ रुप से नियुक्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रशासन का एक अस्थाई टंकक, अस्थाई वैयक्तिक सहायक ग्रेड 2 भारत सरकार के गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री का पी0ए0 और सहायक निजी सचिव तदर्थ रूप से हो सकता है तो जन सम्पर्क अधिकारी तदर्थ रुप से क्यों नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपनी बात यहां से उठाकर दिल्ली ले गये और उदाहरण देकर अपनी बात को जस्टीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे.....

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हुकम सिंह—

मैंने व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखा ही नहीं, आप सुन लें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

जो काम आप लोगों ने किया है उसे बताया जायेगा।

श्री हुकम सिंह—

मुझे कहने दीजिये। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे माननीय सदस्य उस व्यक्ति को जो सदन में नहीं है उसके बारे में आरोप लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

इसी पीठ से निर्णय दिया जा चुका है कि भूतपूर्व मंत्रियों और प्रधान मंत्री या उप प्रधान मंत्री जो रह चुके हैं उनका सन्दर्भ दिया जा सकता है।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी—

मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस सदन में कुछ लोगों द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है मंत्रियों और विधायकों के चरित्र हनन का। मैं आग्रह करूंगा कि वह जनता द्वारा इसलिये चुनकर आये है और यहां बैठे है कि वह यहां पर बैठकर अपने क्षेत्र की विकास की कुछ योजनायें रखें, कुछ सुझाव रखें। ऐसा मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा। अब मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय नियोजन मंत्री जी से अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे चुनाव क्षेत्र में इस बार जो गन्ना पंडित प्रतियोगिता होती है, उसमें हमारा जनपद जीता है। इसी तरह से गेहूं के क्षेत्र में हमारा जिला पिछले वर्ष पहला आया। हमारे चुनाव क्षेत्र में 18 चावल मिलें कार्य कर रही है और धान के मामले में भी हमारा प्रदेश सबसे अग्रणी है। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे चुनाव क्षेत्र के लिये ऐसी योजनायें बनाये क्योंकि जब उत्पादन में हमारा चुनाव क्षेत्र अग्रणी रहता है तो अगली योजनाओं के संबंध में भी उसका हक है कि उसको प्राथमिकता दी जाय।

इन शब्दों के साथ माननीय नियोजन मन्त्री जी ने जो बजट का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं तथा विरोधी पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं।

*श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे योजना मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इनके द्वारा पिछले 34 सालों से देश में योजना लागू हो रही है, लेकिन वह योजना केवल कोरे कागज पर ही लागू हुई है। इनके योजना के लागू

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुबेर भंडारी]

करने का ढंग पता नहीं किस तरह से है कि वह केवल कागज पर ही रह गयी। बदकिस्मती से ढाई साल के लिये हम आये थे। उस समय हमारे नियोजन मंत्री विरोधी दल में थे और इधर बैठते थे। हमारी योजनाओं से वे इतने खुश थे कि अगर उनकी उस समय यहां फोटो ले ली गयी होती, तो उससे पता चल जाता। लेकिन अब न मालूम मंत्री जी के ऊपर कौन सा भार लदा है कितने दिन रात घटते जा रहे हैं। लेकिन हमारी योजनाओं से वे बेहद खुश थे। लेकिन आपकी 32 साल की योजनाओं का क्या नतीजा हुआ? नेहरू जी के समय से ही विदेशों से धन ले आये लेकिन साफ जाहिर है कि योजनाओं में आप फेल हुये हैं। आपके देश में भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ रही है। पता नहीं आपकी योजनायें कहां जा रही हैं। आज सारे लोग विदेशों को भाग रहे हैं। आपके प्रदेशों में पहाड़ है, धरातल है, गंगा और यमुना का दोआबा है लेकिन फिर भी लोग विदेशों को भाग रहे हैं। पता नहीं कैसे योजनाओं को लागू कर रहे हैं। आपके देश में पहाड़ है जहां जड़ी-बूटियां होती हैं और उनसे दवा बनायी जा सकती है। लेकिन हमारे माननीय योजना मंत्री जी तो यूनानी दवा पसंद करते है। हालांकि वे पहाड़ के इलाके के है। यदि चाहते तो पहाड़ में इन दवाओं का कारखाना बन गया होता। लेकिन वह तो यूनानी दवा खाते है। कहां से लाभ होगा।

मान्यवर, हमारे देवरिया जिले में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वहां 14 चीनी मिलें थी। लेकिन आपके माध्यम से इस सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि देवरिया जिले में आपके समय में जितनी योजनायें लागू हुयी है, उनमें एक भी कारखाना वहां नहीं बना। पता नहीं योजनायें कहां चली गयीं। पहले 14 चीनी मिलें थीं। वहां पर गन्ने का गूदड़ पैदा होता है, आपके अधिकारियों के दिमाग योजना बनाते समय पता नहीं कहां रहता है। देवरिया जिले में जहां गूदड़ इतना ज्यादा पैदा होता है, अगर पेपर मिल बनायी गयी होती तो काफी लाभ होता प्रदेश को। लेकिन माननीय मंत्री जी की निगाह पूर्वांचल की ओर तो है ही नहीं। बस्ती जिले से लेकर देवरिया तक कोई योजना नहीं लागू की गयी। जहां बाढ़ आ रही है, वहां आ रही है। जहां पानी का अभाव है, वहां अब भी अभाव है। पानी वहां नहीं मिल रहा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी पूर्वांचल के विकास के लिये वहां योजनायें लागू करें। ऐसा न लागू करें कि केवल पेपर में ही रह जाय। मंत्री जी कृपा करके देखें कि पूर्वांचल में कितना गरीबी है। गरीबी के कारण लोग बाहर चले जा रहे हैं मान्यवर, कोई कलकत्ता जा रहा है तो कोई बम्बई जा रहा है, वहां जा रहे हैं जहां सोने के लिये नीचे केवल धरती है और ऊपर केवल आसमान है। तो मैं यह कह रहा था कि योजना लागू करते समय मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे केवल अधिकारियों के ऊपर ही न छोड़ें, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने जनप्रतिनिधियों को भी मौका दें। जन प्रतिनिधियों में आप खाली कांग्रेसियों को ही समझते है, खाली कांग्रेस के ही लोग जन प्रतिनिधि नहीं है, आप चाहें तो हमें भी उसमें सम्मिलित कर दें। हर जगह जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में योजना के विषय में आपकी जो फौज है योजना लागू करने वाली, उनको वे सुझाव दें और उनके सुझावों को माना जाय तभी आप सफल होंगे नहीं तो आज तक आप विकास नहीं कर पाये।

श्री रघुबीर सिंह यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने नियोजन के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारा देश सदियों की गुलामी के बाद जब आजाद हुआ तो हमारे परम आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने हमारे देश में नियोजन तथा नियोजित विकास शुरू किया और उसी के कारण आज हमारा देश जितने भी विकासशील देश हैं उनमें सबसे अग्रणी हैं और जितने भी विकसित देश हैं, उनकी श्रेणी में वह आ चुका है।

मान्यवर, आप देखें कि चन्द दिनों की बात है अन्न के मामले में हमारा देश विदेशों से अन्न मंगाता था। हम वैज्ञानिकों के बल पर और नियोजन के बल पर ही हम आत्म-निर्भर

हुए है। आज हमारे देश में इतना अन्न है कि हम अपनी जरूरत पूरी कर उसे विदेशों को भी दे सकते हैं।

हमारे देश ने जो इतनी तरक्की की है, विज्ञान के बल पर की है। हमने आज अन्न उत्पादन में तरक्की की है, खेती में तरक्की की है, बिजली में तरक्की की है, यहा नहीं आप देखें कि हमारे वैज्ञानिकों ने अभी अणु-विस्फोट किया। हमारे वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट को आकाश में छोड़ा। आज देश ही क्या सारा संसार चकित है कि कैसे इन लोगों ने अणु विस्फोट किया तथा आर्यभट्ट को छोड़ा। आज संसार में हमारा एक स्थान बन गया है। यह सारी प्रगति नियोजन के आधार पर हुई है पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने हमारे देश को नियोजन के माध्यम से यह रोशनी दी है, आप देखें सारे संसार को तरफ देखें जो देश आजाद हुआ है उनमें हम आज इतने विकसित हो गये हैं इतने कम समय में, जिस विकास में सदियां लग जाती है। आज हमने केवल 30 वर्ष में हा इतना विकास कर लिया है। आज हमने इतने अल्प समय में जितना विकास किया है इतने विकास के लिये 200 साल लगे रूस को और अमेरिका को। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा देश इस नियोजन के बल पर ही कामयाब हुआ है और आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है, यदि अभी कि हीं चीजों में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं तो हम समझते है कि जल्दी ही वह आत्मनिर्भर हो जायेगा। हम योजनाबद्ध तरीके से आत्म निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, आज छठी पंचवर्षीय योजना कार्यान्वित होने जा रही है। ऐसी योजना जो हमारी आजादी को ग्रामीण क्षेत्रों तक, झोपड़ियों तक पहुंचायेगी और हमें अधिक उत्पादन कर आत्म-निर्भर करेगी। हर नागरिक और हर गरीब आदमी झोपड़ियों में रहने वाला महसूस करने लगेगा कि हमारा देश आजाद हो गया है।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि हमारा जनपद मैनपुरी जो बहुत ही पिछड़ा हुआ जनपद है, जिसमें 30 प्रतिशत ऊसर ही है। उस 30 प्रतिशत ऊसर में, जहां हमारे देश ने इतनी तरक्की की है और हमारे देश की जनता इतनी

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

शिक्षित हो गयी गांव-गांव स्कूल और कालेज खुल गये है योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में ऊसर जमीन तो है और दूसरी बात यह कि हमारे यहां कोई कल-कारखाने नहीं है। जिसके कारण हमारे यहां का शिक्षित नौजवान तबका बेकार घूमता है और वह डकैती डालना और किड-नैप करना शुरु कर देता है। हमारा जिला क्रिमिनल है, इसका विशेष कारण यही है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री से भी निवेदन किया कि हमारे यहां के हालात को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि वहां भी योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाये और वहां पर औद्योगी-करण किया जाए। जब तक हमारे यहां औद्योगीकरण नहीं किया जायेगा तब तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे क्योंकि हमारे यहां इतनी खेती भी नहीं है और कोई कल-कारखाने भी नहीं है, जहां हमारे यहां का पढ़ा-लिखा तबका खपाया जा सके। इसलिए हमारे यहां छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उद्योग लगाया जाना चाहिए ताकि हमारे जनपद का भी विकास हो सके और वहां के निवासी भी आजादी को महसूस कर सकें। माननीय नियोजन मन्त्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि इस बार सम्पूर्ण प्रदेश की योजना बनाते समय आप हमारे जनपद का भी जरूर ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का सम-र्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं अपने इस अंतिम दौर में केवल सुझाव देना चाहता हूं। अब तक तो मान्यवर यही होता रहा है कि देश और प्रदेश का विकास गांवों के बल पर होता रहा और अब तक जो भी योजनायें बनी उनसे गांवों के बल पर ही शहरों का

[श्री विजय सिंह राना]—

विकास हुआ, है परन्तु अब स्थिति कुछ और हो गयी है । मान्यवर, जब इस प्रदेश से जमींदारी प्रथा खत्म हुई, तभी साथ ही साथ बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा किया गया होता तो यह देश की सारी शक्ति एक तरफ न हो गयी होती जो आज हो रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सारी शक्ति पहुंच गयी है, वह जो चाहते है, करते हैं। जबकि यह सारी शक्ति देश और प्रदेश

(इस समय 3 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

के सरकार के हाथों में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से देश और प्रदेश के पढ़े-लिखे नौजवानों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि देश में खुशहाली लाने के लिए बड़े-बड़े उद्योगों का जो टाटा, बिड़ला और डालमिया आदि के पास है, उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाय और जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक विकास सम्भव नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं माननीय नियोजन मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां जो खासतौर से कृषि क्षेत्र है, इस संबंध में आपका स्वाइल कन्जरवेशन डिपार्टमेन्ट क्या काम कर रहा है, उससे आप मालूम कर सकते है कि कहां-कहां की भूमि खाली पड़ी है, जहां पर कोई फसल नहीं बोयी जाती है। इसको मालूम कर एक-एक इंच भूमि को बोये जाने की योजना आप बनायें, तभी विकास सम्भव हो सकेगा दूसरे यह कि जहां पर जो चीज ज्यादा पैदा होती है, उसकी खपत का रास्ता बनाया जाय।

हमारे यहां आगरे में अमरूद बहुत पैदा होता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है, जहां पर अभी तक कोई भी व्यापारिक फसलें पैदा नहीं होतीं। और अमरूद जो पैदा भी होता है, उसका कोई प्रयोग नहीं है। फसल के जमाने में वह हमारे यहां 4–5 आने किलो के हिसाब से बिकता है तो आपको चाहिए कि वहां पर अमरूद को रस के रुप में बनाने वाला कोई कारखाना लगवाएं, ताकि इसका सही उपयोग हो, और आमदनी भी बढ़े। आपके स्वाइल कन्जरवेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस बात की जानकारी करे कि कौन सी फसल, किस चीज की कहां पर अच्छी हो सकती है, ताकि आप वहां पर उस चीज का खूब उत्पादन करें और कारखाने आदि स्थापित कर उन चीजों का सही उपयोग करें ताकि इस तरह से देश और प्रदेश का विकास हो और आपकी एक-एक इंच जमीन का सर्वेक्षण स्वाइल कन्जरवेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना चाहिए ताकि आपको मालूम हो सके कि कितनी भूमि पर पैदावारी हो रही है और कितनी भूमि खाली पड़ी है। आज करोड़ों एकड़ भूमि ऐसी पड़ी है जिस पर घास तक नहीं उगती, फसल को क्या कहें। एक बात कहना चाहता हूं कि आप का स्वायल कंजरवेशन डिपार्टमेंट ने उस जमीन के लिए क्या किया। तमाम जमीन बेकार पड़ी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या प्रयास किया है। आवश्यकता महसूस करें कि इस तरह की एक-एक इंच जमीन हल की नोक के नीचे आनी चाहिए।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं। नियोजन विभाग है जिसमें आज तक विधायकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केन्द्र के लोग होते है, अधिकारी होते हैं। कम से कम इस प्रदेश के नियोजन में क्षेत्र के आधार पर 5–6 जो हैं, उन में एक-एक विधायक का प्रतिनिधित्व, दोनों तरफ से, जरूर रखें ताकि योजनाओं के बारे में क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में सलाह-मशविरा कर सक। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां गंगा यमुना का दोआब है। मेरठ चले जायें, वहां की जो जमीन है, सारे हिन्दुस्तान को खाना खिला सकती है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर की जमीन है, वहां बड़ी-बड़ी बस्तियां बन रही हैं। आप एक दिन सिर पकड़ कर रोयेंगे। जहां खेती होनी चाहिए वहां उद्योग और शहरी बस्तियां बन रही है। इस चीज को आप देखें। इस तरह के विकास, उद्योग-धंधे, बस्तियां वहां बनानी चाहिए जहां कृषि की स्थिति दयनीय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कम से कम शहरों की बढ़ती

हुई आबादी को उन हिस्सों में बढ़ने से रोकें जो खेती के हिसाब से सिरमौर है। यहां गंगा-यमुना का दोआब है लेकिन दुःख होता है कि लाखों क्यूसेक पानी बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा है।

आज जरूरत इस बात की है कि इस देश को सूखा और बाढ़ से बचाने के लिए उसको रोकें। आवश्यकता है कि ऐसा बांध बनाया जाय जहां बरसात का पानी इकट्ठा किया जाये और बाढ़ से सुरक्षा हो सके तथा सूखे में सिंचाई हो सके। लोग कहते है कि जिस देश में गंगा और यमुना जैसी नदियां हों वह देश बाढ़ और सूखे की समस्या का सामना करता हो, इससे ज्यादा दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। 32 साल आपने शासन किया और कुछ नहीं कर सके। जनता और लोकदल के शासन में, आप गये हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार योजनाओं का मुख गांवों की ओर मोड़ा गया। श्रम के बदले खाद्यान्न, अन्त्योदय योजना से एक ऐसा असर पैदा हो गया था कि ऐसा मालूम होता था कि इतने दिनों तक जो ग्रामीण जनता परावलंबी रही उसे एक रास्ता मिल जायेगा। लेकिन आपने उन सभी योजनाओं को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप कहेंगे कि हमने श्रम के बदले खाद्यान्न योजनाओं को बनाया है, लेकिन लोकदल की सरकार में जो सड़कें बन गयी है उनके अलावा इस प्रदेश के अन्दर एक किलो मीटर सड़क नहीं बनी। लोक दल सरकार की योजना थी कि नहरों के किनारे की सारी पटरियां पक्की बनायी जायें। मैं निवेदन करुंगा कि इन योजनाओं पर विचार करें। नहरों की पटरियां पक्की होना आवश्यक है। गांवों के अन्दर जो अनाज पैदा होता है वह केवल यातायात के साधनों के अभाव में बेकार जाता है। आज स्थिति यह है कि गांवों के अन्दर जो लोग गल्ला खरीदते है वह इतना कमा लेते है जितना 50 बीघा जमीन का काश्तकार भी नहीं कमा सकता। कारण केवल यह है कि मण्डी से गांव का सीधा सम्पर्क नहीं है। कम से कम गांव के किसान जो है, उसको जो पैदावार होती है, उसके लिए वह मण्डी से सीधे संबंध स्थापित कर सके। मैं यह कहूंगा कि आप कम से कम यह प्रयास करें कि गांव के विकास की जो योजनायें जनता पार्टी की सरकार ने और लोकदल ने चालू की थीं, उन्हें रद्दी की टोकरी में न डाला जाय और उन्हें बढ़ाया तो जाय लेकिन कम न किया जाय। यदि किसानों का हित न हुआ तो आज यह किसान जनता इस देश में विद्रोही बन जायगी। अब वह इस स्थिति में नहीं है कि आप उसको झूठे प्रलोभनों से फुसला सकें, बहला सकें। अब वहां प्रबुद्ध जनता पैदा होने लगी है जो आपकी हर गतिविधि को, हर दृष्टि को देख सकती है। गांव की जनता के हित के लिए आप उन योजनाओं को लागू करें, विस्तार करें ताकि जो परिकल्पना किसानों के हित की हमने की थी, वह पूरी हो। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन सब बातों के लिए जब आश्वस्त हो जायेंगे और हम समझेंगे कि आपने हमारे सुझावों को मान लिया है तो हम सोचेंगे और अभी हम यह समझते है कि आपकी यह स्थिति नहीं है। आप इन्दिरा गांधी के गीत गाते हुए, उनको पाठशाला में दीप जलाते रहिए किन्तु उन्हें ठोस धरती पर उतार लाइये इन्दिरा गांधी से आपकी मुहब्बत पर मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है पर मेरा विश्वास है कि—

बीमारें मोहब्बत को होश में लाये भी,
कह दो मसीहा से, कुछ करके दिखाये भी।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, नियोजन विभाग और संस्थागत वित्त पर मांग मैंने पेश की थी। मैं समझता था कि नियोजन पर कुछ बातें आयेंगी लेकिन सैद्धान्तिक बातें आकर कुछ अनावश्यक बातें आईं। जब 1980 में यह काम हमको सौंपा गया और 1980 से पहले जो 3 साल गुजरे उनमें जो लोग शासन में थे, वह हमारे लिये कोई मार्ग निर्देशन नहीं छोड़ गये। अभी माननीय सदस्य जब कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारा अनुकरण करें तो उनका अनुकरण करने से, जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया उसके तीन परिणाम हमारे

[श्री ब्रह्म दत्त]

सामने हैं, पहला पार्टी टूट गई, दूसरा सरकार टूट गई और यदि सरकार रहती तो देश टूट जाता इसलिए कोई अनुकरण करने की बात इन्होंने नहीं छोड़ी । इनके शासन काल में एक रोलिंग प्लान नाम की चीज जो आलमारी में थी, मिली । 1980 में जब हम आये, इसी दौरान हमने एक योजना बनायी और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मुख्य मंत्री जी ने, जो उस योजना आयोग के अध्यक्ष है, समय पर योजना बनी । अभी तक हमारे देश को पिछड़े होने के कारण कुछ विशेष महत्व नहीं मिलता था, उस फार्मूले में भी हम तबदीली लाने में सफल हुए । सेन्ट्रल असिस्टेन्स भी ज्यादा मिली । क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की बात कही गयी है तो योजना के 3 उद्देश्य हैं । पहला उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना, प्रति यक्ति आय बढ़ाना और अगर माननीय राणा जी के ही शब्दों में कहें तो प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाना जिसमें कम पूंजी लगे और ज्यादा से ज्यादा आदमी लगें । योजना का आधार यह है । आप लोकदल की फिलासफी जरूर पढ़ लीजिए और यदि आप चौधरी चरण सिंह का पत्र लाकर मुझे दे दें कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो मैं उस पर विचार करूंगा । मैं उस पर विचार करूंगा । उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में आप का लोकदल..... (व्यवधान) है । लोकदल की फिलासफी मैं आपसे ज्यादा बता सकता हूं ।

क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए हमने प्रयत्न किया है । बुन्देलखंड विकास परिषद् की बात हमारे सामने रखी गयी थी । उसका निर्णय हमने लिया है । पूर्वांचल की बात कहना चाहता हूं क्योंकि पूर्वांचल में हमारे बहुत ज्यादा लोग है । देवरिया के हमारे सदस्य बैठे हैं । पूर्वांचल खाली पूर्वांचल नहीं है । पूर्वान्चल, पूर्वान्चल, है । मिर्जापुर भी उसमें है । यू0 पी0 का मिर्जापुर जिला है, जैसा मैंने कल भी कहा था, उसको हम जैसा जर्मनी रूस है, उस तरह का बनाने जा रहे हैं । सारी प्रदेश को जितनी भारी शक्ति है उसका केन्द्रीयकरण वहां होने जा रहा है। नेपाल से आने वाली नदियां बाढ़ लाती हैं, जैसी कि कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ी अच्छी बात कही, उन पर बांध बना कर सिंचाई, बिजली की बात हम लोग कर रहे हैं ।

हम उम्मीद करते है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश की क्षेत्रीय विषमता दूर होगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और इस प्रदेश की विकास की भूमिका और बढ़ेगी ।

इन शब्दों के साथ जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये है मैं उन सभी सुझावों पर विचार करूंगा । एक बात माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जरा स्तर से ऊपर जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,97 74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

एक सदस्य—

कटौती का प्रस्ताव नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष—

कटौती का प्रस्ताव पेश ही नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,59,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 97--नियोजन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सख्या 97--नियोजन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग

खेल कूद मंत्री (श्री विद्या भूषण)---

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि (की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त) 1,77,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एव पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,77,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,29,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,29,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,85,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,86,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,86,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 32—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,28,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 73—वित्त विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—वित्त विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,91,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—वित्त विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि

की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,91,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग- पूंजीगत परिव्यय

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 127- वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 127--वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,92,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 127--वित्त विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,92,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करन हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय। इस सदन के माननीय सदस्यों को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

*श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इस बात का हमें हर्ष है कि बहुत दिनों की गड़बड़ी के बाद पहली बार समय से यह विनियोग बिल हमारे सामने आया है। लेकिन मैं दो मिनट में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसमें सबसे बड़ी धनराशि मंत्री जी ने निर्माण कार्यों के लिए ली है, इस लिए आप निर्माण कार्यों पर इतना प्रतिबन्ध लगा दें कि उन पर निर्धारित पैसा समय पर खर्च हो जाए, यह नहीं कि वह 31 मार्च तक वहां पड़ा रहे। निर्माण कार्यों में सबसे बड़ा घोटाला है और खासकर आवास विकास परिषद् के निर्माण कार्यों में है। उनका निर्माण इतने घटिया और खराब किस्म का है कि इनके निर्मित भवनों में कोई रहना नहीं चाहता और न इनके मकानों को कोई खरीदना ही चाहता है। अगर आप सिटकिनी को बन्द करें तो लोहा ही उखड़कर हाथ में आ जाता है। तो जो अरबों रुपया आप ले रहे हैं और उनको दे रहे है, उन पर आप कोई नियंत्रण अवश्य रखें। अतः उस पर नियन्त्रण रखने के लिए आप सदन की कोई कमेटी बना दें, जो उन पर अपना समुचित नियंत्रण रख सके।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने पिछले साल के मुकाबले में इस साल 5 अरब 6 करोड़ रुपये से अधिक का यह एप्रोप्रियेशन बिल सदन में प्रस्तुत किया है। यह खुशी की बात है कि सदन के माननीय सदस्यों ने और आप लोगों ने बड़ा प्रयास करके बहुत मुद्दत के बाद यह बिल आज 31 मार्च के अन्दर ही पास हो रहा है। मैं इस संबंध में दो एक बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हमने इस बिल को आज 31 मार्च के पहले पास कर दिया, तो जिन कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए यह एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल है वह सब अप्रैल-अप्रैल के अन्दर डिस्ट्रिक्ट लेवेल तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपका गैप है, डिफिसिट-गैप है, उसको मेहरबानी करके, जो जनता ने अंदाजा लगाया है कि फर्दर टैक्सेशन नहीं होगा। पहले आपको उस गैप को पूरा करना चाहिए। आपकी जो वसूलयाबी बाकी है, खास कर बड़े बड़े कैपिटलिस्टों और दूसरे क्षेत्रों में उनसे आप रूपया वसूल करके अपनी व्यवस्था पूरी करें। बहुत ही अच्छी परम्परा होगी।

साथ ही इस बात की भी मेहरबानी करें कि जब यह बजट समय से पास हो गया है तो सप्लीमेंटरी बजट भी समय पर अर्थात् नवम्बर तक आ जाना चाहिए और यह न हो कि 2–4 महीनों के बाद सप्लीमेंटरी बजट पेश करें। और डेवलपमेंट के जो सारे काम हैं उनको पूरा कराने की ओर आप विशेष ध्यान दें। इसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स है उनमें जो रा मैटीरियल की आवश्यकता हो उसके लिए ऐश्योर्ड सप्लाई होने का प्रबन्ध होना चाहिए चाहे वह लोहा हो, सीमेंट हो, ईटों की सप्लाई हो आप इन सबको इन टाइम सप्लाई करने की व्यवस्था करायें ताकि एस्टीमेटस को रिवाइज कराने की आवश्यकता न पड़े। बहुत मुद्दत के बाद आप लोगों ने सराहनीय कार्य किया है कि 31 मार्च को बजट पास करा लिया है। यह काबिले तारीफ काम हुआ है लेकिन मैं चाहूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट भी इन टाइम आये ताकि यह सदन उसकी भी स्वीकृति दे और देख सके कि जो पैसा आपको दिया है उसका सही उपयोग हुआ है या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए है। चूंकि यह बजट समय से बन गया है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि समय से हर विकास कार्य की स्वीकृति सम्बन्धित विभाग को भेज दी जायेंगी। फाइनेंस प्लानिंग ही नहीं मैटीरियल और मैनप्लानिंग भी हम कर रहे है ताकि ये दोनों चीजें उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मानिटरिंग कमेटी भी बनायी है जो हर विभाग के विकास कार्य की मानिटरिंग कर रही है। लेकिन एक बात भाई रियासत साहब को बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आकस्मिक आ जाती है जैसे वर्ल्ड बैंक ने हमें मदद दे दी लेकिन उसको खर्च करने के लिए हमें आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी।

मैं अपने माननीय सदस्यों को, जो पूर्वांचल के हैं, सूचनार्थ एक बात बता दूं। मिर्जापुर जिले में हमारे सिंगरोली, आनपारा पावर हाउसेज के लिए या हमारे जो कोल माइन्स है, रिहन्ड डाम है, उनके लिए एक प्लान्ड वे में विकास करना होगा जैसे नेशनल हाईवे बनाना होगा, अस्पताल खोलने होंगे, रेलवे लाइन बनानी होगी, इसलिये हमने निर्णय लिया है कि उसके अलग से विकास के लिए एक विकास प्राधिकरण गठित करेंगे। चूंकि वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है इसलिए इस विकास प्राधिकरण को वे ही अधिकार देंगे। तो ये निर्णय लिए गये हैं। ऐसे अच्छे कामों के लिए भी आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं करेंगे।

अन्त में मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। चूंकि यह बजट समय पर पास होगा इस लिए हम यह व्यवस्था करेंगे कि समय पर व्यय हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981

31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1981 कहलाएगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1981-82 के लिए 32,54,60, 86,000 रुपए का निकाला जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1981) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 32,54,60,86,000 रुपए (केवल बत्तीस अरब, चौव्वन करोड़, साठ लाख छियासी हजार रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनरायियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची
(धाराएं 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित*	योग
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	2,43,67,000	3,59,000	2,47,26,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	17,79,000	17,79,000
3	मंत्रि परिषद	68,82,000	..	68,82,000
4	न्याय विभाग	10,57,83,000	2,04,36,000	12,62,19,000
5	निर्वाचन विभाग	1,51,63,000	..	1,51,63,000
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर)	8,67,49,000	40,000	8,67,89,000
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	46,49,79,000	35,000	46,50,14,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	1,92,33,000	4,000	1,92,37,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	46,64,08,000	10,000	46,64,18,000
10	आबकारी विभाग	1,79,27,000	7,000	1,79,34,000
11	परिवहन विभाग	16,71,19,000	10,000	16,71,29,000
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	38,73,000	..	38,73,000
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	17,77,75,000	2,000	17,77,77,000
*14	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	38,13,63,000	38,13,63,000
*15	ब्याज का भुगतान	..	1,91,27,09,000	1,91,27,09,000
*16	लोक सेवा आयोग	..	68,29,000	68,29,000
17	सचिवालय	7,98,98,000	4,000	7,99,02,000
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	42,40,000	..	42,40,000
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	4,65,38,000	..	4,65,38,000
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	72,39,000	5,000	72,44,000
21	संस्थागत वित्त विभाग	12,95,000	2,000	12,97,000
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	20,99,000	..	20,99,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची –(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	13,68,53,000	15,000	13,68,68,000
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	3,10,96,000	2,000	3,10,98,000
25	गृह विभाग (पुलिस)	1,20,97,09,000	16,000	1,20,97,25,000
26	गृह विभाग (कारागार)	8,98,01,000	2,000	8,98,03,000
27	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	8,19,12,000	..	8,19,12,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	5,27,20,000	44,000	5,27,64,000
29	सतर्कता विभाग	1,10,41,000	1,000	1,10,42,000
30	नागरिक सुरक्षा विभाग	6,12,14,000	2,000	6,12,16,000
31	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	33,67,30,000	11,35,000	33,78,65,000
32	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	7,95,01,000	..	7,95,01,000
33	शिक्षा विभाग	3,37,64,31,000	8,000	3,37,64,39,000
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	9,20,20,000	2,000	9,20,22,000
35	स्पोर्ट्स विभाग	1,21,77,000	..	1,21,77,000
36	सस्कृतिक कार्य विभाग	72,27,000	2,000	72,29,000
37	विज्ञान और प्राद्योग विभाग	73,29,000	..	73,29,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	85,79,09,000	11,000	85,79,20,000
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	21,94,63,000	4,000	21,94,67,000
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	27,04,82,000	5,000	27,04,87,000
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	3,50,44,000	7,66,000	3,58,10,000
42	आवास एवं नगर भूमि विभाग	3,83,05,000	..	3,83,05,000
43	सूचना विभाग	2,28,25,000	2,000	2,28,27,000
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	6,25,18,000	3,000	6,25,21,000
45	श्रम विभाग (सेवायोजन)	6,60,39,000	20,000	6,60,59,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	57,10,18,000	3,000	57,10,21,000
47	सहायता और पुनर्वासन विभाग	32,04,000	5,000	32,09,000

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
48	राजस्व विभाग (देवी आपदाओं के कारण सहायता)	10,80,00,000	10,80,01,000	21,60,01,000
49	सहकारिता विभाग	5,87,55,000	2,000	5,87,57,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	43,40,57,000	20,000	43,40,77,000
51	नियोजन विभाग	3,91,92,000	..	3,91,92,000
52	कृषि विभाग (कृषि)	33,25,83,000	43,000	33,26,26,000
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	5,11,38,000	2,64,000	5,14,02,000
54	गन्ना विकास विभाग	5,38,83,000	2,000	5,38,85,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	52,91,73,000	8,000	52,91,81,000
56	पंचायती राज विभाग	8,24,78,000	21,000	8,24,99,000
57	क्षत्रीय विकास विभाग	70,52,30,000	..	70,52,30,000
58	खाद्य तथा रसद विभाग	6,94,34,000	90,000	6,95,24,000
59	पशुधन विभाग	11,88,53,000	4,000	11,88,57,000
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	1,14,10,000	2,000	1,14,12,000
61	मत्स्य विभाग	1,34,74,000	2,000	1,34,76,000
62	वन विभाग	27,40,15,000	14,000	27,40,29,000
63	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2,84,67,000	27,000	2,84,94,000
64	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	11,22,03 000	9,42,84,000	20,64,87,000
65	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	21,81,48,000	..	21,81,48,000
66	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	1,11,30,000	5,000	1,11,35,000
67	विद्युत् विभाग	27,46,000	1,000	27,47,000
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा)	1,27,92,67,000	3,000	1,27,92,70,000
69	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	51,40,42,000	10,000	51,40,52,000
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	52,54,75,000	10,000	52,54,85,000
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	1,37,51,000	20,000	1,37,71,000
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	28,54,32,000	5,000	28,54,37,000

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित*	योग
		रु0	रु0	रु0
73	वित्त विभाग	75,00,00,000	..	75,00,00,000
74	पर्यटन विभाग	50,77,000	..	50,77,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	17,17,65,000	1,00,000	17,18,65,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन पर पूंजीगत परिव्यय)	8,77,65,000	3,25,000	8,80,90,000
77	आबकारी विभाग पूंजीगत परिव्यय	3,00,000	..	3,00,000
78	चिकित्सा विभाग–पूंजीगत परिव्यय	3,35,02,000	..	3,35,02,000
79	स्वायत्त शासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	3,000	..	3,000
81	गृह विभाग (पुलिस)–पूंजीगत परिव्यय	32,43,000	..	32,43,000
82	गृह विभाग (कारागार) पूंजीगत परिव्यय	40,75,000	..	40 75,000
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	8,31,33,000	50,000	8,31,83,000
84	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय	10,90,000	50,000	11,40,000
85	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय	60,00,000	..	60,00,000
86	सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय	11,55,81,000	..	11,55,81,000
87	पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय	41,96,38,000	..	41,96,38,000
88	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय	23,39,84,000	5,00,000	23,44,84,000
89	सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय	50,00,000	..	50,00,000
90	पंचायती राज विभाग–पूंजीगत परिव्यय	86,000	..	86,000

विधान सभा

अनुसूची–(क्रमशः)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित*	योग
		रु0	रु0	रु0
91	संस्थागत वित्त विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	..	1,00,000
92	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय	15,32,00,000	..	15,32,00,000
93	राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर)	12,07,000	..	12,07,000
94	कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय	47,50,62,000	51,000	47,51,13,000
95	ग्राम्य विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय	71,80,000	..	71,80,000
96	क्षेत्रीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय	50,00,000	..	50,00,000
97	नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	10,000	..	10,000
98	खाद्य तथा रसद विभाग–पूंजीगत परिव्यय	2,30,40,00,000	..	2,30,40,00,000
99	पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	16,30,000	..	16,30,000
100	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)–पूंजीगत परिव्यय	76,00,000	..	76,00,000
101	मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,00,000	..	1,00,000
102	वन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	12,45,000	1,000	12,46,000
103	विद्युत् विभाग–पूंजीगत परिव्यय	10,00,000	..	10,00,000
104	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्य)	2,67,32,82,000	2,000	2,67,32,84,000
105	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	40,05,00,000	..	40,05,00,000
106	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	70,71,35,000	50,000	70,71,85,000
107	परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,02,000	..	1,02,000
108	पर्यटन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	8,00,000	..	8,00,000
*109	राज्य सरकार द्वारा लिए गये ऋण	..	3,02,35,78,000	3,02,35,78,000
110	शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम	69,00,000	..	69,00,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

अनुसूची--(कमशः)

1		2		3
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान/ क्रम-सं0	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित*	योग
111	प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम ।	5,00,000	..	5,00,000
112	स्वायत्त शासन विभाग –ऋण और अग्रिम	10,62,98,000	..	10,62,98,000
113	आवास विभाग–ऋण और अग्रिम	20,20,00,000	..	20,20,00,000
114	राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम	1,44,88,000	..	1,44,88,000
115	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग ऋण और अग्रिम	24,75,000	..	24,75,000
116	उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम	10,40,38,000	..	10,40,38,000
117	पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम	6,78,91,000	..	6,78,91,000
118	वन विभाग–ऋण और अग्रिम	77,000	..	77,000
119	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग–ऋण और अग्रिम	1,50,000	..	1,50,000
120	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम	4,00,01,000	..	4,00,01,000
121	सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम ।	2,16,51,000	..	2,16,51,000
122	कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम	2,50,01,000	..	2,50,01,000
123	क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम	4,50,01,000	..	4,50,01,000
124	पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम	25,00,000	..	25,00,000
125	विद्युत् विभाग–ऋण और अग्रिम	2,35,74,01,000	..	2,35,74,01,000
127	वित्त विभाग–ऋण और अग्रिम	3,19,00,000	..	3,19,00,000
128	पर्यटन विभाग–ऋण और अग्रिम	27,61,000	..	27,61,000
	योग	26,99,28,99,000	5,55,31,87,000	32,54,60,86,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना सुन लें ।

कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31 मार्च, 1981 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के दिनांक 1 अप्रैल, और 4 अप्रैल, 1981 के उपवेशनों में निम्नलिखित संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कार्य हो :—

1 अप्रैल, 1981

1—अपराह्न 4 बजे तक—असरकारी कार्य ।

2—अपराह्न 4 बजे से—जिला जालौन में हाल ही में घटित कुछ हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा (एक घण्टा) ।

3—अपराह्न 5 बजे से—इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार एवं उसका पारण। (दो घंटा)।

4 अप्रैल, 1981

1—उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्त) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण (आधा घंटा) ।

2—सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण (आधा घंटा) ।

3—अपराह्न 5 बजे तक—असरकारी कार्य ।

4—अपराह्न 5 बजे से—उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की औषधियों के घपला पकड़े जाने और दवाओं के नाम पर अप्रमाणिक पदार्थ अस्पतालों में दिए जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटा की चर्चा ।

शेष कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रूप में रहेगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसको सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(समय 4 बजकर 14 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुई है जिनमें एक सूचना सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव, तथा खैरुल बशर की है स्वीकृत हुई है और वह दिनांक 30 मार्च 1981 को देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज साण्डी, जनपद हरदोई के प्रधानाचार्य की सत्ता पक्ष के विधायक की साजिश से हुई हत्या के सम्बन्ध में है ।

शेष तीनों सूचनाएं अस्वीकृत हुई है ।

मिर्जापुर जिले के रिहन्द बांध में हुई नाव दुर्घटना में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

दिनांक 19–3–81 को करीब 6–15 बजे सायंकाल श्री मनजीत पुत्र चतुर्गुन केवट, निवासी मिटहिनी, थाना पिपरी जिला मिर्जापुर ने थाना शक्तिनगर में सूचना लिखाई कि उसी तिथि को करीब 4 बजे सायंकाल कोटा को ओर से ठेके की नाव लगभग 40 व्यक्तियों को लेकर बीजपुर को रवाना हुई। नाव पर ठेकेदार श्री अयोध्या प्रसाद वर्मा और मल्लाह भी थे। नाव रिहन्द जलाशय पार करते समय जब कोटा से करीब 2 कि0मी0 गई कि एकाएक आकाश में बादल आये और तूफानी हवा तेज गति से चलने लगी। जलाशय में बड़ी-बड़ी और ऊंची-ऊंची लहरें उठने लगीं जिससे नाव में पानी भर गया और नाव डूब गयी।

स्थानीय पुलिस तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की सहायता से 14 व्यक्ति जीवित निकाले गये जिनकी सूची संलग्न है। निरन्तर प्रयास के पश्चात दिनांक 23–3–81 तक 37 लाशें प्राप्त की गयीं इसमें से 36 लाशें पोस्टमार्टम के लिए रवाना की गयीं। इन लाशों में ठेकेदार और मल्लाह की भी लाश थी, जिनके विरुद्ध अभियोग धारा 280/282/304-ए आई0पी0सी0 में पंजीकृत हुआ। ऐसी स्थिति में जबकि दोनों व्यक्ति स्वयं पानी में डूब गये, इससे विवेचना का परिणाम स्पष्ट हो गया कि मुकदमें में उन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजने का प्रश्न नहीं है। एक व्यक्ति की लाश जो पांचवें दिन मिली वह बहुत ही विकृत हो गयी थी और कई भागों में हो गयी थी, इन परिस्थितियों में उस लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। शेष सभी 36 लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया। विच्छेदन परीक्षण में मृत्यु पानी में डूबने से दम घुंटने के कारण पाई गयी। इन 37 लाशों में से केवल 5 लाश की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई ।

निरन्तर प्रयास के पश्चात निम्न वस्तुएं भी बरामद की गयीं :—

1—एक दो नाली कारतूसी बन्दूक अनुमानित मूल्य 4 000 रु0
2—एक ट्रांजिस्टर 3 बैण्ड मूल्य लगभग 400 रु0
3—5 साइकिलें अनुमानित मूल्य 1500 रु0
4—एक नाव डूबी हुई अनुमानित मूल्य 4 000 रु0
5—दो खाली दूध के डिब्बे अनुमानित मूल्य 50 रु0
8—दो खाली टीन अनुमानित मूल्य 5 रु0

उपरोक्त नाव दुर्घटना आकस्मिक तूफानी हवा तथा बड़ी-बड़ी और ऊंची-ऊंची लहरों के कारण हुई है जिसके मैजिस्ट्रीयल जांच का आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 20-3-81 को पारित किया जा चुका है।

रिहन्द जलाशय के कोटा मिटहिनी घाट का नाव चलाने का ठेका रिहन्द सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ही अयोध्या प्रसाद शर्मा निवासी जोगी चोरा थाना शक्तिनगर के हाथ हुआ था। रिहन्द के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि नाव की जांच उनके अधीनस्थ जिलेदार तथा अमीन द्वारा दिनांक 17-3-81 को की गयी थी और उक्त नाव में 60 व्यक्तियों को बैठने की क्षमता बताई गयी है।

इस नाव दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 51 हैं जिनमें से 37 लाशें प्राप्त हुई हैं और 14 व्यक्ति जीवित निकाले गये। य 32 मृतक व्यक्ति जिनकी शिनाख्त हो चुकी है 29 परिवार से सम्बन्धित हैं और अब तक 32 मृतकों के 29 परिवारों के उत्तराधिकारियों को संलग्न सूची के अनुसार प्रति परिवार 1,000 रु0 की दर से कुल 29,000 रु 0 नकद अहेतुक सहायता तथा 5 मीटर कपड़ा प्रति परिवार की दर से 145 मीटर तथा 13 परिवारों को 13 कम्बल भी वितरित किया गया है।

नाव में बैठे सभी व्यक्ति रिहन्द बांध के दूसरे तरफ के निवासी थे, जो कोटा बाजार करने एवं मजदूरी करने आये थे और वे सभी नाव द्वारा रिहन्द बांध के दूसरे पार अपने-अपने घर के लिए जा रहे थे।

(सूची के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 303-305 पर)

श्री ऊदल--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि नाव का ठेका जिस व्यक्ति को दिया गया था उसने नाव का इन्तजाम ठीक नहीं किया था जिसकी वजह से इतने व्यक्ति डूब गये ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरे क्या यह भी सत्य है कि शव विच्छेदन के बाद इतने खराब हो गये कि उनका दाह संस्कार सरकार की ओर से नहीं किया गया और सारी लाशें गंगा के किनारे फेंक दी गयीं जिससे जल प्रदूषण हो गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ठेका श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा को दिया गया था। जांच दो दिन पहले 17-3-81 को हुई थी जिसमें वह सही पाई गयी। उसमें 60 आदमियों के बैठने की कैपिसिटी थी उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि ठेकेदार स्वयं भी डूब गया।

जिन लाशों की शिनाख्त हो गयी थी उनको तो उनके परिवारों को दे दिया गया लेकिन जिनकी शिनाख्त नहीं हुई उनका दाह संस्कार सरकार द्वारा किया गया।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने वक्तव्य में कहा है इस नाव में 60 आदमियों के बैठने की क्षमता थी लेकिन उसमें 40 आदमी सवार थे और बयान में यह भी कहा कि इस नाव दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 51 थी जिसमें से 37 लाशें प्राप्त हुयीं और 14 व्यक्ति जीवित निकाले गए।

मान्यवर, यह चीज देखते हुए कि यह बयान बिल्कुल गलत हो जाता है तो माननीय मंत्री ने कहा कि 40 व्यक्ति बैठे थे मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि किस्सा क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वास्तव में माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं बता रहा हूं जिसने रिपोर्ट लिखाई वह भी उसी नाव में बैठा था, वह डूबने से बच गया और जाकर रिपोर्ट लिखा दिया कि नाव में लगभग 40 आदमी थे। उसकी रिपोट फर्स्ट पैराग्राफ में है। उसने अन्दाज से लिखवाया है कि 40 व्यक्ति नाव में बैठे थे।

श्री हरिबंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री यह बतायें उनके उत्तर से सम्बन्धित कि 51 आदमी नाव में थे और 60 आदमी क्षमता थी 51 नहीं 60 थे? जो आपने मुआवजा दिया है। हजार रुपया क्या इसको 10,000 करेंगे? दूसरा 17 तारीख को नाव का परीक्षण किया गया तो क्या इससे पूर्व भी कभी नाव का परीक्षण किया गया था? यदि हां, तो मन्त्री जी बता दें?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा यह एक दैवीय आपदा थी एक तूफान आया था जिसके कारण पानी नाव में भर गया और नाव डूब गयी। इसकी मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी कराई जा रही है उसमें सारे तथ्य आ जायेंगे। तूफान आया था इसमें किसी की गलती से ऐसा नहीं हुआ।

श्री हरिबंश सहाय--

मान्यवर, 17 तारीख के पूर्व कभी निरीक्षण हुआ था?

श्री बैजनाथ कुरील--

दिनांक 17-3-81 को जांच हुई थी सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा की गयी थी।

श्री अध्यक्ष--

उसके पूर्व कभी हुई थी?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, सात वर्ष 1980-81 का ठेका था खत्म हो रहा था, ठेका की तो जांच की गयी थी।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इस पूरे बयान से मालूम होता है कि किश्ती बहुत पुरानी थी किश्ती की क्षमता 60 लोगों की थी माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि निश्चित ही जो यह घाट है बहुत बड़ा घाट है ठेकेदार की नीलाम करते समय ठेका देने के समय भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा किश्ती का परीक्षण कर लिया जाय कि किस तरह की है और ठेकेदार की स्थिति क्या ह? दूसरी बात यह लिस्ट जो है इसमें अधिकतर हरिजन और बैकवर्ड के लोग मालूम हो रहे हैं बच्चे थे स्त्रियां भी थीं। वे बेसहारा हो गयीं इस चीज को देखते हुए एक हजार की जो ग्रान्ट दी गयी वह बहुत कम है, इसको 5 हजार करने का कष्ट करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जहां तक किश्ती के निरीक्षण का सवाल है यह सही है किश्ती कैसी है ठीक है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? इस मामले की सम्पूर्ण जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही है इंक्वायरी में सारी चीज आ जायेगी। आइन्दा के लिए इसका ध्यान रखा जायेगा। लेकिन इस बार यह दैवीय आपदा के कारण ऐसा हुआ है किश्ती चाहे नई भी होती जब पानी मीटर भर ऊपर चढ़ गया तो नाव अवश्य डूब जायेगी।

श्री हुकम सिंह—

यह ठेकेदारी की व्यवस्था का दुष्परिणाम है। एक तरफ तो यह सरकार ठेकेदारी को समाप्त करने जा रही दूसरी तरफ, मान्यवर, आदमी की जिन्दगी को ठेकेदारों के जरिए ये बेंच रही है। मैं पूछना चाहता हूं के उस घाट के ऊपर जहां ऐक्सीडेंट हुआ, क्या यह आवश्यक है कि ठेकेदारी व्यवस्था ही रहे ? मन्त्री जी अपने विभाग द्वारा वहां लोगों को पार करने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ? क्या इस प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है ? दूसरा जो मरे हैं वह नौ जवान आदमी हैं किसी की उम्र 22 साल किसी की 32 साल है उनकी ऐज ग्रुप को देखते हुए क्या माननीय मन्त्री एक हजार जो मुआवजा दिया गया है, उसको बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इसके ऊपर विचार किया जायेगा।

श्री यदुनाथ—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो रिपोर्ट दी गयी है जैसा हमारे माननीय सदस्य प्रदीप कुमार यादव जी ने कहा उस नाव में 100 लोग थे दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, फेरीज ऐक्ट के खिलाफ 5 बजे के बाद नाव चली। मैं जानना चाहता हूं कि फेरीज ऐक्ट के अनुसार नाव सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलनी चाहिए क्या यह बात सही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जैसा मैंने पहले कहा एक्सपर्ट ने बताया कि नाव की क्षमता 60 आदमी की थी। उसके बाद पता लगा कि 51 लोग बैठे थे। ज्यादा आदमी नहीं बैठे थे यह दुर्घटना मुख्यरूप से तूफान के कारण हुई।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि नाव में कितने लोग बैठे थ और उसकी क्षमता कितनी थी ? जहां तक 5 लाशों की शिनाख्त नहीं हुई अखबार में छपा कि 100 आदमी बैठे थे अधिक लोग होने के कारण नाव डूब गयी। मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या घटना की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराने का कष्ट करें ? उसमें 5 लोग अगल बगल के थे जिनकी शिनाख्त नहीं हुई। क्या पूरे कांड की जांच सी0आई0डी0 से करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मैंने कहा मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी कर रहा है।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पहले आपने वक्तव्य में कहा 40 आदमी सफर कर रहे थे और यह भी कहा कि उस नाव की कैपिसिटी 60 आदमी की थी। दो बात हो गयी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह 60 आदमी की क्षमता की वह नाव थी वह किस आधार पर कह रहे हैं उस नाव की लम्बाई चौड़ाई क्या थी और वह कितना वजन लेकर चल सकती थी ? दूसरी बात आपने जो बताया का तूफान आया था क्या उस तूफान का कोई रिकार्ड मौसम दफ्तर मिर्जापुर में है ? और वह तूफान कितनी गति से आया था ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, नाव लगभग 30 फिट लम्बी साढ़े सात फिट चौड़ी और तीन फिट गहरी थी। उसकी क्षमता 60 आदमी की थी। जहां तक तूफान का मौसम दफ्तर में रिकार्ड की बात मैं नहीं कह सकता लेकिन तूफान आया था इसमें कोई शक नहीं है।

सुल्तानपुर जिले के आनापुर गांव के निकट बिजली के टूटे तार से एक तीर्थ यात्री बस के टकरा जाने के फलस्वरूप 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कतिपय व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आईटम नम्बर 17 के बारे में माननीय मन्त्री जी की तरफ से निवेदन आया था उन्हें कौंसिल में जाना था इसलिए वह स्थगित कर दिया गया है और कल सदन 7 बजे तक है, परसों लिया जायेगा ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
31 मार्च, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 185 पर)

सूची 'क'

दारुलशफा स्थित बंगलों में दिनांक 20-6-80 को आवंटन के आधार पर रह रहे अध्यासियों की सूची।

क्रम-सं0	अध्यासी का नाम	बंगला नम्बर	विवरण
1	कुमारी सरस्वती अम्माल, सदस्य, विधान सभा	3, दारुलशफा	यह बंगला असुरक्षित घोषित किया जा चुका है विकल्प में कुमारी अम्माल को कक्ष आवंटित कर दिया गया था परन्तु उन्होंने बंगले का कब्जा नहीं छोड़ा है तथा अपने दायित्व पर रह रही हैं।
2	श्री धर्म दत्त भूतपूर्व मन्त्री	4, दारुलशफा	इस बंगले में श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य विधान सभा रह रहे हैं, यद्यपि कि उनको बंगला असुरक्षित होने के कारण आवंटित नहीं हुआ है।
3	श्रीमती मोहसिना किदवई, संसद सदस्य।	6, दारुलशफा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) दल को आवंटित है। श्रीमती किदवई इसमें निवास कर रही हैं।
4	श्री लाल जी टंडन एवं कुमारी दया बहन, सदस्य, विधान परिषद्।	7, ओल्ड आई0डी0टी0	
5	श्री क्रांति कुमार सदस्य, विधान परिषद्।	7, त्रिलोक नाथ रोड	
6	श्री के0 वी0 टन्डन, निजी सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय।	10, विधान सभा मार्ग	
7	श्री आर0 सी0 सिन्हा, निजी सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय।	10, विधान सभा मार्ग	
8	श्री तपेश्वर राम, सदस्य, विधान सभा	5/अ, दारुलशफा नयी ब्लाक के प्रांगण में स्थित।	भविष्य में इसे तोड़े जाने का प्रस्ताव है।
	श्री सुल्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा।	5/ब	तदैव
	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदस्य, विधान सभा	5/स	तदैव
	श्रीमती गौरी देवी सदस्य, विधान सभा।	5/द	तदैव

सूची "ख"

दारुलशफा स्थित बंगले में दिनांक 20-6-80 को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की हैसियत से रह रहे अध्यासी का विवरण ।

क्रम-संख्या	नाम	बंगला नम्बर
1	श्री कमलापति त्रिपाठी ..	7, ओल्ड आई0डी0टी ।

सूची "ग"

दारुलशफा कम्पाउन्ड स्थित बंगलों में दिनांक 20-6-80 को बिना आवंटन आधार पर रह रहे अध्यासियों की सूची ।

क्रम-संख्या	अध्यासी का नाम	बंगला नम्बर	विवरण
1	श्री अशोक बाजपेयी, भूतपूर्व मन्त्री	9, ओल्ड आई0डी0टी0	अब इन्होंने खाली कर दिया है । श्री अकबर अहमद, सदस्य, विधान सभा को आवंटित है ।
2	श्री सत्यदेव त्रिपाठी, भूतपूर्व मन्त्री	9, ओल्ड आई0डी0टी0	अब उनके द्वारा खाली कर दिया गया है तथा श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी, राज्य मन्त्री को शासकीय आवास के रूप में प्रदिष्ट है ।
3	श्री मुजफ्फर हसन भू0 पू0 सदस्य, विधान सभा ।	5, फारसाऊथ रोड ।	
4	श्री हबीबुर्रहमान नौमानी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा ।	10, एवेट रोड । (उत्तरी भाग)	
5	श्री रामकृष्ण द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद्	10, एवेट रोड (दक्षिणी भाग) ।	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 204 पर)

पुलिस चौकी भाटपार रानी थाना आमपार, जिला देवरिया दिनांक 1–1–77 से 30–1–81 तक दर्ज मुकदमों का विवरण

क्रम-सं0	किस अपराध में	सं0 मुकदमा जो कायम हुए	सं0 मुकदमा जिसकी तफतीश नहीं की गयी	सं0 मुकदमा जिसकी तफतीश ही नहीं है	सं0 मुकदमा चार्ज-शीट	सं0 मुकदमा फाइनल रिपोर्ट	फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डकैती ..	3	..	..	2	1	साक्ष्य के अभाव में
2	लूट ..	2	..	..	1	1	,,
3	नकबजनी ..	29	..	..	3	26	,,
4	चोरी ..	40	2	..	12	26	,,
5	बलवा ..	14	..	..	11	3	,,
6	307 भा0द0वि0 ..	3	..	..	2	1	,,
7	279/337 भा0 द0 वि0	3	..	..	1	2	,,
8	436 भा0द0 वि0 ..	1	..	..	..	1	,,
9	435 भा0द0 वि0 ..	1	..	..	..	1	,,
10	363/366 भा0 द0 वि0	1	..	..	..	1	,,
11	विविध भा0 द0 वि0	21	3	2	10	6	,,
12	109 जा0फौ0 ..	5	..	..	5	..	
13	110 जा0 फौ0 ..	1	..	..	1	..	
14	60 आबकारी ऐक्ट	14	..	..	14	..	
15	25 आर्म्स एक्ट	12	..	..	12	..	
16	13 जुआ एक्ट ..	8	..	..	8	..	
17	3/7 ई0सी0 एक्ट ..	8	..	1	5	2	साक्ष्यके अभाव में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 206 पर)

अनुसूची

पथकर दरों की अनुसूची

क्र0 सं0	मद	दर
		रु0 पै0
1	प्रत्येक गाड़ी जो पशुओं द्वारा खींची जाती है	0.50
2	प्रत्यक मोटर साइकिल एवं स्कूटर रिक्शा	1.00
3	टैम्पों तथा कार टैक्सी	5.00
4	निजी कार, जीप, पिकअप स्टेशन बैगन, लैण्ड रोवर	3.00
5	ट्रैक्टर	1.50
6	लदा हुआ या बिना लदा हुआ टेलर	1.00
7	मोटर लारी बसें आदि या अन्य भारी मशीन जैसे अर्थ मूविंग मशीनरी	10.00
8	ट्रक	15.00
9	पशुओं द्वारा खींची जाने वाली सवारी गाड़ियां (तांगा, एक्का)	शून्य
10	मोटर साइकिल स्कूटर	0.75
11	मिनी बस	7.00

टिप्पणी—पथकर की निर्धारित दर की सातगुनी राशि दकर कोई भी निजी गाड़ी का स्वामी मासिक पास बनवा सकता है। यह सुविधा टैक्सियों, टम्पो, स्कूटर, रिक्शा, मिनी बस, ट्रकों तथा बसों के लिये उपलब्ध नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 227 पर)

सूची 'क'

जिला परिषद लखीमपुर खीरी द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के नाम जिन्हें सेवारत रहते हुये 9 वर्ष से अधिक समय हो गया है किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया।

अध्यापक	प्रधानाचार्य
1—श्री भगवती प्रसाद बाजपयी	1—श्री हरबख्श सिंह
2—श्री विशन चन्द्र अवस्थी	2—मो0 इश्तियाक खां
3—श्री सूर्य प्रसाद त्रिवेदी	3—श्री वीरेन्द्र सिंह
4—श्री नील कंठ पाठक	
5—श्री ओम प्रकाश चौधरी	
6—श्री हरि शंकर मिश्र	
7—श्री बाल मुकुन्द वर्मा	
8—श्री राम रक्षपाल सिंह	
9—श्री राम प्रसाद वर्मा	
10—श्री आले हसन जैदी	
11—श्री रवि शंकर दीक्षित	
12—श्री करन सिंह	
13—श्री बहादुर सिंह आजाद	
14—श्री श्याम मनोहर लाल	
15—श्री महेश्वर प्रसाद	
16—श्रीमती कमला त्रिपाठी	
17—कुं0 वर्जीनिया दयाल	
18—श्रीमती उर्मिला पाण्डे	
19—श्री चन्द्र माल वर्मा	
20—श्री गोकरन प्रसाद वर्मा	
21—श्री राम खेलावन सिंह	
22—श्री ईश्वर दीन वर्मा	
23—श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	
24—श्री अब्दुल रज्जाक	
25—श्री मैथली शरण मिश्र	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 123 का उत्तर पोछ पष्ठ 228 पर)

सूची 'ख'

जिला परिषद लखीमपुर खीरी द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 ग्रेड में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत ऐसे अध्याप ों के नाम जिनकी स्वतः प्रोन्नति सी0 टी0 ग्रेड में अभी नहीं हुई हैं।

1—श्री रईस अहमद
2—श्री कन्नौजी लाल वर्मा
3—श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा
4—श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र
5—श्री राम नरेश तिवारी
6—श्री वंश गोपाल वर्मा
7—श्री मो0 इशरत खां
8—श्रीमती पुष्पा गुप्ता
9—श्रीमती मनोरमा बाजपेयी

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधान सभा
सचिवालय, मध्यप्रदेश

बिधान सभा प्रदेश पदेश

सूची रिहन्द बांध (पन्तसागर) में हुई नाव दुर्घटना से जिन्दा बचाये गये व्यक्तियों की दिनांक 19–3–81 (तहसील दुद्धी, जनपद मिर्जापुर)

क्रमांक	नाम ग्राम	बचाये गये व्यक्तियों के नाम व पिता का नाम	जाति	उम्र
1		2	3	4
				वर्ष
1	बीजपुर	श्री भगवान दास पुत्र छौटक	यादव	14
2	,,	श्री ऊदल प्रसाद पुत्र राम गुलाम	गड़ेरी	13
3	,,	श्री राम नरेश पुत्र राजकुमार	गड़ेरी	13
4	डोड़हर	श्री राम लखन पुत्र दादूराम	गड़ेरी	15
5	नैमना टोला राजा	श्री तुलसी राम पुत्र शिवरतन	चमार	15
6	बौड़रा	श्री लक्षिमन पुत्र रामचैला	पनिका	19
7	खड़िया	श्री लल्लूराम पुत्र नन्हक	केवट	22
8	मिटहिनी	श्री मनजीत पुत्र गौने	केवट	25
9	विजय टोला जलवा	श्री गुलाब चन्द्र पुत्र बशिष्ट	जैसवाल	25
10	जरहा	श्री गोपी चन्द्र पुत्र मोहन	चमार	21
11	नैमना	श्री सुखनन्दन पुत्र बाबूलाल	चमार	19
12	नैमना	श्री मोती राम पुत्र नन्हकऊ	चमार	14
13	महुआदोहर	श्री तुलसीराम पुत्र रामनरायन	चमार	19
14	गौभा (मध्य प्रदेश)	श्री रामकृपाल पुत्र रतन	बियार	13

पी0एस0यू0पी0—एल0 60 वि0 सभा (110)–1982–8131